लोक-सभा

वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ५, १९६२/१८८४ (शक)

[८ से २२ जून १९६२/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़ १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
14-5-92
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ५ में अंक ४१ से ५१ तक

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

(तृतीय माला खण्ड ५—अंक ४१ से ५१—८ से २२ जून, १९६२)/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़, १८८४ (शक)

अंक ४१—शुक्रवार, ८ जून, १९६२/१८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न* संख्या १३५३ से १३५५, १३५७ से १३६५, १३६७ से १३७१ और १३७३ . . ४४८५—४५१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६, १३६६, १३७२ और १३७४ . ४५११–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या २७७७ से २८६० और २८६२ से २८९६ . ४५१२–४८

दिनांक १८-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९३ के उत्तर में शुद्धि

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .

(१) साल्ट कोटर्स रेलवे माल शैड, मद्रास में, माल उतारने का काम अस्तव्यस्त हो जाने का कथित समाचार . . ४५४८–४९

(२) दिल्ली में परमाणु बंम विरोधी सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के लिये जनवादी चीन गणराज्य को निमंत्रण . . ४५४९–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, (रेलवे) १९५९–६० . . . ४५५०

सभा का कार्य ४५५०–५१

विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य . . ४५५१—५३

समिति के लिये निर्वाचन ४५५३

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक— पुरःस्थापित . . . ४५५३

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . . ४५५४–५५

अनुदानों की मांगें . . . . . . ४५५५—६८

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ४५५५

राजनैतिक पीड़ित सहायता विधेयक [श्री स० चं० सामन्त का] ४५६८

हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) [श्री ज० ब० सिंह का] . ४५६८–६९

विधान परिषद् (रचना) विधेयक—परिचालित

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . ४५६९—७३

भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक (धारा ६८ और ६९ का संशोधन) [श्री स० च० सामन्तका]—अस्वीकृत . . ४५७४—७८

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव	
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) [श्री दीवान चन्द शर्मा का]	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	४५७८–७९

अंक ४२—सोमवार, ११ जन, १९६२/२१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७६, १३७७, १३८२ से १३८४, १३८६, १३८८, १३९० से १३९४ और १३९७ से १४०१ .	४५८७–४६११
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७५, १३७८ से १३८१, १३८५, १३८७, १३८९, १३९५, १३९६, १४०२, १४०३ और १४०५ .	४६१२–१७
अतारांकित प्रश्न संख्या २८७० से २८९७, २८९९ से २९१५, २९१७ से २९३१ और २९३३ से २९३५ . . .	४६१७–४४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	४६४४–४८
(१) केरल में एनाथ में ट्यूबरक्युलिन परीक्षण की प्रतिक्रिया से उत्पन्न स्थति	४६४४–४४
(२) नागपुर—टाटानगर यात्री गाड़ी का पटरी से उतर जाना .	४६४५–४८
सभा पटल पर रखा गया पत्र	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुप स्थति सम्बन्धी समिति	
पहला प्रतिवेदन . .	४६४८
अनुदानों की मांगें	४६४८–६२
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . .	४६४८–६२
वित्त मंत्रालय	४६६२–९२
सभा की बैठक के दिन में परिवर्तन	४६७४–९२
कार्य मंत्रणा समिति	४६७५–९२
दूसरा प्रतिवेदन	४६९२
दैनिक संक्षेपिका . . .	४६९३–९७

अंक ४३—मंगलवार, १२ जून, १९६२/२२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४०६, १४०७, १४०९, १४११ से १४१३, १४१५ १४१६, १४१९ से १४२४ और १४२६ और १४२८ .	४६९९–४७२३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ से १६	४७२३–२८

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४०८, १४१०, १४१४, १४१७, १४१८, १४२५, १४२७, और १४२९	४७२८—३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २९३६ से ३०४३ . . .	४७३२—८०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .	४७८०—८४
(१) गुंटूर में तम्बाकू के लिये एक मार्क की पर्चियां देने में सरकार की कथित असफलता	
(२) पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा	
(३) साम्भर झील के निकट सवारी गाड़ी और बस के बीच हुई टक्कर	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७८४
सैन्ट्रल प्रोविंसेस मैंगनीज और कम्पनी लिमिटेड के साथ हुए करार के बारे में वक्तव्य	४७८४—८५
ब्रिटेन और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच चल रही बातचीत के बारे में वक्तव्य	४७८५—८६
कार्य मंत्रणा समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	४७८६—४८०९
अनुदानों की मांगें	४७८६
वित्त मंत्रालय	४७८६—४८०९
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२, पुरःस्थापित तथा पारित . .	४८१०—११
वित्त (वित्त संख्या २) विधेयक, १९६२	
विचार करने का प्रस्ताव	४८११—१५
दैनिक संक्षेपिका	४८१६—२२
अंक ४४—गुरुवार, १३ जून, १९६२/२३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३०, १४३१, १४३३ से १४४०, १४४२, १४४४, १४४५, और १४४७ से १४४९ . .	४८२३—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४४१, १४४३, १४४६ और १४५० से १४६४	४८४५—५३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०४४ से ३१३५, ३१३७ से ३१४१, ३१४३ और ३१४४	४८५३—९९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७	४८९९
स्थगन प्रस्ताव	४९००
रेलवे फाटक पर रेल गाड़ी और बस में हुई टक्कर . .	४९००

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .	४६००—०६
(१) उत्तरी लद्दाख में चीनियों द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र में चीनी टैंकों और बख्तर बन्द गाड़ियों का कथित आवागमन .	४६००-०१
(२) नेफा में नियुक्त कुछ वरिष्ठ सेना अधिकारियों की कथित भर्त्सना .	४६०१—०४
(३) वेस्ट विनय नगर, दिल्ली में साफ किये हुए पानी की कमी .	४६०५-०६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति-	
दूसरा प्रतिवेदन	४६०६
वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२	४६०७—४३
विचार करने का प्रस्ताव	४६०७—४३
दैनिक संक्षेपिका	४६४४—५०

अंक ४५—शुक्रवार, १५ जून, १९६२।२५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	४६५१—७५
तारांकित प्रश्न संख्या १४६५, १४६७ से १४७३ और १४७५ से १४८०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४७४ और १४८१ से १४८८. .	४६७५—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३१४५ से ३२१३ . .	४६८०—५०१३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	५०१३—१७
सदर बाजार में विस्फोट . .	५०१३—१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	५०१७-१८
अनुपस्थिति की अनुमति	५०१८
विधेयक पुरःस्थापित	५०१९
१. सीमा शल्क विधेयक	५०१९
२. विशिष्ट सहायता विधेयक . . .	५०१९
वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२	५०१९—३७
विचार करने का प्रस्ताव	५०१९—३७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो संबंधी समिति .	
दूसरा प्रतिवेदन	५०३७
अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी संकल्प	५०३८—५४
मजदूरों संघों के प्रतिनिधिस्वरूप के बारे मे संकल्प . . .	५०५४—५८
दैनिक संक्षेपिका	५०५९—६४

विषय	पृष्ट
अंक ४६—शनिवार, १६ जून, १९६१/२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४८९ से १४९१, १४९३ से १४९६, १४९८ से १५०३, १५०५ और १५०७ से १५०९ .	५०६५—८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४९२, १४९७, १५०४ और १५०६ . .	५०८९—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१४ से ३२९३ . .	५०९१—५१२६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	५१२६—२९
राजशाही जिले से आने वाले व्यक्तियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना . .	५१२९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	५१२९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५१३ के उत्तर मे शुद्धि . — .	५१२९
सभा का कार्य	५१३०
वित्त (संख्या २) विधेयक १९६२ . . .	५१३०—५८
खण्ड २ से १९ और १, तथा अनुसूची . . .	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५९-६० .	५१५८—६९
दैनिक संक्षेपिका	५१७०—७४
अंक ४७—सोमवार, जून १८, १९६२/२८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . ज.	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१० से १५१८, १५२०, १५२१ और १५२३	५१५७—९८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ .	५१९८—९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२२ और १५२४ से १५३७ .	५१९९—५२०५
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३००, ३३०३ से ३३७०, ३३७३ से ३३९१ और ३३९३ से ३४२२ . .	५२०५—५९
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . ,	
राजसाही जिले के निष्क्रमणार्थियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	५२५९—६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	

विषय	पृष्ठ
प्रोफ़ैसर जे० बी० एस० हाल्डेन द्वारा भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् छोड़ने का कथित निर्णय	५२६३—६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५२६६
तारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर में शुद्धि	५२६६
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५९–६० . . .	५२६६—६७
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५९–६० . .	५२६७—७१
राष्ट्रपति की पेन्शन (संशोधन) विधेयक, १९६२ . . .	
विचार करने के प्रस्ताव	५२७१—८२
खण्ड २ से ४ तथा १	
पारित करने का प्रस्ताव	५२८२—८५
रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव	५२८६—९९
बाग नदी परियोजना के बारे मे आधे घंटे की चर्चा . . .	५३००—.०१
दैनिक संक्षेपिका	५३०२—०९
अंक ४८--मंगलवार, १९ जून, १९६२/२९ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५३८ से १५४९, १५५१ और १५५२ .	५३११—३३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ और १९क . .	५३३४—३८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ और १५५४ से १५६२ . .	५३३८—४२
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२३ से ३४८६, ३४८८ से ३४९७, ३५०० और ३५०१.	५३४२—७७
अविलम्बनीय लोक कहत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	५३७८—८०
(१) मालदा जिले में पक्षाघात का महामारी के रूप मे फैलना .	५३७८—७९
(२) दिल्ली स्टेशन और फिरोजशाह कोटला, दिल्ली में पानी की कमी	५३७९—८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५३८१—८३
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष १९६०–६१ के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य	५३८३—८४
विधेयक पुरःस्थापित —	
(१) प्रत्यर्पण विधेयक	५३८४
(२) विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६२ . . .	५३८५
(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक १९६२	५३८५
अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक . . .	५३८६—८८
विचार करने का प्रस्ताव	५३८६

विषय	पृष्ठ
खंड २ और १	५३८८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५३८८
श्री विभूधेन्द्र मिश्र	५३८८
निर्वाचनों के संचालन नियमों के बारे में प्रस्ताव	५३८८—५४०३
सीमा शुल्क विधेयक	५४०३—१०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	५४०३—१०
रिहान्द की बिजली को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मे बांटने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	५४१०—१४
दैनिक संक्षेपिका	५४१५—२३
अंक ४९—बुधवार, २० जून १९६२/३० ज्येष्ठ १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५	५४२३—४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० और २१	५४४५—४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५७६ से १५९०	५४४७—५४
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५०२ से ३५१४, ३५१६ से ३५७०, ३५७२ से ३६३३, ३६३५, ३६३६ और ३६३६-क से ३६३६छ	५४५४—५५१८
दिनांक २२-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४८ के उत्तर मे शुद्धि	
स्थगन प्रस्ताव	५५१८
भारतीय राज्य क्षेत्र मे चीनियों द्वारा कथित अतिक्रमण का समाचार	५५१८—१९
सभा पटल पर रखे गए पत्र	५५१९—२०
राज्य सभा से सन्देश	५५२०
गैर सरकारी सस्दयों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	५५२०
तीसरा प्रतिवेदन	५५२०
हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	५५२१
विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६२—पारित	५५२१
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६२—पारित	५५२२
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	५५२२—४७
पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में आध घंटे की चर्चा	५५४७—५४
दैनिक संक्षपिका	५५५५—६३
अंक ५०—गुरुवार, २१ जून, १९६२/३१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९१ से १५९९ १६०१ और १६१४ १६०२ १६०४ और १६०५	५५६५—८८

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६००, १६०३, १६०२–ए, १६०६ से १६१० १६१२, १६१३ और १६१५ से १६२० . .	५५८८–९३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३७ से ३६६० ३६६२ से ३७१२, ३७१४ से ३७२३, ३७२५ से ३७४२, ३७४४ से ३७५२, ३७५४ से ३७६७, ३७६७क, ३७६७ख और ३७६७ग .	५५९४–५६५२
दिनांक २८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४६ के उत्तर में शुद्धि	५६५२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .	५६५२–५४
(१) ब्रिटेन के राष्ट्रमंडलीय सम्बन्धों के राज्य सचिव के साथ यूरोपीय साझा बाजार के बारे में बातचीत . . .	५६५२–५३
(२) त्रिपुरा के कमलपुर और अन्य भागों मे भारी बाढ़ .	५६५३–५४
जानकारी प्राप्त करने के बारे में प्रश्न	५६५४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५६५४–५६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति .	५६५७
कार्यवाही सारांश	५६५७
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति . .	५६५७
कार्यवाही सारांश	५६५७
तारांकित प्रश्न संख्या १३६३ के उत्तर मे शुद्धि . . .	५६५७
सौलवीन प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य . .	५६५७
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम—अस्वीकृत . . .	५६५८–६४
भेषज (संशोधन) विधेयक	५६६४
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	५६६५–७३
खण्ड २ से २२ तथा १	५६६४–७७
पारित करने का प्रस्ताव	५६६४–७७
राज्यों को लोहे की नालीदार चादरों के दिये जाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	५६७८–८०
दैनिक संक्षेपिका	५६८१–९१

अंक ५१—शुक्रवार, २२ जून, १९६२/१ आषाढ़, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६२१, १६२३, १६२६ और १६२८ से १६३७ अल्प सूचना प्रश्न संख्या २२ और २३	५६९३–५७२०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६२२, १६२४, १६२५, १६२७, १६३७क, १६३८ और १६३९ . .	५७२०–२३

विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या २७६८ से ३८३३ और ३८३५ से ३८४५	५७२३–५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .	५७५८–६५
(१) चीनियों द्वारा नेफा में भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा	५७५८–६०
(२) आई० एफ० स्टेशन बपरौला दिल्ली में एक० ई० एस० के दो मेहतरों की मृत्यु	५७६०–६२
(३) पूर्वोत्तर रेलवे के तिलरथ स्टेशन के निकट रेल गाड़ी और ट्रक की टक्कर . . .	५७६२–६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५७६५–६७
राज्य सभा से सन्देश	५७६७
निर्वाचनों के संचालन नियमों में संशोधन के बारे में याचिका . .	५७६७
विधेयक पुरःस्थापित	५७६७–६८
(१) आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक . . .	५७६७
(२) महाप्रशासक विधेयक	५७६८
(३) ईसाई विवाह और वैवाहिक कारण विधेयक . .	५७६८
तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव . .	५७६९–७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	५७७८
तीसरा प्रतिवेदन	५७७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . .	५७७९–८४
(१) अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक [श्री अ० त्रि० शर्मा का]	५७७९
(२) बीमा (संशोधन) विधेयक (धारा ३१क और ४०ग का संशोधन) [श्री इन्द्रजीत गुप्त का] . . .	५७७९
(३) बीड़ी और सिगार श्रमिक विधेयक [श्री अ० क० गोपालन का]	५७७९–८०
(४) खाद्य तेलों पर प्रतिबन्ध (साबून बनाने के लिए) विधेयक [श्री दी० चं० शर्मा का]	५७८०
(५) परिवहन समन्वय विधेयक [श्री दी० चं० शर्मा का]	५७८०
(६) दूकानदार (मुल्यों की पर्चीयां लगाना) विधेयक [श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का]	५७८०–८१
(७) विधि व्यवसायी (संशोधन) विधेयक (धारा १४ और १५ का संशोधन) [श्री हेम राज का] . . .	५७८१
(८) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा ३० का संशोधन [श्री हेम राज का] . .	५७८१
(९) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक (धारा ११ और १२ का संशोधन) [श्री हेम राज का]	५७८१–८२

(१०) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन)
[श्री दी० चं० शर्मा का] . . ५७८२

(११) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
[श्री उ० मू० त्रिवेदी का] . . . ५७८४

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन)
[श्री दी० चं० शर्मा का] —वापिस लिया गया . ५७८२—८४

विचार करने का विचार . . . . .

हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक (नई धारा २३क का रखा जाना)
[श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का]—परिचालित . . . ५७८५—९४

परिचालित करने का प्रस्ताव . . .

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन)
[श्री सिद्दय्या का] . ५७९४

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . ५७९४—९६

नरियमंगलम् में फायटोकेमिकल प्लांट के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ५७९६—५८०२

विदाई भाषण . ५८०२

दैनिक संक्षेपिका . . ५८०३—१३,
१—१०

पहले सत्र का कार्यवाही संक्षेप . . .

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सोमवार, १८ जून, १९६२
२८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

†**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्नों के उत्तर दिये जायेंगे। प्रश्न संख्या १५१०।

†**श्री प्रभातकार** : इस प्रश्न के संबंध में औचित्य प्रश्न के हेतु।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी यह प्रश्न पूछा नहीं गया है।

†**श्री प्रभातकार** : मेरा यह कहना है कि यह प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले श्री नाथ पाई को प्रश्न पूछने दीजिये।

महा-लेखा परीक्षक के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री की टिप्पणी

+

†*१५१०. { **श्री नाथ पाई :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या वित्त मंत्री ३१ मई, १९६२ को महा-लेखा परीक्षक के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी के सम्बन्ध में महा-लेखा परीक्षक से एक विवरण प्राप्त करने और उसे सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री प्रभातकार अपना औचित्य प्रश्न रखें।

†**श्री प्रभातकार** : प्रश्न केवल जानकारी प्राप्त करने के लिये ही पूछे जा सकते हैं। आपने अक्सर ही इस सभा में माननीय मंत्रियों से कहा है कि जब अनुपूरक प्रश्न कार्यवाही के लिये सुझाव के रूप में हों तो वे उत्तर न दिया करें। लेकिन यहां जो प्रश्न है उस का स्वरूप और आशय भी सुझाव का है। दूसरी बात यह है कि श्री प्र० के० देव ने इस मामले में औचित्य प्रश्न पहले ही उपस्थित किया था और उस पर आपने अपने निर्णय में यह बताया था कि इस मामले की छान बीन करने के बाद मैं अपना निश्चित निर्णय दूंगा। अब यदि यह प्रश्न पूछा जाता है और उस का उत्तर दे दिया जाता है तो

†मूल अंग्रेजी में

1253(Ai)LSD—1.

श्री प्र० के० देव द्वारा उठाये गये सभी औचित्य प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाता है। इसलिये सभी दृष्टिकोणों से इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। यही मेरा औचित्य प्रश्न है।

†**श्री प्र० के० देव** : यह कार्यवाही के सुझाव के रूप में नहीं है और न ही सभापति महोदय ने इस औचित्य प्रश्न पर अपना कोई निर्णय दिया है।

†**श्री शं० शा० मोरे** : यह प्रश्न कोई जानकारी प्राप्त करने के लिये नहीं पूछा जा रहा है। प्रतिरक्षा मंत्री ने महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में कुछ राय जाहिर की। थी अब इस बात की कोशिश की जा रही है कि प्रतिरक्षा मंत्री की राय के संबंध में महालेखा परीक्षक की राय या एक प्रकार का वक्तव्य प्राप्त किया जाये। यदि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो दोनों की रायों का प्रकार का संघर्ष उत्पन्न होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि संगत नियमों के अधीन इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम माननीय मंत्री का उत्तर भी सुनें और उस के बाद ही मुझे जो कुछ कहना है मैं कहूंगा।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर विचार लोक लेखा समिति करती है और वह समिति महालेखा परीक्षक से किसी भी बात का स्पष्टीकरण मांग सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न के बारे में जो औचित्य प्रश्न उठाया गया है उसके बारे में शायद मुझे कुछ कहना पड़ेगा।

यह भी सच है कि मैं ने यहां वचन दिया था कि मैं अपना निश्चित निर्णय दूंगा। लेकिन मेरी कठिनाई यह है कि जब तक कि कोई बातें सामने न रखी जायें, मैं निर्णय नहीं दे सकता। महालेखा परीक्षक के क्या कर्तव्य हैं, लेखापरीक्षक का क्षेत्र कितना है इस बारे में सामान्य पहलू पर मैं अपना निर्णय नहीं दे सकता। वह मेरे लिये संभव नहीं था।

अब मैं यही कह सकता हूं कि महालेखा परीक्षक एक स्वतन्त्र संवैधानिक अधिकारी है। वह प्रत्यक्ष रूप से संसद् के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यहां उसका प्रतिनिधित्व मंत्री करते हैं और उस के जरिये ही हम कोई बात उससे पूछ सकते हैं।

यह ठीक है और मैं ने हमेशा यह कहा भी है कि प्रश्न सामान्यतया जानकारी प्राप्त करने के लिये पूछे जाते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त की जाने वाली जानकारी हम सीधे उस से नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि वह संसद् का पदाधिकारी नहीं है जैसा कि ब्रिटेन में वह संसद् का पदाधिकारी है और उस के प्रति उत्तरदायी है और सभा उसे कोई भी विवरण सभा पटल पर रखने के लिये कह सकती है।

लेकिन यहां यदि हमें उस से कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो वह मंत्री के जिरिये ही कर सकते हैं और केवल वित्त मंत्री ही वह जानकारी दे सकते हैं। वह अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे सभा पटल पर रखवाते हैं।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे निर्णय देने के लिये कहा गया है। मेरे सामने कोई विषय नहीं था। इस बीच एक अल्पसूचना प्रश्न रखा गया जो स्वीकार नहीं किया गया। मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि उनकी अपनी राय के मुताबिक नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के क्या कर्तव्य हैं और उसकी

---

†मूल अंग्रेज़ी में

क्या शक्तियां हैं क्योंकि अभी तक संसद् ने अधिनियम द्वारा उनको निर्धारित नहीं किया है। इसलिए यदि वे एक विवरण बनाने के लिये तैयार हों तो मैंने उस विवरण के लिये अनुमति दी। लेकिन वित्त मंत्री ने अभी उत्तर दिया है कि कोई विवरण यहां नहीं रखा जा रहा है और न ही कोई जानकारी सभा को दी जा रही है। मेरा काम यही समाप्त हो जाता है क्योंकि मैं मंत्री को उससे जानकारी प्राप्त करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। अब सभा के सामने यही रास्ता है कि वह लोक लेखा समिति से प्राप्त करे जिसके सामने वह पेश हो सकता है और सारी जानकारी दे सकता है। यदि मेरे पास वह जानकारी होती तो मैंने अपना निर्णय भी दे दिया होता क्योंकि तब सारे तथ्य मेरे सामने होते।

अपने पिछले वायदे के सम्बन्ध में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मेरे सामने कोई बातें नहीं रखी गयी थीं और इसीलिये मैं अपना निर्णय नहीं दे सका। लेकिन यदि वह जानकारी प्राप्त हो जाये तो मैं अवश्य ही अपना निर्णय दे सकता हूं।

†**श्री नाथ पाई** : मेरा आपसे निवेदन है कि वित्त मन्त्री का उत्तर पूर्णतः असन्तोषजनक यद्यपि वह संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित दिखायी पड़ता है। इस सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मावलंक ने निर्णय दिया था कि जहां तक नियन्त्रक महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा कराने और लेखे रखने के लि उत्तरदायी है, उसके सम्बन्ध में प्रश्नों की ग्राह्यता अन्य किसी प्रश्न की तरह निर्धारित की जायेगी। फिर साधारणतया ऐसे प्रश्न लिखित उत्तर के लिए गृहीत किये जाते हैं। लेकिन व्यवहार में, उत्तर की विषय सामग्री वित्त मंत्री को जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिये सभा में उत्तरदायी है, नियन्त्रक महालेखा परीक्षक से ही मिलती है।

मेरा प्रश्न कुछ टिप्पणियों से उत्पन्न हुआ है और महालेखा परीक्षक की स्वतन्त्रता कायम रखने की उत्सुकता के कारण ही हमने यह प्रश्न उठाया है। आपने आज कहा कि वह एक स्वतन्त्र अधिकारी है और प्रतिरक्षा मंत्री ने जो कुछ कहा है उससे उसके स्वतन्त्र कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिये हम चाहते हैं कि सारी स्थिति स्पष्ट कर दी जाये कि क्या महालेखा परीक्षक ने गैर-सरकारी व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करने में नियमों से बाहर काम किया है जैसा कि प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा है। हम चाहते हैं कि यह जानकारी सभा पटल पर रखी जाये।

मैं एक और प्रमाण देना चाहता हूं। लोक सभा के संयुक्त सचिव द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका में बताया गया है कि हाउस आफ कामन्स में ऐसी ही प्रथा अपनायी जाती है। संविहित विधि के रूप में उसे अधिनियमित करने से पहले भी वहां की लोक लेखा समिति में यही प्रथा अपनायी जाती रही। साथ ही, यह भी बताया गया है कि लेखा परीक्षा के दौरान, नियन्त्रक महालेखा परीक्षक ऐसी बातों का उल्लेख कर सकता है जो उसकी राय में लोकहित विषयक हों।

हम समझते हैं कि महालेखा परीक्षक ने अपना काम पूरा किया है। हम केवल यह जानकारी चाहते हैं कि क्या अपने कर्तव्य पालन के लिये उसने गैर-सरकारी व्यक्तियों से जानकारी मांगी थी जैसा कि बताया गया था, और मैं समझता हूं कि आप वह विवरण सभा के सामने रखने के लिये वित्त मंत्री को आदेश दे सकते थे। और जैसा कि पहले बताया, श्री मावलंकर ने इस सभा में पूर्वोदाहरण भी रखा है।

†**श्री प्रभातकार** : श्री नाथ पाई के स्पष्टीकरण से यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रश्न गृहीत नहीं किया जाना चाहिये था क्योंकि मैंने महालेखा परीक्षक के कार्यों के बारे में सीधे ही वित्त मंत्री से प्रश्न पूछा था।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : वह अब आपके निर्णय पर आपत्ति कर रहे हैं ? उसके लिये अनुमति नहीं होनी चाहिये ।

†**श्री प्रभातकार** : मुझे आपके निर्णय के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है । जो बातें सामने रखी गयी हैं मैं उन्हीं को समझाने की कोशिश कर रहा हूं । अब प्रश्न यह रखा गया है कि वित्त मंत्री से यह प्रार्थना की जाये कि वे प्रतिरक्षा मन्त्री के भाषण पर अपनी राय के साथ महालेखा परीक्षक से एक विवरण प्राप्त करें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर उन्होंने आपत्ति की है और मैं उसका उत्तर दे चुका हूं । यदि आवश्यक हो तो मैं आगे और उत्तर दूंगा ।

†**श्री प्र० के० देव** : मैं आपका निर्णय मानता हूं लेकिन साथ ही मेरा निवेदन है कि अभी इस सभा द्वारा कोई लोक लेखा समिति कायम नहीं की गयी है और जब तक कोई लोक लेखा समिति काम न करने लगे तब तक मेरी राय में माननीय वित्त मंत्री को सभा के सामने विवरण रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : इस सभा में हम अक्सर यह देखते हैं कि मन्त्रिमण्डल के सदस्य महा लेखा परीक्षक की आलोचना करते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सामान्य प्रश्न इस समय नहीं उपस्थित किया जाना चाहिये । वह सभा के सामने अभी नहीं है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मेरी प्रार्थना यह है कि क्या यह उचित समय नहीं है कि अध्यक्ष महोदय इस मामले में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें ताकि ऐसी चीजें बार बार सभा में न आयें ।

†**श्री त्यागी** : मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न नियम बाह्य है । इस प्रश्न की भाषा और शैली इस प्रकार की है कि वह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है, जिसके लिए सामान्यतया अनुमति नहीं दी जाती इसमें कोई जानकारी नहीं मांगी गयी है । इसलिये इसे गृहीत नहीं किया जा सकता ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार की आलोचना नहीं होनी चाहिये । वह अपनी जगह बैठ जायं । हम इस पर भी विचार करें कि इस पर हम कितना समय खर्च कर रहे हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या हम इस पर निर्णय मांग सकते हैं कि क्या महालेखा परीक्षक संवैधानिक प्रमुख नहीं है जो सरकार के अनियन्त्रित व्यय की जांच करे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ये अलग सवाल है जो सभा के सामने नहीं है ।

जहां तक प्रश्नों को गृहीत करने का सम्बन्ध है, मुझे ही एकमात्र और अन्तिम अधिकार है । वह ठीक है या गलत यह नहीं पूछा जा सकता । मैंने उसे गृहीत कर लिया है । लेकिन साथ ही मन्त्रियों के उत्तर के सम्बन्ध में अर्थात् वह उत्तर देना चाहते हैं या नहीं, और किन शब्दों में देना चाहते हैं, यह उनके निश्चय करने की बातें हैं । मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता या जबर्दस्ती उत्तर नहीं निकलवा सकता । यदि यह अधूरा उत्तर देते हैं, या पूरा पूरा उत्तर नहीं देते, तो मैं सिर्फ कभी कभी सुझाव दे सकता हूं लेकिन उसका उपाय सभा के पास है, अध्यक्ष के पास नहीं । मेरा काम प्रश्न को गृहीत करना था । मैंने वह किया और इस समय इस पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिये कि वह ठीक है या गलत । उसकी चर्चा और किसी समय की जा सकती है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

दूसरे, महालेखा परीक्षक के अधिकार, उसकी शक्तियों, प्रशासनिक ब्यौरे तथा दूसरी बातों का जहां तक सम्बन्ध है, वह एक व्यापक प्रश्न है। वह किसी और समय उठाया जा सकता है और मैं उसे लेने के लिये तैयार हूं। जब मैं अपना निर्णय देना चाहता था तो मेरे सामने कोई प्रस्थापना नहीं थी। अब हमारे पास वे सारे तथ्य हैं जो माननीय सदस्य चाहते हैं। उसे सारी शक्तियां प्राप्त हैं। इसी लिये मैं चाहता था कि महालेखा परीक्षक अपने विचार से अपने कर्तव्यों और शक्तियों की जानकारी हमें दें क्योंकि संसद् ने अभी तक उस सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बनाया है। मेरी कठिनाई यही थी।

अब यह एक दूसरी चीज है कि हम दूसरे कौनसे उपाय कर सकते हैं। जहां तक वर्तमान प्रश्न का सम्बन्ध है, हमने वित्त मन्त्री का उत्तर सुना है। अब सभा को विचार करना है कि हम आगे क्या कुछ कर सकते हैं। जो भी सम्भव होगा हम करेंगे। यह कहा गया है कि लोक लेखा समिति अभी तक नहीं बनायी गयी है। यदि किसी कार्यवाही की कोई सूचना मुझे दी जायगी तभी मैं उस पर विचार कर सकता हूं कि वह ठीक प्रकार से है या नहीं। जब तक कोई सुझाव न आये या माननीय सदस्य मुझे कुछ करने के लिए न कहें या किसी रूप में चर्चा की कोई सूचना मुझे न दें तब तक मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। इसलिये इस विषय को समाप्त समझा जाय और हम अगला प्रश्न लें (अन्तर्बाधा)

†**श्री नाथ पाई :** हमें कुछ अनुपूरक प्रश्न पूछने हैं। अपने प्रश्न की ग्राह्यता के बारे में हम आपका निर्णय मानते हैं यद्यपि उस सम्बन्ध में हमने आपके पूर्ववर्ती का पूर्वोदाहरण प्रस्तुत किया था।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने उसका बिल्कुल ठीक ठीक पालन किया है क्योंकि जहां तक ग्राह्यता का सम्बन्ध है वह अध्यक्ष पर ही निर्भर है लेकिन मन्त्री क्या उत्तर देता है यह बिल्कुल अलग चीज है।

†**श्री नाथ पाई :** संविधान के अनुच्छेद १४९ में कहा गया है कि महालेखा परीक्षक की शक्तियां और उसके अन्य कार्य संसद् में विधि द्वारा उल्लिखित किये जायेंगे। एक समय तो सभा की कार्यसूची में, इस आशय का एक विधेयक पेश करने के लिये शामिल भी किया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह अपना प्रश्न पूछें।

†**श्री नाथ पाई :** महालेखा परीक्षक की शक्तियां, कार्य और उसके अधिकारों को निर्धारित करने वाला एक उपयुक्त विधान कब प्रस्तुत करने का वित्त मन्त्री का विचार है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** हम इस मामले में नियन्त्रक महालेखा परीक्षक से लिखा पढ़ी कर रहे हैं। कुछ प्रारूप तो पहले ही बनाया जा चुका है और हम उसे यथाशीघ्र प्रस्तुत करना चाहते हैं।

†**श्री नाथ पाई :** इस विधेयक को प्रस्तुत करने में देर किन कारणों से हुई है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** कारण यह है कि नियन्त्रक महालेखा परीक्षक ने कुछ आपत्तियां उठायी थीं........ (अन्तर्बाधा)

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच नहीं है कि आये साल महालेखा परीक्षक ने प्रतिरक्षा मन्त्रालय की जानी बूझी गलतियां बतायी हैं उस स्थिति को सुधारने के लिये क्या किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह एक व्यापक प्रश्न है जो अभी इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** पिछले पांच वर्षों में जबकि वित्त मन्त्री मन्त्रिमण्डल के सदस्य रहे, क्या मन्त्रिमण्डल में इस मामले पर, सरकार और नियन्त्रक—महालेखा परीक्षक की या दूसरे शब्दों

---

†मूल अंग्रेजी में

में, लेखा परीक्षा तथा प्रशासन की विचारधारा पर विचार किया गया है और इस सम्बन्ध में कोई आचार संहिता बनायी गयी है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : उसका कभी विवाद नहीं था, उस पर विचार करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रतिरक्षा मंत्री ने इन कथनों और पहली लोक सभा में भी श्री सी० डी० देशमुख के भाषणों के कारण क्या इस मामले पर मंत्रिमंडल में विचार किया गया है और क्या लेखापरीक्षण तथा प्रशासन के सम्बन्ध में आचार संहिता बनाने का प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : कानून द्वारा नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के कर्तव्यों की परिभाषा करने के प्रश्न पर मंत्रिमंडल में विचार किया गया है और जैसाकि मैंने बताया, उस पर विचार हो रहा है और एक विधेयक सभा के सामने रखा जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : औचित्य प्रश्न के हेतु श्रीमन् । यहां महालेखा परीक्षक ने प्रतिरक्षा मंत्रालय की गलतियां दिखलाई हैं । इसलिये औचित्य प्रश्न यह है कि संसद् को यह पूछने का अधिकार है या नहीं कि क्या सरकार ने इन अनियमितताओं पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया है और स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न पर यह औचित्य प्रश्न बिलकुल संगत नहीं होगा । अगला प्रश्न ।

†**श्री उ० म० त्रिवेदी** : औचित्य प्रश्न के हेतु श्रीमन् । आप ने यह निर्णय दिया कि आप प्रश्नों को गृहीत कर सकते हैं और उत्तर देना मंत्रियों पर निर्भर है । लेकिन मंत्रियों को भी असंगत विषयों पर नहीं वरन् संगत विषयों पर जो प्रश्न से उत्पन्न होते हों, उत्तर देना चाहिये । माननीय वित्त मंत्री ने आज जो उत्तर दिया है वह यहां रखे गये प्रश्न से बिलकुल असंगत है । प्रश्न का उत्तर देना उनका कर्त्तव्य है लेकिन उन्होंने अपने उत्तर में सारा बोझ लोक लेखा समिति पर डाल दिया है कि इस प्रश्न का उत्तर देना या न देना लोक लेखा समिति का उत्तरदायित्व है । प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने विवरण प्राप्त किया है, क्या महालेखा परीक्षक ने उन्हें विवरण देने से इन्कार कर दिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि मंत्री महोदय ने प्रश्न का उत्तर दे दिया है, तो वह उत्तर पूरा है या नहीं इसके लिये सभा के पास दूसरे तरीके हैं जिन्हें वह अपना सकती है । मैं यहां विशिष्ट उत्तर नहीं दिलाने के लिये नहीं हूं । कभी कभी जब मुझे यह महसूस होता है कि उत्तर सीधा नहीं है तब मैं हस्त-क्षेप करता हूं लेकिन जहां तक संसदीय लोकतंत्र का सम्बन्ध है, मंत्रियों को या सरकार को हटाना सभा का काम है । वह मेरा काम नहीं है। इसलिये आगे कार्यवाही करना सभा का काम है । अगला प्रश्न ।

गुजरात तेल शोधक कारखाना

†*१५११. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री मुरारका :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात तेल शोधक कारखाने के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह संभवतः कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) इस तेल शोधक कारखाने की लागत का क्या अनुमान है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) गुजरात तेल शोधक कारखाना के सम्बन्ध में की गई प्रगति का उल्लेख नीचे दिया जाता है :—

(१) कोमाली के समीप तेल शोधक कारखाने का स्थान निश्चित कर लिया गया इस काम के लिये भूमि अधिग्रहण करने क काम में प्रगति हो रही है ।

(२) तेल शोधक कारखाना के "सिविल" और "मेकेनिकल" कामों के लिये अपेक्षि सूचना और स्थान संबंधी दित्ता इकट्ठे कर लिये गये हैं और रूसी प्राधिकारियों को भेज दिये गये हैं ।

(३) तेल शोधक कारखाना के उत्पादों के वितरण संबंधी समस्याओं का परीक्षण "पेट्रोलियम" संस्था दिल्ली के अभिकरण के द्वारा किया गया है ।

(४) अंकलेश्वर शोधित का विश्लेषण और तेल शोधक कारखाने का प्रस्तावित उत्पाद स्वरूप रूसी प्राधिकारियों से प्राप्त हो चुके हैं ।

(५) ९ इंजीनियरों का एक दल तेल शोधक कारखाने के लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में भाग लेने के हेतु मास्को भेजा गया है ।

(६) तेल शोधक कारखाना तथा नगर के लिये मानचित्र संबंधी सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

(७) विस्तृत भूमि और तेल शोधक कारखाने के स्थान पर भूतत्वीय अनुसंधान कार्य किया जा रहा है ।

(८) तेल शोधक कारखाने तक शोधन जल के संभरण की एक प्रारंभिक योजना तैयार की गई है ।

(ख) वर्तमान कार्य-स्थिति के अनुसार, १० लाख टन परियोजना के पहले प्रक्रम की सितम्बर, १९६४ तक पूर्ण हो जाने की संभावना है और शेष १० लाख टन का दूसरा प्रक्रम उस के ६-से ८ महीनों पश्चात् लिया जायेगा ।

(ग) परियोजना की लागत, अक्तूबर १९६२ में अपेक्षित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् मालूम होगी, अस्थायी तौर पर लागत ३० करोड़ रुपये होने की संभावना है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : तेल शोधक कारखाने के स्थान के लिये किन किन स्थानों की जांच की गई थी और वर्तमान स्थान को चुनने से क्या विशेष सुविधायें प्राप्त होंगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : एक विशेषज्ञ समिति ने अन्ततोगत्वा चार स्थानों की सिफारिश की थी जिन में कोमाली अन्तिम रूप से चुना गया था क्योंकि वहां जल, नाली व्यवस्था और मानचित्र

---

†मूल अंग्रेजी में

संबंधी हालतों के कुछ लाभ हैं। ये कुछ अन्य बातों के साथ दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिन के कारण विशेषज्ञ समिति ने इस स्थान को अन्तिम रूप से चुना है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : टाउनशिप तथा अन्य चीज़ों को मिला कर इस तेल शोधक कारखाने के स्थान के लिये कितनी भूमि अधिग्रहण की जा रही है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मोटे तौर पर लगभग १३०० एकड़ तेल शोध कारखाना, टाउनशिप तथा कुछ अन्य सहायक उद्योगों के लिये अधिग्रहण करने का विचार है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से मैं देखता हूं कि अंकलेश्वर कच्चे तेल का विश्लेषण सरकार को प्राप्त हो चुका है। इस रसायनिक विश्लेषण से कच्चे तेल में विभिन्न तत्वों की प्रतिशतता क्या है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मेरे पास यहां विस्तृत दित्ता नहीं है। मा० सदस्य इस के बारे में दूसरा प्रश्न कर सकते हैं।

खनिज निकालने के उद्योग

†*१५१२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज निकालने के उद्योगों की उन्नति के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त करने की कोई प्रस्थापना सरकार के सामने है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**खान और इंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या)** : (क) और (ख) सरकार का खनिज निकालने की योजनाओं में गैरसरकारी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो सरकार ने पहले स्वयं आरंभ कर रखे हैं या आरम्भ करने का विचार करती है। तथापि सरकार गुण दोषों क आधार पर तथा औद्योगिक नीति संकल्प के क्षेत्र के अन्दर, गैरसरकारी क्षेत्र के साथ सहयोग करने क प्रश्न पर विचार करने के लिये तैयार है, जहां खनन कार्य में गैरसरकारी क्षेत्र इस प्रकार का सहयोग चाहता है। अभी हाल ही में एक ऐसी व्यवस्था की गई है मैंगनीज़ खनन के संबंध में सैंट्रल प्राविंसिज़ मैंगनीज़ और कम्पनी लिमिटेड के साथ, इस का ब्योरा १२ जून १९६२ को सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि सरकारी क्षेत्र में जो कोयला निकलता है वह उतना संतोषजनक नहीं निकलता है जितना कि प्राइवेट सेक्टर में ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राइवेट सेक्टर से सहायता ले कर के कोयले का उत्पादन बढ़ायेगी ?

श्री के० दे० मालवीय : सरकार की यह नीति है कि जो प्राइवेट सेक्टर कोयला उत्पादन कर रहा है उन को करने दिया जाय और वह जो सहायता मांगते हैं उस को गवर्नमेंट मुनासिब समझे तो दे। असल में इस समय जो कोयला उत्पादन हो रहा है वह प्राइवेट सेक्टर और पबलिक सेक्टर दोनों के सहयोग से हो रहा है।

श्री विभूति मिश्र : मांग को देखते हुए कोयले का उत्पादन कम हो रहा है। क्या इस मांग को देखते हुए सरकार प्राइवेट सेक्टर को और प्रोत्साहन देना चाहता है ताकि कोयले का उत्पादन बढ़े और फैक्टरियों की मांग पूरी हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री के० दे० मालवीय : प्राइवेट सेक्टर के प्रोत्साहन से ही कोयले के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती, और भी बहुत से कारण हैं, उन सब पर सरकार गौर कर रही है और कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह तथ्य है कि दूसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में कोयले का उत्पादन लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और यदि हां, तो इस बात के लिये कि तीसरी योजना में लक्ष्य पूरा हो सके, क्या कारंवाई की गई है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इस सामान्य प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है, जो खनिज निकालने की योजनाओं में गैरसरकारी भागिता के बारे में है ।

ब्रिटेन के स्कूलों में भारतीय बच्चों की भरती

†*१५१३. **श्री रवीन्द्र वर्मा** :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री वारियर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री मे० क० कुमारन् :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साउथॉल मिडिलसेक्स, ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय बच्चों को स्थानीय प्राइमरी स्कूलों में भरती नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने भारतीय बच्चों को इस प्रकार भरती करने से इन्कार कर दिया गया है और उस के कारण क्या हैं ? ;

(ग) क्या सरकार को विश्वास है कि भारतीय बच्चों को भरती न करने का कारण रंग-विषयक भेदभाव नहीं है ; और

(घ) सरकार ने इस बात के लिये क्या कदम उठाये हैं कि भारतीय बच्चों को इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं से वंचित न रखा जाये ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति होने तक साउथॉल के स्कूलों में वर्तमान क्षमता भारतीय बच्चों के बड़े पैमाने पर आगमन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये नाकाफी थी । २० शिष्यों को प्रतीक्षा सूची पर तब तक के लिये रखना पड़ा, जब तक वरी परिषद अपने अध्यापकों को बढ़ा सकती । प्रतीक्षा सूची के सभी बच्चों को प्रवेश दिया जा चुका है ।

सरकार इस बात से संतुष्ट है कि भारतीय बच्चों को प्रवेश न मिलने के लिये गोरे काले का अन्तर कारण नहीं था । इंगलैंड में १५ वर्ष की आयु तक शिक्षा अनिवार्य है और स्थानीय नगर, कस्बा और वरो परिषदों का कर्त्तव्य है कि वे अनिवार्य शिक्षा की संविहित आवश्यकता को पूरा करने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करें । भारत सरकार द्वारा इस काम के लिये कोई कारंवाई किये

†मूल अंग्रेजी में

जाने का प्रश्न नहीं उठता कि भारतीय बच्चों को इंगलैंड में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा से इन्कार न किया जाये ।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान "मिडल सैक्स काउंटी टाइम्स" में प्रकाशित एक रिपोर्ट की ओर आर्कषित किया गया है जिस में "काले रंग वाले लोगों द्वारा शिक्षा की समस्या उत्पन्न कर दी गई है" शीर्षक के अन्तर्गत एक समाचार प्रकाशित किया गया था, जिस में कहा गया था कि बेकन फीड रोड प्राइमरी स्कूल में और अधिक भारतीय बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाता और यदि हाँ, तो क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केवल भारतीय बच्चों को ही स्कूल में प्रवेश क्यों रोका गया था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस बस्ती में अधिकतर भारतीय बसे हुए हैं । प्रवेश में कुछ कठिनाई थी क्योंकि स्थान पहले ही भरे जा चुके थे और बच्चों को प्रतीक्षा-सूची पर रखा गया था । अब बच्चों को प्रविष्ट किया गया है और अब और कोई कठिनाई नहीं है ।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान "मिडल सैक्स काउंटी टाइम्स" में प्रकाशित दूसरी रिपोर्ट की ओर आर्कषित किया गया है, जिस में कहा है कि साउथॉल परिषद् स्कूल की समिति ने मिडल सैक्स काउंटी परिषद शिक्षा समिति तथा इसके प्रमुख शिक्षा अधिकारी के असहयोगी व्यवहार का विरोध किया है और भारतीय समाज, जिसका साधारणतया वरी परिषद के साथ अच्छा सम्बन्ध है, असहयोगी रवैये के प्रति विरोध में शामिल हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि उनका असहयोगी रवैया क्या था, और क्या यह रंग भेद नहीं है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहाँ तक मुझे पता है, कुछ वास्तविक कठिनाई थी, क्योंकि वह विद्यार्थियों की भीड़ थी । हमारे अपने देश में, हम अधिकतर देखते हैं कि बच्चों को प्रतीक्षा सूची पर रखा जाता है, जब भीड़ होती है । यही चीज इस विशिष्ट स्थान पर भी हुई है । और २० बच्चों को प्रतीक्षा सूची पर रखा गया । उन्ह प्रविष्ट कर लिया गया है और मैं नहीं समझता कि हमें इसके बारे में अधिक शोर नहीं मचाना चाहिये । हम ने पूछताछ की है, यह कहने में कोई औचित्य नहीं है कि वहाँ कोई रंगभेद था ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : माननीय मंत्री ने यह उत्तर नहीं दिया कि केवल भारतीयों को विशेषतर प्रवेश मना किया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह उत्तर दे चुके हैं कि उस बस्ती में अधिकतर भारतीय लोग बसते हैं ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या सरकार ने यह पूछ लिया है कि क्या केवल भारतीय बच्चों को ही प्रतीक्षा सूची पर रखा गया था या गोरे रग के बच्चों को भी अधिकता के कारण प्रतीक्षा सूची पर रखा गया था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हमें केवल भारतीय बच्चों से सम्बन्ध था और हमने केवल उनके बारे में पूछताछ की थी ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान "मिडल सैक्स काउंटी टाइम्स" की इस रिपोर्ट की ओर आर्कषित किया गया है कि भारतीय बच्चों के लिये विशेष 'रिसेप्शन क्लासेज़' आयोजित की जायेंगी ? यदि हाँ, क्या वह रंगभेद की बात नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं केवल यह कह सकता हूं कि यह सोचने में कोई औचित्य नहीं है कि वहाँ कोई रंगभेद किया गया था । हम ने इस मामले में पूरी जाँच कर ली है । यह बहुत छोटा मामला है जो किसी दूसरे स्थान पर भी हो सकता है; यह समारे अपने देश में हमेशा होता रहता है । हमें इसे बढ़ाना नहीं चाहिये ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या सरकार की ऐसी नीति भी है कि जिन देशों में भारतीय बच्चों की संख्या अधिक हो और उन के स्कूलों में प्रवेश पाने में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो रही हो तो सरकार अपने स्तर पर भी क्या उनके वहाँ प्रवेश पाने के लिए कुछ व्यवस्था कर सकेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : सरकार दूसरे देशों में इंतजाम कराने से पहले स्वयं अपने यहाँ तो बच्चों के प्रवेश का इतजाम कर ले ।

†श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री ने कहा है कि यह हमारे देश में भी होता है। क्या इस का अर्थ है कि प्रवेश के मामले में 'रंग का भेद' यहाँ भी होता है ?

†अध्यक्ष महोदय : उनको गलत नहीं समझा जाना चाहिये । 'रंग भेद' नहीं । माननीय मंत्री ने कहा है कि विद्यार्थी प्रतीक्षा सूची पर यहाँ भी रहते हैं ।

मद्रास शहर का दर्जा बढ़ाना

†*१५१४. श्री उमानाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के प्रयोजन के लिये मद्रास शहर का दर्जा बढ़ाकर उसे 'ए' श्रेणी का नगर घोषित करने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है;

(ग) अभ्यावेदन किस से प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इस शहर का दर्जा बढ़ाने में अब तक कौन सी बाधायें थीं ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी हाँ ।

(ख) सरकार ने फैसला किया है कि इस समय मद्रास को 'क' श्रेणी का नगर नहीं बनाया जा सकता ।

(ग) विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ, कुछ गैर सरकारी लोगों और लोक सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री ऐंथनी पिल्ले की ओर से ।

(घ) दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर किये गये निर्णय के अनुसार केवल २० लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहम ही 'क' श्रेणी में लाये जाने के लिये अर्ह होते है, प्रतिकर (नगर) और मकान किराया भत्तों के मामले में । मद्रास 'क' श्रेणी का नगर बनने के लिये अर्ह नहीं है क्योंकि १९६१ के अस्थायीजनगणना आँकड़ों के अनुसार वहाँ की जनसंख्या २० लाख से कम है ।

†श्री उमानाथ : मद्रास निगम ने शहर की जनसंख्या को २० लाख से अधिक आँका है और वित्त मंत्रालय के नवीनतम प्रकाशन में भी कहा है कि दिल्ली का उपभोक्ता सूचक १९५५ में ९९ से १९६१ में बढ़ कर १२१ हो गया है जब कि मद्रास के मामले में यह ९९ से बढ़ कर १४७ हो गया है अर्थात् २० से अधिक का अन्तर है । क्या सरकर ने इन बातों की ओर ध्यान

†मूल अंग्रेजी में

दिया है, यदि नहीं तो सरकार इन बातों के होते हुए इस शहर को उन्नत न करने की स्थिति का कैसे समर्थन करती है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जहाँ तक 'क' श्रेणी के नगर की जनसंख्या का सम्बन्ध है, केवल नगरपालिका या निगम सीमा ही 'क' और 'ख' श्रेणियों के रूप में नगरों का वर्गीकरण करने की कसौटी समझी जाती है । मद्रास की जनसंख्या निगम के अनुसार २० लाख नहीं है ।

†**श्री उमानाथ** : क्या सरकार का ध्यान सभा पटल पर मद्रास के मुख्य मंत्री के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि मुख्य मंत्री पुर्नविचार के लिये इस प्रश्न को गंभीरतापूर्वक उठा रहा है ? क्या मद्रास सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है, यदि नहीं, तो मुख्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : हमारे पास जो अकेला अभ्यावेदन आया है उस का मैं मूल उत्तर में पहले ही उल्लेख कर चुकी हूं । मैं नहीं समझती कि हमारे पास शासकीय तौर पर मद्रास के मुख्य मंत्री की ओर से कोई अभ्यावेदन आया है ।

†**श्री नम्बियार** : मद्रास नगर के लिये जनगणना के आँकड़े क्या हैं ? माननीय उपमंत्री ने कहा है कि वहाँ की जनसंख्या २० लाख नहीं हुई है । क्या इस का यह कारण है कि घूमने फिरने वाले लोग इस में शामिल नहीं हैं ? २० लाख में कितनी कमी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : नवीनतम जनगणना के अनसार मद्रास शहर की जनसंख्या १७,२५,२१६ है ।

दिल्ली में सहायता-प्राप्त प्राइवेट स्कूल

†*१५१५. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अधिकांश सहायता-प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं होने तथा सरकारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही न की जाने के समाचार मिले हैं;

(ख) क्या दिल्ली के शिक्षा विभाग के किसी उच्च अधिकारी ने ऐसे स्कूलों के प्रबन्ध आदि की कोई जाँच की थी; और

(ग) ऐसी अनियमितताओं को तुरन्त रोकने के लिये सरकर क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं । केवल कुछ सहायता-प्राप्त स्कूलों की प्रतिकूल रिपोर्ट मिली है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) त्रुटिपूर्ण प्रबंधकों के विरुद्ध उपयुक्त कारंवाई की जा रही है, जो उन के द्वारा की गई अनियमितताओं के स्वरूप पर निर्भर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : किये गये अनुसन्धान के परिणामस्वरूप किस प्रकार की बड़ी त्रुटियाँ और अनियमिततायें सरकार के ध्यान में लाई गई हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कई बार विभागीय नियमों का उल्लंघन किया जाता है । कई बार झूठे प्रमाणपत्र दिये जाते हैं, कई बार अनधिकृत शुल्क लिये जाते हैं आदि आदि । इस प्रकार की अनिमितताएं होती हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या अनुसंधान से यह भी पता चला है कि प्रबंधकों ने बड़े गबन किये हैं, यदि हाँ, तो जैसाकि माननीय मंत्री ने बताया है, क्या उपयुक्त कार्रवाई की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : छोटा या बड़ा, गबन गबन होता है । कभी कभी सरकार को स का पता चलता है और कई बार सरकार विशेष लेखा परीक्षा दल भेजती है और लेखाओं की परीक्षा की जाती है ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में बहुत सी शैक्षिक दुकानें हैं, जिन्हें न तो सरकार से कोई सहायता मिलती है और न ही वे सरकार द्वारा नियंत्रित हैं ? यदि हाँ, तो सरकार ऐसा करने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ताकि वे अस्वस्थ ढंग से न चलें जैसा कि इस समय होता है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह भी सरकार का उत्तरदायित्व है कि प्रत्येक बच्चे के लिये शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करे और वे सुविधायें दिल्ली में पैदा की गई हैं, जहाँ किसी भी लड़के को किसी भी श्रेणी में प्रवेश मना नहीं किया जाता । अब, यदि माता पिता उनको किसी अन्य शैक्षिक दुकान या दूसरी शिक्षा संस्था को भेजना चाहते हैं, तो उन को वैसा करने का पूरा हक ह । जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है, वे सुविधाओं का प्रबन्ध करने और सुविधाओं को बढ़ाने के लिये लगातार प्रयत्न कर रही है ताकि ये तथाकथित शैक्षिक दुकानें समाप्त हो जायें ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह बड़ा आकर्षक वक्तव्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी को दिल्ली के किसी भी स्कूल में प्रवेश मिल सकता है जबकि वस्तु स्थिति यह है कि प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों की संख्या मंत्रालय द्वारा किये गये प्रबंध से कहीं अधिक है । क्या मा० मंत्री के पास यह दर्शाने के लिये कोई सांख्यकी है कि प्रत्येक प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश दिया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी, हाँ । मैं ने इस विषय पर सभा में एक वक्तव्य दिया था । यदि मा० सदस्य को किसी मामले का पता है तो वह उस की सूचना मुझे दे सकते हैं। निस्सन्देह, मैं किसी विशिष्ट संस्था में प्रवेश दिलाने की प्रतिज्ञा तो नहीं कर सकता । हो सकता है किसी संस्था में स्थान उपलब्ध न हों और दूसरी संस्था में कुछ स्थान उपलब्ध हो, किन्तु प्रवेश सब विद्यार्थियों को दिया जाता है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह एक या दो विद्यार्थियों की बात नहीं है यह बहुत से विद्यार्थियों को प्रवेश न मिलने का मामला है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय मा० मंत्री की सूचना स्वीकार की जाय और यदि कोई मामला है तो उनको लिख दिया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : क्या दिल्ली में गैर-सरकारी स्कूल हैं जिन्हें कुल व्यय के ९० या ९५ प्रतिशत तक सहायता मिलती है और उनका अंशदान केवल ५ प्रतिशत तक होता है ? क्या उस अनुपात में सहायता दी जाती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हाँ । ऐसी ही बात है ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार कई प्रबंधकों के विरुद्ध बार बार के आरोप हैं और इस बात को भी दृष्टिगत रखते हुए कि सरकार वेतनों का लगभग ९५ प्रतिशत देती है, सरकार अध्यापकों को वेतन आदि का सीधा भुगतान करने की पद्धति क्यों लागू नहीं करती ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह एक कार्रवाई का सुझाव है ।

†**श्री त्यागी** : और उत्तम सुझाव भी है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या सरकार को पता है कि इन में से कुछ गैरसरकारी स्कूलों में जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हैं, सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदत्त वेतन केवल कागजों में होते हैं और अध्यापकों को बहुत कम वेतन मिलते हैं यद्यपि उन को पूरी राशि के लिये हस्ताक्षर करने पड़ते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह बता चुके हैं कि ऐसी कुछ अनियमितताएं होती हैं ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : उन को कितने ऐसे मामलों की सूचना मिली है और इसे समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस समय मेरे पास यह सारा ब्योरा नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के सचिव द्वारा हाल ही में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि अध्यापकों को प्रबन्धकों को मन मरजी के अनुसार मुअत्तिल, बरखास्त और पदावनत किया जाता है और उन की नौकरी सुरक्षित नहीं है और यदि हाँ, तो सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं ने यह वक्तव्य नहीं देखा किन्तु शिक्षा मंत्रालय के इस उद्देश्य के लिये कि ऐसे मन मरजी के निर्णय न किये जायें बहुत से उपाय किये हैं । इस के अलावा, जिस प्रकार मा० सदस्य ने कहा है, अध्यापकों को बरखास्त नहीं किया जा सकता । इस मामले में भी, यदि कोई विशिष्ट मामला हो तो मा० सदस्य मुझे उस की सूचना दे सकते हैं । चूंकि यह दिल्ली के बारे में है इन बातों की ओर मा० सदस्य के लिये मेरा ध्यान आकर्षित कराना बड़ा सरल है और मैं तुरन्त कार्रवाई करने की प्रतिज्ञा करता हूं ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या सरकार इन राजकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं के प्रबंधक-मंडलों में प्रतिनिधियों को नामित करने का विचार करती हैं ताकि इन संस्थाओं के सुचारूपेण संचालन में सहायता मिल सके ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

उच्च श्रेणी के कोयले के मूल्य

+

†*१५१६. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती मैमूना सुल्तान : }

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये उच्च श्रेणी के कोयले के मुल्यों में वृद्धि के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख) १३-६-६२ को अधिसूचित की गई वृद्धि को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कोयले की किस्म		मूल्य में प्रति टन
कोकिंग	कोकिंग से भिन्न	वृद्धि रुपये नये पैसे
(क) (ख) (ग)	चुना हुआ क	१.५०
(घ) (ङ)	चुना हुआ ख	१.००
(च) (छ) (ज)	ग्रेड १	०.७५
(जज) (ञ) (ट) (ठ)	ग्रेड २	०.३८

तल्टीय (१) दूर के कोयला-क्षेत्रों में चुने हुए 'क' और 'ख' ग्रेड नहीं हैं—किन्तु केवल एक ग्रेड 'चुना हुआ ग्रेड' है । इस के मामले में मूल्य वद्धि उतनी है जितनी बंगाल/बिहार के लिये चुने हुए 'ख' में है, अर्थात् केवल १ रुपया ।

(२) सब कोकिंग कोयलों जज से ठ तक और ग्रेड २ के कोकिंग से भिन्न कोयले को अधिकतम मूल्य में बदला गया है । ग्रेड जज से ठ कोकिंग कोयले को एक ग्रेड जज में परिवर्तित किया गया है ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : दूसरे ग्रेड के कोयले को अधिकतम मूल्य में बदले जाने के कारण क्या हैं ? इसका कोयला उद्योग एवं उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री के० दे० मालवीय : कोयला उद्योग से इस मामले पर परामर्श किया गया था और यह उनको बताया गया था कि ऊंचे ग्रेड के कोयले के उत्पादन में कुशलता लाने के लिये यह आवश्यक था कि एक ऊपरी सीमा पद्धति जारी की जाए ताकि जो कम दामों पर बेचना चाहें वे बेच सकें किन्तु अधिक दामों पर न बेच सकें ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्योंकि देश में कोयल की कमी है, क्या सरकार मूल्य बढ़ाने के अतिरिक्त और किसी उपाय का विचार कर रही है, अर्थात् कोयला उद्योग के लिये रेत और स्थानीय निकालो का सम्भरण तथा उन को चलाने के लिय वित की व्यवस्था ?

†श्री के० दे० मालवीय : जी हां सरकार विविध प्रस्तावों पर विचार कर रही है जो कोयला उत्पादकों को प्रोत्साहन देने वाले हैं । नकेवल यह मूल्य की यह सीमान्त वद्धि ही घोषित की गई है कन्तु कुछ अन्य रियायतें भी विचाराधीन हैं और मैं कोयला उत्पादकों को निमंत्रित करूंगा कि वे सरकार के सामने अपनी बात रखे ताकि शीघ्र निर्णय किया जा सके कि अधिक कोयला उत्पादन करने के लिये हम उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं ।

†श्री भागवत झा आजाद : सरकार कोयला उठाने के प्रस्ताव को तैयार करने में कहां तक सफा रही है, जो खानों के द्वारों पर पड़ा है बजाय इससे उनको उत्पादन बढ़ाने की इच्छा उत्पन्न कराने के नाम पर मूल्य बढ़ाये ?

†श्री के० दे० मालवीय : यह प्रश्न परिवहन सम्बन्ध में है, कि खानों से कोयले को उपयोग स्थानों पर ले जाया जाये वर्तमान परिवहन की हालत को सुधारने के लिये विविध कारवाइयां विचाराधीन हैं ज्यों ही प्रस्ताव तैयार हो जायेंगे में उनको सभा के समक्ष रखूंगा ।

†श्री सिंहासनसिंह : प्रति टन कोयले को उत्पादन लागत क्या है और वर्तमान मूल्य क्या ? मुझे बताया गया है कि उत्पादन लागत १२ रुपये टन है और बिक्री दाम २० रुपये टन हैं कोयले के दाम को पुण: ढ़ाने का बिचार करने के लिय सरकार को किन कारणों ने बाध्य किया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : यह बड़ा व्यापक प्रश्न है यह बडा पेचीदा है किसी शिष्ट किस्म के कोयले को उत्पादन लागत बताना मेरे लिये सरल नहीं है प्रत्येक कोयला खानों में यह भिन्न भिन्न हो सकती है । औसत हालतों को ध्यान में रखा गया है और हम अभी कोयले की लगात लगाने की जांच कर रहे हैं । यह जांच करने में कुछ समय लग जाएगा कि कोयले के दाम निर्धारित करने में कौन से तत्व काम करते हैं ।

†श्री त्यागी : क्या मा० मन्त्री ने आज "हिन्दुस्तान टाइम्स" के प्रमुख लेख की ओर ध्यान दिया है जहां उनको कोयला सम्बन्धी नीति की कड़ी आलोचना की गई हैं । इन आलोचनाओं के बारे में उनको प्रतिक्रिया क्या है ?

†अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न के सम्बन्ध में होना चाहिये न कि उसकी आलोचना के सम्बन्ध में ।

†श्री के० दे० मालवीय : मैंने हिन्दुस्तान टाइम्स" के सम्पादकीय की आलोचना पढ़ी है और इस सम्बन्ध में मुझे दी गई मन्त्रणा भी मैंने देखी है मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि सरकार कुछ कार्यवाई कर रही है हमें देखना चाहियें कि परिणाम क्या निकलता है इस समय मैं केवल यह कहूंगा कि इस सम्पादकीय ने मुझ जो शिक्षा दी है वह मैंने देख ली है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला धमन भट्टी

+

†*१५१७. { श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला में धमन भट्टी नं० १ अब भी काम में नहीं लाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वह कब से काम में नहीं लाई जा रही है ;

(ग) इस भट्टी को काम में न लाने के परिणामस्वरूप इस्पात संयन्त्र के दैनिक और कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(घ) इस भट्टी को चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ङ) इस भट्टी को अधिष्ठापित क्षमता पर काम करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) १७ जनवरी, १९६२

(ग) जब धमन भट्टी नं० १ बन्द हो गई थी उस समय केवल दो धमन भट्टियां चालू थीं। जब धमन भट्टी नं० १ बन्द हुई थी उस समय धमन भट्टी (३) को चालू कर दिया गया था यह सच है कि एक समय पर तीनों धमन भट्टियों को चलाया जा सकता था इसलिये रूरकेला में उत्पादन कम हुआ हैं। उत्पादन में नुकसान का सही निर्धारण करना सम्भव नहीं हैं ?

(घ) और (ङ) आवश्यक मरम्मत कर दी गई है तथा प्रयत्न किये जा रहे हैं कि यथासम्भव शीघ्र धमन भट्टी पुनः चालू हो जाने तथा अपनी क्षमतानुसार काम करने लगे।

†श्री महेश्वर नायक : इस धमन भट्टी की मरम्मत पर क्या व्यय हुआ है तथा इसका विकलन किस प्रकार होगा ? इसका विकलन भारत सरकार को होगा अथवा जर्मन कम्बाइन का जिसको धमन भट्टी के निर्माण का कार्य सौंपा गया था ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मरम्मत का काम रूरकेला संयन्त्र द्वारा किया गया था तथा मरम्मत का व्यय रूरकेला संयन्त्र द्वारा वहन किया गया था।

†श्री महेश्वर नायक : पिछले वर्ष हो "ब्लूमिंग" मिल तथा "स्लैबिंग" मिल बन्द हो गये थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई उच्च शक्ति वाली समिति को इन मशीनों के बन्द हो जाने का काम सौंपा गया था ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : क्या इस धमन भट्टी के बारे में ?

†अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या इन मशीनों के बन्द हो जाने के कारणों की जांच किसी समिति द्वारा की गई है क्योंकि पिछले वर्ष हो दो बार बन्द हो गई थीं।

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां। धमन भट्टी संख्या १ कई बार बन्द हो गई थी। इसीलिये बड़ी मरम्मत की गई है तथा अब मरम्मत की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते है कि इसकी जाच किसी समिति द्वारा की गई है ।

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इसके लिये कोई समिति नहीं बनाई गई हैं परन्तु अन्य मशीनों के बन्द हो जाने के लिये समिति बनाई गई है ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि जर्मन विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया था कि धमन भट्टी को पूरी सफाई कर दी जाय और सरकार द्वारा एसा न किये जाने के कारण पश्चिम जर्मन संसद् ने संयंत्र के अग्रतर विस्तार को बन्द कर दिया है क्योंकि उनका कहना है कि जब तक लक्ष्य क्षमता पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक अग्रतर विस्तार नहीं हो सकता है; और यदि हो तो सरकार इन मशीनों को ठीक करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैंने अपने उत्तर में अभी बताया कि दूसरी पूरी मरम्मत कर दी गई हैं। चालू होने हो वाली हैं । दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं इस समय नहीं दे सकता हूं ।

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : पहली धमन भट्टी के बंद हो जाने के भी कई मामले है। क्या सरकार ने इसका पता लगा लिया हैं कि इस संयंत्र की स्थापना में खराबी के कारण अथवा जर्मन कम्बाइन्स द्वारा संभरित सामान आवश्यकतानुसार न होने के कारण यह मशीनें बन्द हुई थीं ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जब यह धमन भट्टी हमें दी गई थी उस समय वह ठीक थी । बाद में इसमें खराबी आ गई और १९६१ में दस बार मशीन बन्द हुई । इसलिये भारतीय कर्मचारियों इसकी पूरी तरह से सफाई की है और आशा है कि अब यह ठीक चलेगी ।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या यह सच नहीं है कि जर्मन सलाहकारों के साथ समझौते के अनुसार संयंत्र निर्माण की खराबियों की मरम्मत उन्हें करनी थी तथा यदि हां तो मैं जानना चाहता हूं कि सलाहकारों से मरम्मत का व्यय लेने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह समझौते की शर्तों पर निर्भर करता हैं । पहली बात खराबी का दूर करना है । खराबी दूर कर दी गई है । इस मामले पर विचार किया जायगा कि क्या सलाहकारों के समझौते के अनुसार नुकसान वसूल करना सम्भव होगा । समझौता पढ़ने से मालूम होता है कि इसको उनसे वसूल करना सम्भव नहीं हैं ।

बोकारो इस्पात संयंत्र

*१५१८. श्री सरजू पाण्डेय : क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच प्रतिनिधि मण्डल ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ बोकारो इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में समझौता पूरा कर लिया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय के उप मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

परियोजित बोकारो संयंत्र के तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षणार्थ अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिये यू० एस० एजेंसी विशेषज्ञों की एक टीम को भारत भेज रही है। हाल ही मे वाशिंगटन का दौरा करने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का मुख्य काम यह सुनिश्चित करना था कि तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण टीम शीघ्र ही भारत पहुंच जाये और अविलम्ब काम शुरू कर दे। टीम के कार्य-क्षेत्र के बारे में भी बात चीत की गई थी।

यह टीम २१ जून, १९६२ को भारत पहुंचेगी। जहां तक टीम के कार्य-क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह निश्चय किया गया है कि तकनीकी-आर्थिक स्टडी दूसरे शक्य वैकल्पिक स्थानों के बारे मे विस्तृत जांच न कर के बोकारो की उपयुक्तता के मूल्यांकन तक ही सीमित होगी। इस से स्टडी टीम का काम कम हो जायेगा और समय की भी बचत होगी। स्टडी टीम बोकारो के लिये सिफारिश की गई प्रविधियों, कच्चे माल की उपलब्धि, परिवहन और प्रायोजना के सामान्य अर्थ सम्बन्धी मामलों के बारे में जांच करेगी।

यह आशा की जाती है कि टीम अपना काम सात महीनों के अन्दर अन्दर पूरा कर लेगी। प्रायोजना के लिए वित्तीय सहायता के बारे मे वास्तविक निश्चय स्टडी टीम द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद किया जायेगा।

श्री सरजू पाण्डेय : सभा पटल पर जो स्टेटमेंट रखा गया है, उस में यह नहीं बताया गया है कि बोकारो स्टील प्लांट की पूरी योजना कितने रुपये की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्लांट पर कितना रुपया खर्च होगा और उस की उत्पादन-क्षमता क्या होगी ?

Shri C. Subramaniam : It is xpected that initially it would be a one million ton plant. I am not in a position to give the cost at this stage.

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : आशा है कि आरम्भ में यह १० लाख टन का संयंत्र होगा। मैं इस समय लागत बताने में असमर्थ हूं।

श्री सरजू पाण्डेय : जहां तक मेरी जानकारी है, अमरीका से टेक्नीशन्ज की जो पार्टी आने वाली थी, उस ने बोकारो के अतिरिक्त और जगहों की भी जांच पड़ताल करनी थी, लेकिन इस स्टेटमेंट से यह मालूम होता है कि वह पार्टी सिर्फ बोकारो की जांच-पड़ताल करेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने और जगहों की जांच-पड़ताल करने का विचार त्याग दिया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जो टीम अमरीका से इस सम्बन्ध में आ रही है, वह सिर्फ बोकारो के सम्बन्ध में ही जांच-पड़ताल करने आ रही है।

†**श्री मे० क० कुमारन** : क्योंकि परियोजना में लगभग एक वर्ष का विलम्ब हो गया है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार माननीय मंत्री द्वारा इस सभा मे दिये गये वक्तव्य के अनुसार पहले ही कोई क़दम उठाने का है कि बोकारो को अमरीकी सहायता से और नहीं बनाया जायेगा और कहीं और से सहायता ली जायेगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी हां। ब्योरेवार परियोजना हमारे भारतीय सलाहकारों द्वारा बनाई जा रही है। इसलिए साथ साथ कार्यवाही की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० के० देव** : कुछ समय पहले हमारे भारतीय सलाहकार श्री एम० एन० दस्तूर की फर्म ने बोकारो संयंत्र का परियोजना प्रतिवेदन बनाया था । इस परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि इस की जांच के लिए अब अमरीकी विशेषज्ञ भेजने की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं समझता हूं कि मांगों पर चर्चा के समय इस मामले पर पूरी तरह विचार किया गया था तथा मैंने ब्यौरेवार स्थिति स्पष्ट कर दी थी । सहायता देने वाला देश अपनी संतुष्टि करना चाहता है कि संयंत्र की स्थापना के लिए बोकारो में स्थिति ठीक है या नहीं । इसीलिए टैक्नो इकोनामिक सर्वेक्षण हो रहा है । मैं विवाद में स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं ।

†**श्री नाथपाई** : विवरण में बताया गया है कि आशा है कि दल ७ महीनों में अपना काम पूरा कर लेगा तथा बाद में निर्णय ले लेगा । अभी बोकारो में निर्माण हो रहा है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस्पात उत्पादन के लक्ष्य पूरे करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है अथवा क्या हमने यह निर्णय ले लिया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस्पात के उत्पादन पूरे नहीं होंगे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : तीसरी योजनावधि में इस्पात के ३००,००० टन के लिए ऋण लिया है । यह थोड़ी सी मात्रा है । हमें अन्य तीन संयंत्रों के विस्तार कार्यक्रम की अब चिन्ता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि न तो अमरीका सरकार तथा न ही अमरीकी इस्पात उद्योग तब तक बोकारो संयंत्र को धन देने को तैयार है जब तक वह अपने को संतुष्ट नहीं कर लेंगे कि बोकारो में उपलब्ध बेसिक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण टैक्नो-इकानामिक विशेषज्ञ न कर लें । तथा यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे तीसरी योजना के लक्ष्य पर कोई बुरा असर न पड़े ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : वह बोकारो को देखेंगे कि वहां पर सभी सुविधायें हैं अथवा नहीं । हम समझते हैं कि बोकारो की स्थिति अच्छी है तथा वहां पर १० लाख टन का संयंत्र तुरंत लगाना सम्भव है और उसको १०० लाख टन के उत्पादन तक बढ़ाया जा सकता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह आधारभूत आवश्यकता है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : आधारभूत आवश्यकतायें वहां पर हैं । अमरीकी स्वयं संतुष्ट होना चाहते हैं ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या मामले को शीघ्र निबटाने के लिए आरम्भिक काय जैसे भूमि अर्जन कर लिया गया है अथवा क्या उस में भी विलम्ब किया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : भूमि अर्जन का आरम्भिक कार्य आदि आरम्भिक कार्य हो रहा है ।

†**श्री विभूति मिश्र** : अमरीका बोकारो को बनाने में अनिच्छा दिखा रहा है । इस अमरीकी अनिच्छा को देखते हुए, रूस जो चाहता है कि बोकारो को वह बनाये, तो क्या रूस सरकार से मदद ले कर इस को बनाया जायेगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जी नहीं । यह कहना सच नहीं है कि अमरीकी बोकारो को बनाने में हमारी सहायता करने को तैयार नहीं है । वह देखना चाहते हैं कि संयंत्र की स्थापना के यह उपयुक्त स्थान है अथवा नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या सरकार ने इसका ध्यान रखा है कि बोकारो संयंत्र के निर्माण में विलम्ब का तीसरी योजना के इस्पात उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

त्रिपुरा के लिये आदिम जाति मंत्रणा समिति

†*१५२०. श्री दशरथ देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के लिये आदिम जाति मंत्रणा समिति का चालू वित्तीय वर्ष में पुनर्गठन होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् और संसद् के निर्वाचित आदिम जाति सदस्य समिति में शामिल किये जायेंगे; और

(ग) इस समिति के कब तक बनाये जाने की संभावना है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) से (ग). त्रिपुरा की आदिम जाति मंत्रणा समिति की वर्तमान अवधि जून १९६२ में समाप्त होती है। त्रिपुरा प्रशासन समिति को पुनः बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

†श्री दशरथ देव : क्या त्रिपुरा की जनता से कोई अभ्यावेदन मिला है कि समिति का गठन चुनाव के आधार पर होना चाहिए ?

†श्री चन्द्र शेखर : मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं है।

†श्री दशरथ देव : इस समिति में सदस्यों को लेने का आधार क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : कुछ सदस्य प्रादेशिक परिषद् के सदस्य होंगे तथा कुछ गैर-सरकारी होंगे। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, यह समिति मुख्य आयुक्त द्वारा मनोनीत है।

†श्री दशरथ देव : क्या इस समिति में संसद् सदस्य भी लिये जायेंगे ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां, लिये जायेंगे।

त्रिपुरा की सीमा पर पाकिस्तानी सेना का जमाव

\+

*१५२१. { श्री भक्त दर्शन :
श्री ब्रागड़ी :
श्री बीरेन दत्त :
श्री दशरथ देव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने त्रिपुरा की सीमा पर अपनी सेना में वृद्धि करके भारी संख्या में सेना का जमाव कर दिया है; और

(ख) यदि यह सच है तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चावन): (क) पाकिस्तान द्वारा अपनी कुछ सेनाओं को त्रिपुरा-पाकिस्तान सीमा पर पुनः भेजने और एकत्रित करने की रिपोर्टें हैं।

(ख) स्थानीय अधिकारी मामले पर बातचीत करने का विचार कर रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस आशय का समाचार छपा है कि त्रिपुरा की सीमा पर जो पाकिस्तानी फौज इस समय जमा है वह अधिकांश मे पश्चिमी पाकिस्तान से वहां ले जाई गई है। यदि वह रेल द्वारा वहां ले जाई गई तो भारत की सीमा के अन्दर से उसको क्यों ले जाने दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : सूचनानुसार पाकिस्तान ने अपनी कुछ फौजों को जमा किया है। यह बताना बड़ा कठिन है कि इन को किस क्षेत्र से किस क्षेत्र को ले जाया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह था कि क्या उनको रेल द्वारा भारतीय प्रदेश से ले जाया गया था ?

†**श्री रघुरामैया** : हमारे प्रदेश से कोई सेना नहीं गई है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या पूर्वी सीमान्त पर जमाव से यह सिद्ध होता है कि पाकिस्तान की सेना बड़े पैमाने पर पश्चिमी सीमान्त पर बढ़ रही है ?

†**श्री रघुरामैया** : मूल प्रश्न पूर्वी बंगाल सीमान्त पर पाकिस्तानी सेना के जमाव के बारे में है। यदि माननीय सदस्य दूसरे सीमान्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अलग प्रश्न पूछें।

श्री बागड़ी : क्या यह सत्य है कि इन पाकिस्तानी सेनाओं को वहां भेजने में अमरीका के सैनिकों का भी हाथ है और अगर यह सत्य है तो क्या अमरीका गवर्नमेंट से भी कुछ इस विषय में बातचीत की गई है ?

†**श्री रघुरामैया** : हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री दशरथ देब** : यह सैनिक जमाव किस स्थान पर हो रहा है ;

†**श्री रघुरामैया** : यह सूचना है कि सेना का जमाव जलपाई क्षेत्र में तथा फेनी नदी के ऊपरी क्षेत्र में हो रहा है।

†**श्री हेम बरुआ** : हमें प्रधान मंत्री कई बार बता चुके हैं कि हमारी सीमा सुरक्षित है तथा साथ ही साथ गृह-कार्य मंत्री ने बताया कि सीमा की प्रत्येक इंच का संरक्षण संभव नहीं है। इस के अतिरिक्त मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पर सेना के जमाव के कारण सरकार ने सुरक्षा की क्या कार्यवाही की है या पाकिस्तान कोई कदम उठाता है तो ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है। सुरक्षित होने पर भी घटनायें होती हैं।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : माननीय सदस्य ने मेरे बारे में जो कुछ कहा उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि या तो उन्होंने मेरी बात समझी नहीं है या तथ्यों को ठीक नहीं बताया है। मैंने केवल यह कहा था कि सभी प्रकार की आवश्यक सावधानी बरतने के बावजूद कभी

---

†मूल अंग्रेजी में

कभी पूर्वी बंगाल से व्यक्ति आसाम में आ सकते हैं क्योंकि यह पास पास क्षेत्र हैं और अन्य मामले भी होते हैं जिन पर विचार होता है। जैसे वे क्यों आये तथा वह हमारे प्रदेश में किस प्रकार आय। मैंने यह नहीं कहा कि सीमा सुरक्षित नहीं है ।

†**श्री त्यागी** : मुझे आशंका है कि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के कारण कुछ गलतफहमी हो गई है। प्रश्न का भाग (ख) इस प्रकार है :

"यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?"

माननीय मंत्री ने बताया कि दोनों प्राधिकारी बातचीत करने को तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि भारतीय मंत्री एक चीज स्पष्ट करें। क्या दूसरी ओर के जमाव के विरुद्ध कोई सैनिक सावधानी बरती गई है ऐसा सामान्यत: दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री से गुप्त बात नहीं जानना चाहता बल्कि यह जानना चाहता हूं कि हमारी सेना सावधान है या नहीं।

†**श्री रघुरामैया** : मेरा उत्तर जी हां ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इस समय प्रतिरक्षा का महत्व समझते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रतिरक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में प्रतिरक्षा मंत्री का कार्य प्रधान मंत्री देखते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह निर्णय सरकार द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न ।

लौह अयस्क का उत्पादन

+

†*१५२३. { **श्री अ० क० गोपालन :**
　　　　{ **श्री उमानाथ :**

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लौह अयस्क का वार्षिक उत्पादन केवल १२० लाख टन तक पहुंचा है जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३२० लाख टन का आयोजन है ;

(ख) यदि हां, तो इतना अधिक अन्तर होने का क्या कारण है;

(ग) क्या लक्ष्य पुनरीक्षित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं तो वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या)** : (क) से (घ). तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (१९६१–६२) में गोआ को छोड़ कर वास्तविक उत्पादन इस योजना काल के अन्त तक के ३२० लाख टन के लक्ष्य से केवल १३० लाख टन कम था। वर्ष १९५९-६० से उत्पादन में ४० लाख टन की वृद्धि हुई है। जो वृद्धि हुई है वह लोहा तथा इस्पात उद्योग तथा विद्यमान निर्यात करारों को पूरा करने के लिये पर्याप्त रहा है। यदि अयस्क को इस्पात कारखानों और निर्यात के लिये बन्दरगाहों को ले जाने की सुविधायें बढ़ जायें तो ३२० लाख टन का उत्पादन लक्ष्य इस योजना काल में प्राप्त किया जा सकता है । लक्ष्य कम करने का कोई विचार नहीं है ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के अयस्क न खरीदने से अनेक स्थानों पर अयस्क इकट्ठा हो गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : यह सच है कि अत्र तत्र बिना बिका अयस्क पड़ा है। इस के अनेक कारण हैं। कभी वैगनों के आने व जाने से असन्तुलन हो जाता है और कभी, राज्य व्यापार निगम लौह अयस्क को उठाने की शीघ्र कार्यवाही नहीं करता है। ये सारे प्रश्न सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं। मेरा ख्याल है कि खान क्षेत्रों में बिना बिका अधिक अयस्क न पड़ा होगा।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मंत्रीकरण के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है और क्या यह यंत्रीकरण के आवश्यकतानुकूल है ? यदि नहीं, तो इस मांग की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यदि माननीय सदस्य लौह-अयस्क की खानों के साधारण यंत्रीकरण की सरकारी योजनाओं के बारे में पृथक प्रश्न पूछें तो मैं उत्तर दे सकूंगा।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

विद्रोहियों के साथ नेपाली सेना की मुठभेड़ में घायल हुए भारतीय

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८** { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान दिनांक ११ जून, १९६२ के **'टाइम्स आफ इण्डिया'** में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित हुआ है जिसका शीर्षक था "१२ घायल हुए—नेपाली सेना की विद्रोहियों से मुठभेड़" ;

(ख) क्या यह सच है कि सीमा से भारतीय क्षेत्र की ओर जंगल में काम कर रहे तीन मजदूर अनिर्दिष्ट गोलियों से घायल हो गये और उन्हें बेट्टिया अस्पताल पहुंचाया गया; और

(ग) यदि हां, तो नेपाली सेना और नेपाली विद्रोहियों की मुठभेड़ से भारतीय सीमा की रक्षा के लिये सरकार और क्या अहितयाती कार्यवाही करेगी ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) एक भारतीय जो सीमा से भारतीय क्षेत्र में काम कर रहा था अनिर्दिष्ट गोली से घायल हुआ। उसे बेट्टिया अस्पताल ले जाया गया और वहां उस की चिकित्सा हो रही है।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों ने जहां आवश्यक था वहां अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस लगा दी है और भारत-नेपाल सीमा की कड़ी निगरानी करने के लिये भी कार्यवाही की गई है।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि जब से नेपाली कांग्रेस का झगड़ा हुआ है तब से तीन बार यह लोग चम्पारन जिले में आदापुर थाने में घुस गये, यह दूसरा वाकया है, और रक्सौल में एक मकान में विस्फोट हो गया है जिससे वहां के लोगों को चोट लगी और वहां भय हो गया है। क्या इसे देखते हुए केन्द्रीय सरकार वाडर की सुरक्षा का प्रबन्ध करेगी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कोई खास हादसा नहीं हुआ और कोई भय की बात नहीं है। एक गोली चल जाये तो लोगों को डरना नहीं चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रिय गुप्त : डर नहीं है तो आप क्या करेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं क्या करूंगा ? दो आदमी लड़ रहे हैं आपस में तो उन को रोकेंगे लड़ने से, अगर हमारी जमीन पर हैं । लेकिन यह वाक्या हुआ नेपाल की जमीन पर । वहां एक दूसरे पर गोली चलाने से एक गोली, एक स्ट्रे बुलेट कहा है, वह सरहद के इस पार आई और एक आदमी के लग गई । हमने ऐतराज किया है कि यह नहीं होना चाहिये, अगर आप लोगों को गोली चलानी हो तो समझ कर चलानी चाहिये । लेकिन इस में चम्पारन जिले में कोई तहलका मच जाये, यह मेरी समझ में नहीं आता है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या स्टेट गवर्नमेंट में इतने बड़े नेपाली बार्डर को गार्ड करने की ताकत है या केन्द्रीय सरकार उस को कुछ मदद करने के लिये तैयार है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : गार्ड करने की ताकत उन में है । लेकिन जैसे माननीय होम मिनिस्टर ने कहा था, गार्ड इस तरह से नहीं होता कि एक एक गज पर एक आदमी खड़ा रहे, कोई हमला उस पर नहीं हो रहा है । दो आदमी या दो छोटे गिरोह लड़ने लगते हैं बीच में, तो उनको रोका जाता है जहां तक हो सकता है लेकिन थोड़ी देर वह लड़ लेते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रख कर कि इस किस्म की यह पहली घटना नहीं है, पहले भी नेपाली सशस्त्र पुलिस कर्मचारी हमारे क्षेत्र में घुस आये थे और इसे डा० तुलसीगिरि के वक्तव्यों से बढ़ावा मिला है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति शान्ति । वह प्रश्न पूछें ।

†**श्री हेम बरुआ** : . . . क्या सरकार ने इस भारत-नेपाल सीमा पर बेध्य स्थानों की रक्षा के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यहां भारत में कुछ नहीं हुआ है । यह सब नेपाल में हुआ है । हां एक अनिर्दिष्ट गोली सीमा के इस पार आ गई थी और इससे एक व्यक्ति घायल हो गया था । मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य सरकार से इस के अलावा और क्या करने की आशा करते हैं कि सरकार उन्हें कहे कि उन्हें सीधी गोली चलाना सीखना चाहिये ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं यह प्रश्न विस्तृत पहलू से पूछ रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : विस्तृत को आधार बना कर प्रश्न पूछ कर उन्होंने गलती की । यहां तो प्रश्न का विषय सीमित है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकारी कर्मचारियों के लिये कैंटीनें

†*१५१९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिये कैन्टीनों को आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितना आरम्भिक और कितना आवर्तक व्यय होने का अनुमान है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय म उप मंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)** : (क) हां ।

(ख) ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

इंजीनियरी स्नातकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तिकाएं

†*१५२२. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरी और अन्य टेक्निकल विषयों के नये स्नातकों के लिये व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तिका योजना से हाल में बहुत थोड़े लोगों ने ही लाभ उठाया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना को छोड़ देने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) और (ख). व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तिका योजना से अब भी लाभ हो रहा है ; अतः योजना समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी फर्मों की आस्तियों की बिक्री

†*१५२४. **श्री त्यागी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत स्थित विदेशी फर्मों की इस सामान्य प्रवृत्ति का पता है कि वे भारतीयों को अपनी आस्तियां और अंश बेच रही हैं ; और

(ख) क्या इन अंशों का मूल्य उन के विघटन मूल्य से भी अधिक मिल रहा है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) भारत में विदेशी फर्मों के अंशों तथा आस्तियों के विक्रय से प्राप्त धन बाहर भेजने में पिछले कुछ वर्षों में कमी हो गई है । यह वार्षिक औसत राशि वर्ष १९५५-५७ में ८१० लाख रु० थी और वर्ष १९५९-६१ में घट कर इस का वार्षिक औसत २०० लाख रह गया है ।

(ख) रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया यह सुनिश्चित करता है कि मूल्यों में कृत्रिम ढंग से वृद्धि न हो ।

चकेरी हवाई अड्डे पर विमानों को क्षति

*१५२५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर के चकेरी हवाई अड्डे पर खड़े दो डकोटा विमान आंधी में बिना पाइलट के चल पड़े और आगे जा कर टकरा गये ;

(ख) यदि हां, तो इस से कितनी धन और जन की हानि होने का अनुमान लगाया गया है ;

(ग) दोनों विमानों को कितनी क्षति पहुंची ; और

(घ) क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी कि वे आंधी में अपने स्थान पर से न हिल सकें ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) से (घ). भारतीय वायु सेना के दो डकोटा विमानों को आंधी में नुकसान पहुंचा था । इसमें कोई जन हानि नहीं हुई । घटना की छान-

---

†मूल अंग्रेजी में

बीन के लिये कोर्ट आव इन्क्वायरी स्थापित की गई है। दुर्घटना के परिणामस्वरूप क्षति की मात्रा और उस से संबंधित विस्तरण, कोर्ट आव इन्क्वायरी की रिपोर्ट के प्राप्त होने पर ही पता लगा सकेंगे।

चुनाव पोस्टरों की प्रदर्शनी

*१५२६. **श्री कि० पटनायक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चुनाव पोस्टरों की एक नुमाइश लगाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस को आम प्रदर्शन के लिये खोला जायेगा ;

(ग) क्या इस में कुछ पोस्टरों को अनुचित चिन्हित किया गया है ; और

(घ) क्या पोस्टरों और प्रचार पत्रों के संग्रह के लिये सरकारों के अलावा राजनीतिक दलों को भी लिखा गया था ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). २ से ११ जून, १९६२ तक विज्ञान भवन में चुनाव पोस्टरों की एक प्रदर्शनी की गई। यह (प्रदर्शनी) ५ से ११ जन तक आम जनता के लिये खुली थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने राजनैतिक दलों तथा व्यक्तियों से एक प्रेस नोट के द्वारा अनुरोध किया था, कि वे हाल के आम चुनाव में प्रयोग किये गये पोस्टर तथा हैंडबिल आदि सम्बन्धित जिलों के ज़िला मजिस्ट्रेटों को भेजें।

होजरी उद्योग के लिये सूत पर उत्पादन शुल्क

†*१५२७. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होजरी (मोजे बनियान आदि) उद्योग के लिये प्रयुक्त होने वाले सूत पर हाल ही में उत्पादन शुल्क लगा दिया गया है ;

(ख) क्या इस को ध्यान में रखते हुए सरकार ही होजरी माल से केन्द्रीय तथा स्थानीय बिक्री करों को हटाने का विचार करती है जैसाकि कपड़े के मामले में किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) सूती सूत पर उत्पादन शुल्क लगना कोई नई बात नहीं है। यह तो वित्त अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत १ मार्च, १९६१ से लागू है।

(ख) और (ग) संविधान के अधीन विक्रय या क्रय पर राज्य में कर लगाना राज्य के कराधान-क्षेत्र में है। केन्द्रीय विक्रय कर लगाना और इस से छट देने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। विक्रय-कर से बचने या इस के स्थान पर और अधिक उत्पादन शुल्क लगाने से सहमत होना, जैसाकि कपड़े के मामले में है, केवल राज्य सरकारों का ही काम है।

नदी व सड़क से कोयले का ढोया जाना

†*१५२८. **श्रीमती सरोजिनी महिषी** : क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदी एवं सड़क परिवहन के द्वारा ३५ लाख टन कोयला ढोने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या इन तरीकों द्वारा कोयले का परिवहन करने मे होने वाली अतिरिक्त लागत के बारे में कोई हिसाब लगाया गया है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). भविष्य में बंगाल/बिहार के कोयला क्षेत्रों से सड़क–व–नदी मार्ग से उत्तर में राज्यों को ३५ लाख टन कोयला भेजने का विचार है। योजना का ब्यौरा जिस में आर्थिक सिद्धान्त शामिल हैं, तैयार किया जा रहा है। इस ढंग से कोयला भेजने का व्यय निस्सन्देह रेल से भेजने के व्यय से अधिक होगा। परन्तु कोयला अधिक मांग अपूर्ण रहने के कारण, आशा है, कि उपभोक्ता अधिक व्यय होने पर भी कोयला की उपलब्धि सड़क–व–नदी मार्ग से प्राप्त करेगा ।

उत्तर प्रदेश में नावों के द्वारा कोयले की ढुलाई

†*१५२९. श्री राम हरख यादव : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सहयोग के साथ बड़ी नावों के द्वारा कोयला ढोने की योजना आरम्भ की है ;

(ख) वर्षा ऋतु में, जबकि नदियों पर अनेक नौका-पुल होते हैं, यह योजना कहां तक व्यवहार्य रहेगी ; और

(ग) योजना का ब्योरा क्या है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) भारत सरकार बंगाल/बिहार कोयला क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को सड़क–व–नदी मार्ग से कोयला भेजने को योजना पर विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में अध्ययन संबंधित राज्य सरकारों के निकट सहयोग से किया जा रहा है ।

(ख) वर्षा ऋतु में, जबकि नौका-पुल नहीं रहते, यह योजना निश्चय ही व्यावहारिक है।

(ग) योजना का ब्यौरा तैयार हो रहा है। अस्थायी रूप से, ५ लाख टन कोयला बंगाल/बिहार कोयला क्षेत्रों से सड़क द्वारा बख्तियारपुर, मुंगेर और भागलपुर भेजने की योजना है। यह स्थान गंगा नदी पर हैं। इन स्थानों से, कोयला गंगा नदी द्वारा इलाहाबाद और घागरा नदी द्वारा बड़हज भेजा जायेगा। दोनों नदियों का सर्वेक्षण सड़क मार्गों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। आशा है कि योजना पर अन्तिम निश्चय लगभग एक पखवाड़े में हो जायेगा ।

स्क्रैप निर्यात नीति

†*१५३०. { श्री कपूर सिंह :
श्री हिम्मतसिंहजी :
श्री प्र० क० देव :
चौ० रघुनाथ सिंह : }

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई उच्च न्यायालय ने हाल में ही दिये गये एक निर्णय मे, स्क्रैप के निर्यात पर हेवी मेल्टिंग स्क्रैप (भारी गलाये जाने वाले रद्दी लोहे) की लेवी को अवैध घोषित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि आयात/निर्यात नियंत्रण अधिनियम और निर्यात (नियंत्रण) आदेश का प्रयोजन स्थानीय मंडी से किसी व्यक्ति को स्थानीय रूप से सामान उपलब्ध कराना नहीं है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन सब अवैधानिक बातों को हटाते हुए स्क्रैप निर्यात नीति पुनः बतायेगी ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) सारा मामला विचाराधीन है । इस बीच वे शर्तें जिन्हें बम्बई उच्च न्यायालय ने अवैध समझा था, वापस ले ली गई हैं ।

महाराष्ट्र को कोयले का परिवहन

†*१५३१. श्री कजरोलकर : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र राज्य को तेजी से कोयला और कोक भेजने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : सरकार समूचे देश को, जिस में महाराष्ट्र भी शामिल है, कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये अनेक कार्यवाही कर रही है । महत्वपूर्ण कार्यवाही ये हैं :—(१) महाराष्ट्र सहित पश्चिम तथा दक्षिण भारत के राज्यों को रेल–व–समुद्र मार्ग से ५ लाख टन अधिक कोयला भेजना, (२) कोयला-जमाव (कोयला डम्प) बनाना, (३) भारी किस्म के वैगनों के ब्लाक रेकों से कोयला भेजना, (४) बंगाल/बिहार कोयला क्षेत्रों से अधिक दूरी तक कोयला ले जाने से बचने के लिये मध्य भारत के कोयला क्षेत्रों में यथासंभव उत्पादन बढ़ाना, (५) रविवार तथा छुट्टियों के दिनों में वैगनों में कोयला लादना, (६) बंकर लगाना और (७) उत्तर भारत में थोड़ी दूर के स्थानों को रेल और सड़क से कुछ कोयला भेजना ताकि अधिक दूर के उपभोक्ताओं के लिये वैगन मिल सकें । इन सब कार्यवाही से महाराष्ट्र जैसे दूर के राज्य को कोयला की उपलब्धि जल्दी होगी ।

भारत के रक्षित बैंक के भूतपूर्व गवर्नर

†*१५३२. श्री राम रतन गुप्त : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रक्षित बैंक के भूतपूर्व गवर्नर किसी गैर सरकारी संस्था के परामर्शदाता अथवा डाइरेक्टर बन गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने सरकार से इसकी अनुमति मांगी थी ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) (क) और (ख). विद्यमान नियमों के अधीन सेवा निवृत्ति के केवल प्रथम दो वर्षों में वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार करने के लिये सरकार की पूर्वानुमति लेनी आवश्यक है । रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर २८ फरवरी १९५७ को रिटायर हुए थे ।

वह मद्रास में एक वाणिज्यिक फर्म के प्रबंधक निदेशक हो गये हैं परन्तु सरकार को इस बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है ।

खाद्यान्न पर बिक्री-कर

†*१५३३. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अनाज व्यापारियों ने रविवार, ३ जून १९६२ को आयोजित एक सम्मेलन में सभी प्रकार के अनाज पर से बिक्री-कर हटाने की मांग की है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). प्रेस में समाचार प्रकाशित हुआ था कि भारत के अनाज व्यापारियों का (केवल दिल्ली वाले नहीं) एक सम्मेलन हाल में दिल्ली में हुआ था जिसमें मांग की गई थी कि अनाजों से विक्रय-कर हटा लिया जाये। दिल्ली के संघ शासित राज्य क्षेत्र में अनाजों पर कोई विक्रय-कर नहीं है।

दक्षिण क्षेत्रीय परिषद्

†*१५३४. श्री उमानाथ : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की हाल की बैठक में होगनाक्कल में बांध बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां तो क्या कोई निर्णय किया गया था और उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या इस बांध के निर्माण के सम्बन्ध में मद्रास और मैसूर सरकार के बीच कोई समझौता हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ; और

(ङ) यदि कोई समझौता नहीं हुआ है, तो क्या मतभेद हैं और उनको दूर करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) से (ङ). मद्रास और मैसूर सरकारों से जानकारी प्राप्त की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी।

क्षेत्रीय परिषदें

*१५३५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्षेत्रीय परिषदों के अधिकार बढ़ाने के कार्य में और कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक क्षेत्रीय परिषदों में क्या कुछ सर्वसम्मत निश्चय भी हुए हैं यदि हां, तो उनका क्या ब्यौरा है, तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) सरकार किन किन विषयों को क्षेत्रीय परिषदों के अधिकार क्षेत्र में लाना चाहती है, और ऐसा करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) क्षेत्रीय परिषदों के कामों का ब्यौरा राज्य पुनर्गठन अधिनियम १९५६ में दिया गया है। फिलहाल इन परिषदों के अधिकार बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

रूस से 'मिग' जैट लड़ाकू विमानों की खरीद

†*१५३६. श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रूस से 'मिग' जैट लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है और उसकी जांच पूरी कर ली है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयला सम्बन्धी नीति

†***१५३७. श्री प्र० चं० बरुग्रा**: क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के कोयला उद्योग के प्रतिनिधियों को उनके मन्त्रालय के अधिकारियों के साथ कोयला नीति पर नये सिरे से बातचीत करने के लिये ७ जून, १९६२ को आमन्त्रित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के दौरान उद्योग ने किन मुख्य मांगों पर ज़ोर दिया था ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार के क्या विचार हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) हां । कोयला उत्पादन की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करने और उनका समाधान करने के उपायों पर विचार करने के लिये कोयला उद्योग के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था ।

(ख) उद्योग की मांगें निम्न हैं :—

(१) कोयला के लिये उत्तम परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिये ;

(२) विद्युत् की कमी दूर होनी चाहिये ;

(३) उच्च श्रेणियों के मूल्य में वृद्धि करने के सरकार के प्रस्ताव के बजाये कोयला की सारी श्रेणियों के मूल्य में सामान्य वृद्धि होनी चाहिये । उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि श्रेणी २ के कोयले के मूल्य उच्चतम न होकर निश्चित होने चाहियें ।

(ग) निस्सन्देह सरकार परिवहन तथा विद्युत् की कमी पूरी करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है । फिर भी उद्योग की यह प्रार्थना स्वीकार न की जा सकी कि सभी श्रेणियों के मूल्य में समान वृद्धि होनी चाहिये और श्रेणी २ का मूल्य उच्चतम मूल्य नहीं बनाया जाना चाहिये ।

काजू

†**३२९४. श्री मे० क० कुमारन्**: क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू के फल में बहुत पौष्टिक और औषधीय तत्व हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(ग) क्या उनका उपयोग करने का कोई प्रयास किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख) पके काजू फल में ग्लोकोज और विटामिन 'सी' होता है । 'करोटीन' 'थियामिन' और 'रिबोफलेवीन' भी थोड़ा थोड़ा पाया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) केन्द्रीय खाद्य टैक्नालार्जीकल अनुसन्धान संस्था मैसूर ने काजू-फल का रस विटामिन 'सी' से पूर्ण कन्सेन्ट्रेट शर्बत टानिक जैम और चटनी बनाने के ढंग निकाले हैं। उसमें रुचि रखने वाले व्यक्तियों के सामने उनका प्रदर्शन भी किया था।

नीरा से सिरका

†३२९५. **श्री मे० क० कुमारन्**: क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नीरा से सिरका बनाने का कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी प्रगति हुई है?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). हां श्रीमान्। केन्द्रीय खाद्य टैक्नालार्जीकल अनुसन्धान संस्था मैसूर इस प्रक्रिया पर कार्य कर रही है और २ से ३ मास तक सड़ाने की प्रक्रिया को कम करके १५ दिन की कर दिया है। अवधि को और कम करने के प्रयोग हो रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में अपाहिजों की शिक्षा के लिये अनुदान

†३२९६. **श्री सरजू पाण्डेय**: क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेशों में अपाहिजों की शिक्षा का कार्य करने वाले किस किस ऐच्छिक संगठन को वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में अनुदान दिया गया है;

(ख) प्रत्येक को कितना धन दिया गया; और

(ग) यह अनुदान किस लिये दिया गया है?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

ऐच्छिक संगठन का नाम	वर्ष	स्वीकृत धन राशि	प्रयोजन	टिप्पण
१	२	३	४	५
		रु०		
१. बहरों के लिए स्कूल, लखनऊ।	१९६१-६२	४,३४०	दल श्रवण सहायक यन्त्रों को खरीद।	वर्ष १९५७-५८ में इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत १३,००० रु० को कुल सहायता अनुदान को यह पहिली किस्त है।

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३	४	५	६
			रु०		
२.	बहरे व्यक्तियों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कालज, लखनऊ ।	१९६१-६२	१३,०००	इमारत का निर्माण	वर्ष १९५९-६० में इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत ३३,००० रु० के कुल सहायता अनुदान की यह दूसरी किस्त है ।

वर्ष १९६०-६१ में उत्तर प्रदेश में अपाहिजों के ऐच्छिक संगठनों के लिये कोई अनुदान नहीं दिया गया ।

उत्तर प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†३२९७. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१-६२ में उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज संसाधनों का कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण किन क्षेत्रों में हो रहा है ; और

(ग) इसका क्या ब्यौरा है ?

†**खान और ईंधन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री हजरनवीस)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सर्वेक्षण चमोली, मिर्जापुर और देहरादून जिलों में हो रहा है ।

(ग) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा की गई जांच पड़ताल का ब्यौरा निम्न है :—

चमोली : तांबा और रांग के खनिज क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर मानचित्र तैयार किये गये । ३१,६८० और १:२४०० के पैमानों पर ६१.६३ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का मानचित्र बनाया गया । इससे थाला-पोखरी क्षेत्र में स्टिब्नाइट (ऐंटिमोनी) खनिज के होने का पता लगा । खल और नगधर के पास मलाचाइट के निशान मिले हैं ।

मिर्जापुर : सिंगलरौली कोयला क्षेत्र के मिर्जापुर भाग में कोयले के लिए सूराख किये गये । अस्थायी रूप से आशा है कि ८०००-१०००० लाख मीट्रिक टन के निक्षेप होंगे । क्षेत्र के इस भाग का रेखा चित्रण न पूरा होने पर निश्चित आंकड़ों का पता लगेगा ।

देहरादून : खालसी और पास के क्षेत्रों में मूल धातु अयस्कों की जांच पड़ताल का कोई एक प्रोत्साहक परिणाम नहीं निकला है ।

त्रिवेन्द्रम में नौसैनिक हवाई अड्डा

†३२९८. **श्री मे० क० कुमारन्** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल को त्रिवेन्द्रम जिले में कजाक्कूटम में एक नौसैनिक हवाई

†मूल अंग्रेजी में

अड्डा बनाने के लिए पर्याप्त भूमि प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण तथा अन्य प्रारम्भिक कार्य किये गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि वहां हवाई अड्डा बनाने का विचार त्याग दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या बस्ती के व्यक्तियों को इस की सूचना दे दी गई है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय म राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया)** : (क) नहीं, श्रीमान् । नौसेना के बेड़ा आवश्यकता यूनिट के स्थान के लिए स्थान की उपयुक्तता निर्धारित करने की दृष्टि से केवल एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया था ।

(ख) बेड़ा आवश्यकता यूनिट के स्थापन के बारे में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सेना कर्मचारियों के पेंशन के मामले

†३२९९. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० अप्रैल, १९६२ तक, राज्यवार, कितने सेना कर्मचारियों की पेंशन पुनरारम्भ करने के मामले अनिश्चित पड़े थे ;

(ख) इन मामलों का निश्चय होने में देर होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन्हें दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करेगी ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय म राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया)** : (क) ३१ मई, १९६२ को प्रतिरक्षा लेखा (पेंशन) नियन्त्रक के पास अनिश्चित पड़े मामलों सम्बन्धी अपेक्षित उपलब्ध जानकारी निम्न है :—

राज्य	अनिश्चित पड़े मामलों की संख्या
पंजाब	१६
दिल्ली	१
मध्य प्रदेश	४
आन्ध्र प्रदेश	७
महाराष्ट्र	२
राजस्थान	५
उत्तर प्रदेश	३१
जम्मू तथा काश्मीर	१
	६७

दोषसिद्धि, महा कदाचार और राजनीतिक अपराधों के कारण पेंशनें बन्द, जब्त या कम की जाती हैं । उपरोक्त मामलों में से ३७ मामले इसी श्रेणी के हैं । यदि पेंशनर ने एक वर्ष से अधिक समय से भुगतान न लिया हो तो पेंशन का भुगतान स्थगित कर दिया जाता है । इस श्रेणी में पुनरारम्भ के लिए अनिश्चित पड़े मामलों की संख्या ३० है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) महाकदाचार आदि के कारण बन्द की गई पेंशनें स्थानीय सेना अधिकारियों द्वारा पुनरारम्भ की जा सकती हैं परन्तु उन्हें ऐसा करने से पहिले राज्य सरकार के अधिकारियों का मत प्राप्त करना होता है । एक वर्ष से अधिक समय से पेंशन न लेने के कारण रोकी गई पेंशनों के पुनरारम्भ करने में देर होने का मुख्य कारण यह है कि नियमाधीन अपेक्षित सारे कागज के या स्वयं पेंशनरों से या पेंशन वितरण अधिकारियों से प्राप्त नहीं होते । पेंशन वितरण अधिकारी या तो राज्य सरकारों के या डाक तथा तार विभाग के अधिकारी होते हैं ।

(ग) महाकदाचार, आदि के कारण रोकी गई पेंशनों को पुनरारम्भ करने के लिए राज्य अधिकारियों के परामर्श की आवश्यकता होती है जिसमें स्वाभाविक रूप से कुछ समय लगता है । एक वर्ष से अधिक समय तक पेंशन न लेने के कारण बन्द की गई पेंशनों के बारे में प्रतिरक्षा लेखा (पेंशन) नियन्त्रक से शीघ्र निश्चय करने की प्रार्थना की जा रही है ।

केरल में सीमेंट कारखाने

†३३००. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री ३१ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में गैर-सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के कारखाने खोलने का कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर विचार हो गया है ; और

(ग) इसके लिए केरल को न चुनने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) कारण स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार स्वयं विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी क्षेत्र की पृथक् पृथक् परियोजनायें नहीं चलाती । हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य निर्धारित हैं और अपूर्ण क्षमता की मात्रा विदित है । इच्छुक गैर-सरकारी विनियोजक उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत लाइसेन्स के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं । इन पर विशेषतानुसार सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से कार्यवाही की जाती है । समझा जाता है कि आजकल केरल में चूने के अच्छे साधन नहीं है जिनके आधार पर केरल में कोई सीमट कारखाना बनाया जा सके ।

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

†३३०३. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को केन्द्रीय सरकार की कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं ; और

(ख) छात्रवृत्तियां कुल कितनी राशि की थीं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १५,९८४ ।

(ख) ७४,०६,००० रु० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रादेशिक सेना

३३०४. श्री वारियर : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक सेना के कितने अधिकारियों ने पूरे भुगतान के १८ वर्ष से अधिक सेवा की है; और

(ख) उनमें से अब तक कितने अधिकारियों को पदोन्नत करके लेफ्टीनेन्ट कर्नल बनाया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरामैया)** : (क) प्रादेशिक सेना के ७ अधिकारियों ने १८ वर्ष की पूर्णकालीन कमीशन्ड सेवा पूरी कर ली है। इसमें उनकी नियमित सेना की पूर्णकालीन कमीशन्ड सेवा और/या भारतीय क्षेत्रीय सेना, सहायक सेना (भारत), आदि में क्षेत्रीय सेना में शामिल होने से पहिले की कमीशन्ड सेवा भी शामिल है।

(ख) एक अधिकारी को लेफ्टीनेन्ट कर्नल के पद के लिये पदोन्नति मिली है। अन्य छः अधिकारियों की पदोन्नति के बारे में, जो उससे कनिष्ठ हैं, उस समय विचार किया जायेगा जबकि नियमित सेना के तत्संस्थानी अधिकारी, अर्थात् १९४४ के कमीशन के अधिकारियों को लफ्टीनेंट कर्नल के पद के लिये पदोन्नति देने पर विचार किया जायेगा।

प्रादेशिक सेना अधिकारी

†**३३०५. श्री वारियर** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक सेना के इस समय कितने अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने १८ वर्ष से अधिक पूर्ण वैतनिक सेवा की है ;

(ख) क्या उन सब अफसरों को पेंशन के लाभ प्राप्त करने का हक है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरामैया)** : (क) प्रादेशिक सेना के ७ अफसरों ने, नियमित सेवा में पूर्णकालिक कमीशन प्राप्त सेवा, अथवा भारत प्रादेशिक सेनाओं सहायक सेवाऐं (भारत) आदि में कमीशन प्राप्त सेवा, को मिला कर, जो उन्होंने प्रादेशिक सेना में भरती होने से पूण की है, पूर्ण वैतनिक सेवा के १८ वर्ष पूरे किये हैं।

(ख) और (ग). प्रादेशिक सेवा के अफसरों को प्रादेशिक सेना में की गई सेवा के प्रत्येक औसत वर्ष के लिये आधे महीने के वेतन की दर पर सेवान्तिक उपदान का हक है, किन्तु वह अधिकतम ६ महीने के वेतन तक हो सकती है, किन्तु उन्होंने उस सेवा में औसतन कम से कम चार वर्ष की सेवा पूरी की होनी चाहिये।

बाल उपचार केन्द्र[1]

†**३३०६. श्रीमती लक्ष्मी बाई** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल अपचार केन्द्रों (जूनियर सर्टिफाइड स्कलों) में बच्चों की कुल संख्या कितनी है ;

---

†मल अंग्रेजी में

[1]Juvenile Delinquency Centres.

(ख) उनकी राज्यवार तथा लड़के लड़कियों की अलग-अलग संख्या क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के लिये विभिन्न राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ला (आन्ध्र प्रदेश) में सीमेंट फैक्टरी

†३३०७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री २३ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ए० सी० सी० को येरागंतुला में एक सीमेंट फैक्टरी लगाने के लिये किस तिथि को अनुमति दी गई थी ;

(ख) ए० सी०सी० ने किस तारीख को फैक्टरी लगाने में अपनी असमर्थता की सूचना सरकार को दी और ऐसा करने के कारण बताये ;

(ग) क्या सरकार फैक्टरी न लगाने में ए०सी० सी० की युक्ति से सहमत है ;

(घ) क्या फैक्टरी लगाने के संबंध में कोई करार सरकार और ए० सी० सी० के बीच हुआ था, जिसका पालन न करने पर उन पर दंड लगाया जा सकता था ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) १३-२-१९५६ ।

(ख) और (ग). १९५९ में ए०सी० सी० समिति ने अपनी प्रगति रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने चूने के पत्थर का परीक्षण करने का काम पूरा कर लिया था और भूमि भी खरीद ली थी। उन्होंने उस समय यह भी बताया कि देश में सीमेंट के अधिक उत्पादन के कारण, उनको अपनी कुछ मंजूर परियोजनाओं को स्थगित रखने को बाध्य होना पड़ेगा । १९६१ के प्रारंभ में जब अनुज्ञप्ति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई थी, उन्होंने बताया कि चूंकि उनके पास कार्यान्विति के लिये उच्च क्षमता वाली अन्य परियोजनाएं हैं; उन्होंने यह समझा कि उन के लिये १९६४ से पूर्व येरागुंतुला सीमेंट परियोजना को आरम्भ करना संभव नहीं होगा। सरकार की नीति के अनुसार कि उन योजनाओं संबंधी औद्योगिक लाइसेंसों को, जिनकी तीसरी योजना अवधि में पूर्ण होने की संभावना नहीं है, रद्द कर दिया जाए और अनिश्चित काल के लिये विलंबित न रखा जाए, फर्म को परामर्श दिया गया कि वह लाइसेंस को लौटा दें, और यदि आवश्यकता पड़े तो बाद में, जब वे योजना को कार्यान्वित करने की स्थिति में हों, इस के लिये अर्जी दें। तदनुसार फर्म ने जुलाई १९६१ में लाइसेंस लौटा दिया और यह रद्द हुआ माना गया । तथापि इस स्थान

†मूल अंग्रेजी में

पर एक सीमेंट फैक्टरी लगाने के लिये दूसरी पार्टी को लाइसस देने के लिये प्रबंध किया जा रहा है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) सवाल पैदा नहीं होता ।

कालेज पुस्तकालय सेवा

†३३०८. **श्री मल्लिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग की इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये, कि कालेज के पुस्तकालयाध्यक्ष क पद के लिये एम०ए० तथा पुस्तकालय सेवा के डिप्लोमा को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की जानी चाहिये । कालेज के पुस्तकालयाध्यक्षों एवं प्राध्यापकों को समान दर्जा दिया जाना चाहिये, देश भर में कालेज पुस्तकालय सेवा का मानकीकरण करने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४९]**

उड़ीसा में लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा

†३३०९. **श्री उलाका** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा के लिये उड़ीसा सरकार को भारत सरकार ने कितना धन आवंटित किया है ;

(ख) क्या उड़ीसा में लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा के विस्तार के लिये कोई नवीन योजनाएं बनाई गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ख). एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या ५०]**

उड़ीसा में भूतत्वीय सर्वेक्षण

†३३१०. **श्री उलाका** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी योजना अवधि में उड़ीसा में खनिज संसाधनों को कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**खान और ईंधन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री हजरनवीस)** : भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग तथा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा किये गये काम का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा की जिला विवरणिकाएं[1]

†३३११. **श्री उलाका :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में जिला विवरणिकाओं का संकलन करने और छपाने के लिये उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सरकार न कितना अनुदान दिया है, और

(ख) १९६२–६३ में कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री म० मो० दास) :** (क) ६,००० रुपये की राशि जिला विवरणिकाओं के संकलन के लिये केन्द्रीय सहायक अनुदान के तौर पर १९६१–६२ में उड़ीसा सरकार को दी गई थी। क्योंकि वर्ष में कोई जिला विवरणिका प्रकाशित नहीं की गई थी, छपाई के लिये कोई अनुदान नहीं दिया गया था ।

(ख) १९६२–६३ में उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सहायक अनुदान जिला विवरणिकाओं के संकलन और छपाई राज्य वार द्वारा किये गये व्यय का ४०% होगा। संकलन के लिये अनुदान प्रति जिल्द ६,००० रुपये तक सीमित है ।

उड़ीसा में स्कूल होस्टल

†३३१२. **श्री उलाका :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अप्रैल, १९५८ से मार्च, १९६२ तक की अवधि में स्कूल होस्टलों के निर्माण के लिये उड़ीसा सरकार को कोई ऋण मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में प्रत्येक संस्था के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां, १९६०–६१ में।

(ख) १.२० लाख रुपये की राशि राज्य सरकार को ऋण के तौर पर दी गई है। संस्था-वार वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता था और इस कारण भारत सरकार को विशिष्ट संस्थाओ सम्बन्धी सूचना नहीं है ।

उड़ीसा में संस्कृत का विकास

†३३१३. **श्री उलाका :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९५७ से मार्च, १९६२ तक उड़ीसा में संस्कृत के विकास के लिये किन स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान दिय गये थे, और

(ख) उन में से प्रत्येक को उक्त अवधि में कितनी राशि दी गई ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख) :

दाढी बामन संस्कृत विद्यालय कुरल	५०० रुपये
पारला किये डी संस्कृत कालेज, गेजम	१६,२५० रुपये
माक मिकाइल संस्कृत टोल, आस्का	२,००० रुपये
श्री रघुनाथ न्यू टोल, सालीपुर, कटक	६५० रुपये ।

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] District Gazettees

उड़ीसा में सामाजिक तथा बाल कल्याण योजनाएं

†३३१४. **श्री उलाका :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना अवधि में उड़ीसा मे, विशेष कर ग्राम्य क्षेत्र में सामाजिक तथा बाल कल्याण योजनाओ के विस्तार के लिये संघ सरकार ने कोई विशेष दिलचस्पी ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक योजना के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत सरकार ने स्त्रियों, बच्चों और अपाहिजों के कल्याण से सम्बन्ध रखने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में ५० प्रतिशत आधार पर १९६२–६३ से तीसरी योजना में राज्य सरकार की सहायता करना स्वीकार कर लिया है।

२. केन्द्रीय सरकार ने भी सामाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य एवं वाद की देख भाल के कार्यक्रम के अन्तर्गत एक योजना आरंभ की है। सुधारक तथा गैर-सुधारक संस्थाओं से निकले लोगों के लिये दो राज्य आश्रम और सात जिला आश्रमालय उड़ीसा राज्य मे इस योजना के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत वास्तविक व्यय का ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार के द्वारा दिया जाता है।

३. भारत सरकार भी स्वीकृत बाल कल्याण सेवाओं सम्बन्धी एक प्रदर्शन परियोजना तीसरी योजना में योजना अवधि में ५ लाख रुपये के कुल व्यय पर राज्य के चुने हूय खंडों में आरंभ करने का विचार करती है।

स्क्रैप समिति

†३३१५. **श्री कपूर सिंह :**
श्री हिम्मत सिंह जी :
श्री प्र० के० देव :
श्री रघुवंश सिंह :
श्री नरसिन्हा रेड्डी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्क्रैप समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं, जिसकी रिपोर्ट बहुत देर से सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या समिति की सब प्रमुख सिफारिशों को तुरन्त कार्यान्वित करने का सरकार का इरादा है ; और

(ग) क्या सरकार के विचार से, समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का यह परिणाम होगा कि देश के फालतू स्क्रैप-का अधिकतम उपयोग हो सकेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (ग). स्क्रैप समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है और शीघ्र ही सरकार के निर्णय घोषित कर दिये जायेंगे।

स्क्रैप का निर्यात

†३३१६. **श्री कपूर सिंह :**
श्री हिम्मत सिंहजी :
श्री प्र० के० देव :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री नरसिंहा रेड्डी :
श्री तनसिंह :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्क्रैप के निर्यात के मुकाबले में तैयार इस्पात का आयात करने की अनुमति देने वाली १९६२–६३ की नीति में यह धारणा की गई है कि निर्यात् किये गये स्क्रैप का औसत न्यूनतम निर्यात मूल्य प्रति मीट्रिक टन समुद्र पर्यन्त किराया भाड़ा सहित १२ पौंड होना चाहिये, ताकि तैयार इस्पात के लिये आयात का लाइसेंस देने का विचार किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस शर्त के क्या लाभ हैं ;

(ग) क्या सरकार को यह बताया गया है कि स्क्रैप के निर्यात मूल्य हाल के महीनों में बहुत अधिक गिर गया है और अब जो दाम मिलते हैं वे समुद्र पर्यन्त किराया भाड़ा सहित प्रति मीट्रिक टन ९ पौण्ड के ऊपर औसत नहीं बैठती ;

(घ) क्या यह अनुरोध किया गया है कि चालू वस्तुविनियम नीति की शर्त, जिसमे पर्यन्त समुद्र, पर्यन्त भाड़ा प्रति मीट्रिक टन १२ पौण्ड औसत निर्यात मूल्य का आग्रह किया जाता है, यथार्थता की दृष्टि से समुद्र पर्यन्त भाड़ा सहित प्रति मीट्रिक टन ९ पौण्ड तक होनी चाहिये; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (ङ) : वस्तुविनियम आधार पर स्क्रैप के वितीय संबंधी सार्वजनिक सूचना में यह बताया गया है कि निर्यात किये गये स्क्रैप, क्या समुद्र पर्यन्त भाड़ा सहित १२ पौण्ड प्रति मीट्रिक टन दाम मिलने चाहियें। यह शर्त कम दामों पर निर्यात को रोकने के उद्देश्य से लगाई गई है। कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि निर्यत मूल्य अधिक है। मामला विचाराधीन है।

भारतीय प्रबन्ध संस्था

†३३१७. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत शीघ्र भारतीय प्रबंध संस्थाओं की स्थापना का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कहां कहां पर ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन संस्थाओं के प्रभावी कौन होंगे ; और

(घ) आवर्त्तक व्यय कैसे पूरा किया जाएगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां।

(ख) कलकत्ता और अहमदाबाद ।

(ग) सस्थाएं, संस्था पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध है और उन के प्रबन्ध तथा व्यवस्था के लिये व्यवस्थापक मंडल स्थापित किये गये हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार के अनुदानों से ।

विश्वविद्यालयों की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का प्रशासी मण्डल

†३३१८. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के प्रशासी मंडल की पन्द्रहवीं बैठक हाल ही में दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस का उद्घाटन किसने किया ;

(ग) क्या मंडल ने भारत मे शिक्षा सम्बन्धी एक गोष्ठी आयोजित करने का फैसला किया है; और

(घ) यदि हां, तो गोष्ठी कब और कहां आयोजित की जा रही है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रशासी मंडल की बैठकें जनता के लिये खुली नहीं हैंऔर कोई उद्घाटन समारोह नहीं था ।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत के अन्तर विश्वविद्यालय मंडल की स्थायी समिति ने १२ और १३ फरवरी, १९६२ को मद्रास में विश्वविद्यालयों की अन्तर्राष्ट्रीय संघ भारत के अन्तरविश्वविद्यालय बोर्ड एवं इंडिया इंटरनेशनल सैंटर के संयुक्त तत्वाधान में एक गोष्ठी आयोजित की थी । गोष्ठियों में किन विषयों की चर्चा की गई थी ;

(१) विश्वविद्यालयों तक पहुंच, (२) सामाजिक एवं आर्थिक विकास के सम्बन्ध मे उच्चतर शिक्षा ।

नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय

†३३१९. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध मे कोई प्रारम्भिक कार्य किया गया है ;

(ग) क्या इस संग्रहालय की स्थापना के लिये दिल्ली अन्तिम रूप से चुन लिया गया है ; और

(घ) इस योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ग) मा० सदस्यों का ध्यान १७–२–६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४ के उत्तर की ओर आकर्षित किया गया है ।

(ख) और (घ). योजना का ब्योरा तैयार करने के लिये एक समिति स्थापित की जा रही है ।

त्रिपुरा प्रशासन के हिन्दी प्रकाशन

३३२०. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा प्रशासन ने १९५७ से १९६१ तक अंग्रेज़ी में कितने प्रकाशन निकाले और उनमें से कितने हिन्दी में निकाले हैं; और

(ख) जो प्रकाशन अभी हिन्दी में नहीं निकाले गये हैं उनके बारे में सरकार उन्हें हिन्दी में छांपने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) ६७ प्रकाशन अंग्रज़ी में निकाले गये और हिन्दी में कोई नहीं निकाला गया ।

(ख) त्रिपुरा में अभी लोगों को हिन्दी की जानकारी कम है । इसलिए इन प्रकाशनों को हिन्दी में भी निकालने में व्यर्थ का खर्चा होगा ।

बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय को बर्मा द्वारा पुस्तकें भेंट किया जाना

†३३२१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ६ अप्रैल, १९६२ को वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय को पालीत्रिपटक के १०० जिल्दों का एक सैट बर्मी सरकार द्वारा भेज दिया गया था ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : उपलब्ध सूचना के अनुसार, बर्मी सरकार ने नहीं, अपितु रंगून मठ के संघ नायक ने पूर्ण त्रिपटक साहित्य की १०० प्रतियां संस्कृत विश्वविद्यालय को, इसके चौथे दीक्षांत समारोह के अवसर पर भेंट की थी ।

चिकित्सा विज्ञान कालेज बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

†३३२२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान के कालेज से जोड़े जाने

---

†मूल अंग्रेजी में

वाले हस्पताल के विकास के लिये धन की व्यवस्था करने का जो प्रश्न विचाराधीन था, क्या उस पर अन्तिम विचार हो चुका है,; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा०का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी

†३३२३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १३ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सर्वेक्षण विभाग में १९६१ और १९६२ में कितने कर्मचारियों को स्थायी किया गया है ; और

(ख) १९६३ में कुल कितने कर्मचारियों को स्थायी बनाये जाने की संभावना है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** :

	१९६१	१९६२
(क) तीसरी श्रेणी	१२३	९७
चौथी श्रेणी	९६	१४७
(ख) तीसरी श्रेणी	२०३	
चौथी श्रेणी	२७५	

डिप्टी सर्वेयर जनरल्स ऐस्टेट, देहरादून तक जाने वाली सड़क

†३३२४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १३ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वार से ले कर डिप्टी सर्वेयर जनरल्स ऐस्टेट, १७ ई० सी० रोड, देहरादून में रहने क्वाटरों तक जाने वाली सड़क पक्की की जा चुकी है ; और

(ख) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). यह सूचना मिली है कि काम प्रगति पर है और शीघ्र ही पूरा होने वाला है।

रेत से सोना

३३२५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक २० अप्रैल, १९६२ के 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित 'नाले में सोने के कण बड़े परिमाण में प्राप्त' समाचार की ओर आकर्षित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में अब तक कोई जांच कराई है कि वहां पर किस मात्रा में सोना और तांबा मिलने की आशा है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) आगे सरकार कौन-सी कार्यवाही करने जा रही है ?

खान और इंधन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये गये अन्वेषणों के परिणाम से यह मालूम हुआ है कि पाये जाने वाले सोने और तांबे का आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है । अतः अग्रिम कार्यवाही करने का विचार नहीं है ।

मनीपुर और त्रिपुरा में प्रतिनियुक्ति पर अफसर

†३३२६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर और त्रिपुरा प्रशासन के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९६२ को प्रतिनियुक्त अफसरों की संख्या क्या थी ;

(ख) ये अफसर किन पदों में प्रतिनियुक्ति पर हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन अफसरों के स्थान पर स्थानीय लोगों की नियुक्त के बारे में कोई नीति निर्धारित की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) मनीपुर में १६० और त्रिपुरा में इस प्रकार के ९०. अफसर हैं ।

(ख) मनीपुर और त्रिपुरा के बारे में एक-एक वक्तव्य संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या ५२]** ।

(ग) जहां कहीं संभव होता है वहां स्थानीय लोगों को तरक्की दे कर वरिष्ठ पदों की पूर्ति का अवसर दिया जाता है । किन्तु उपयुक्त कर्मचारियों का अभाव होने के फलस्वरूप अफसरों को प्रतिनियुक्त करना पड़ता ।

(घ) अफसरों के प्रशिक्षण और स्थानीय छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था कर दी गयी है और जहां तक संभव हो, प्रतिनियुक्त अफसरों के स्थान पर रखने के लिये पर्याप्त संख्या में अफसर प्राप्त करने की व्यवस्था की जायेगी ।

शान्ति कार्य के लिये विदेशों में भारतीय सैनिक

३३२७. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में किस देश में कितने भारतीय सैनिक इस समय भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शांति कायम रखने के लिये तैनात हैं ;

(ख) इन देशों में कितने भारतीय सैनिक मारे गये हैं और जख्मी हुए हैं ; और

(ग) इन सैनिकों के वेतन, उनके आने जाने तथा विदेशों में निवास पर अब तक कितना व्यय हुआ है और उस में भारत सरकार ने कितना खर्च किया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) भारतीय सेवि वर्ग इस समय हिन्द चीनी, गाजा और कांगो में सेवा कर रहे हैं । उन देशों में उनकी जनशक्ति क्रमशः ३९४,१२४९ और ५६६३ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १५ सेविवर्ग संग्राम में मारे गए हैं, और ८१ घायल हुए हैं। यह सभी कांगों में ही हताहत हुए। जो दुर्घटनाओंवश मारे गये घायल हुए उन की संख्या निम्नलिखित है :—

	मारे गए	घायल
हिन्द-चीनी . . .	४	३
गाजा (एक आत्म हत्या की घटना समेत)	७	७४
कांगों . .	६	७१

२, ३ और ५ क्रमशः प्राकृतिक कारणों से हिन्द-चीनी, गाजा और कांगों में मर गए।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

हिन्द चीनी में हमारे सेविवर्ग दो भागों में विभक्त है। एक वह जो अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय में काम कर रहे हैं, और दूसरे वह जो राष्ट्रीय मण्डल के साथ संलग्न है। जहां तक पूर्वोक्त का सम्बन्ध हैं, इन पर सारा खर्च सांझे खाते से होता है। अन्य के लिए खर्च का भार हम उठाते हैं, जो वैसे भी हम ही उठाते, यदि वह भारत में सेवा कर रहे होते। सारा अतिरिक्त खर्च सांझे खाते से होता है ।

गाजा में अन्तर्राष्ट्रीय संकटकालीन सेना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा किया खर्च अन्तर्राष्ट्रीय संघ के निम्नलिखित निर्णय के अनुसार सदस्य देशों द्वारा सहन किया जाता है।

(क) **पहले छः मास में** : मूल वेतन के अतिरिक्त एक विशेष सैनिक भत्ता, किसी देश की सैनिक टुकड़ी के सदस्यों को, अन्तर्राष्ट्रीय संकटकालीन सेना में उनकी सेवा के उपलक्ष्य में ।

(ख) **पहले छः मास के पश्चात्** : सभी अतिरिक्त और असाधारण खर्च, जो सैनिक दल भेजने वाले देशों को, अपनी सेनाएं भेजने के विषय में करना पड़ता है ।

अपने कांगो भेजे सैनिकों के विषय में उन पर प्रायः उसी तरह खर्च उठता है, जैसे गाजा में भेजे गए सैनिकों पर। अन्तर केवल इतना है कि आदि से सभी अतिरिक्त और असाधारण किमा गया गमा खर्च, अन्तर्राष्ट्र-संघ द्वारा वापस लिमा जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा ३१ मार्च १९६१ तक इस तरह पहले किय कुल खर्च, जिनका कुछ भाग भारत सरकार को ही सहन करना पड़े गा, निम्नलिखित है :–

	कुल खर्च	**भाग जो भारत सरकार को सहन करना पड़ेगा**
	रुपये	रुपये
हिन्द-चीनी	(लगभग) १८१.५६ लाख	(लगभग) ५७.४२ लाख
गाजा	(लगभग) ३३४.७६ लाख	(लगभग) १९९.०८ लाख
कांगो . .	(लगभग) १८४.०० लाख	(लगभग) ९६.६५ लाख

विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम

†३३२८. **श्री उमानाथ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के प्रश्न की जांच करने के लिये आयोग द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों की राय प्राप्त हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित कुलपतियों की बैठक कब होगी ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां । २३ विश्वविद्यालयों राय प्राप्त हो गयी है ।

(ख) अक्तूबर, १९६२ में ।

दिल्ली में तम्बुओं में लगने वाले स्कूल

†३३२९. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका समिति का दिल्ली में तम्बुओं में लगने वाले और स्कूलों को मंजूरी देने का इरादा है ; और

(ख) क्या सरकार तम्बुओं के लगने वाले स्कूलों का जो विरोध होता है उसे विचार में रखते हुए इस निकाय को यह प्रस्ताव कार्यान्वित न करने की सलाह देने का इरादा रखती है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) तम्बुओं में स्कूलों की व्यवस्था एक अन्तरिम उपाय है जो शिक्षा सुविधाओं के तेज़ी से विस्तार करने के लिये अपनाना पड़ा है । समिति इन स्कूलों के लिये जमीन प्राप्त होते ही इमारतें बनाने का इरादा रखती है ।

रूसी तेल विशेषज्ञों का दौरा

†३३३०. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुसी तेल विशेषज्ञों का एक दल हाल में भारत के ईंधन उद्योग के समग्र आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिये भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके अध्ययन दौरे का क्या परिणाम निकला ?

†**खान और इंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां। यह दल तेल सम्बन्धी सभी पहलुओं के अध्ययन के लिये आया था ।

(ख) दल के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

त्रिपुरा में सीमावर्ती क्षेत्रों में पशुओं की चोरी

†३३३१. { **श्री बीरेन दत्त :**
श्री दशरथ देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९६१ और मार्च, १९६२ में त्रिपुरा के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में पशुओं की चोरी की कितनी घटनायें हुईं ;

(ख) उक्त अवधि में पाकिस्तानियों ने कितने पशु चुराये ; और

(ग) पशुओं की चोरी को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) १०९ घटनायें।

(ख) १९७।

(ग) (१) त्रिपुरा को लागू किये गये पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों से सीमा के पार किसी भी स्थान में जानवरों को ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(२) सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है। वन रक्षकों को जानवरों की चोरी की घटनाओं पर निगाह रखने की हिदायत दे दी गयी है। सीमावर्ती गांवों में ग्राम प्रतिरोध दल भी बना दिये गये हैं, जो समय-समय पर पुलिस बल के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त लगाते हैं।

(३) चोरी हुए जानवरों के बारे में पाकिस्तानी अधिकारियों से शिकायत की जा रही है तथा उनसे पशुओं को लौटाने के लिये कहा जा रहा है। त्रिपुरा और पूर्वी पाकिस्तान के जिलाधिकारियों की मासिक बैठकों में पशुओं की चोरी करने वाले सन्देहास्पद गिरोहों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान होता है ताकि पाकिस्तानी अधिकारी अपने नागरिकों को इस प्राकार की चोरियां करने से रोक सकें।

भोजपुरी संगीत

†३३३२. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने लोगों की मातृ-भाषा भोजपुरी है ; और

(ख) भोजपुरी संगीत के संग्रह और परिक्षण के लिये किये गये प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर)** : (क) १९५१ की जनगणना के अनुसार २१६४ लोगों की मातृ-भाषा भोजपुरी है। (१९६१ की जनगणना के आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं)

(ख) संगीत नाटक अकादमी ने देश के लोक. संगीत के संग्रह तथा उनके रिकार्ड ने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है जिसमें भोजपुरी भी शामिल है। इस समय अकादमी ास एक घंटे तक बजाने के लिये भोजपुरी संगीत क रिकार्ड हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें

†३३३३. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में कितने लोग काम कर रहे हैं ; और

(ख) मजदूरों तथा प्रबन्ध कर्मचारियों के वेतन-क्रम क्या हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में आदिम जातीय संस्कृति का विकास

†३३३४. **श्री दशरथ देव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास त्रिपुरा में आदिम जातीय संस्कृति यथा नृत्य, संगीत आदि के विकास की कोई योजना है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये किसी निधि की व्यवस्था की गयी है ; और

(ग) क्या सरकार त्रिपुरा में कोई स्कूल खोलने का इरादा रखती है जिसमें आदिम जातियों के नृत्य, संगीत आदि का विकास किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

त्रिपुरा में आदिम जाति के लोगों का पुनर्वास

†३३३५. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के आदिम जाति के लोगों के पुनर्वास के लिये खेती योग्य भूमि का कुछ हिस्सा रखा गया है जैसा कि त्रिपुरा के महाराज ने अतीत में किया था ;

(ख) यदि नहीं, तो अब भी झूम खेती करने वाले आदिम जाति के कई झूमियों को भूमि पर किस प्रकार बसाया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं और उनमें उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल क्या है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)** : (क) और (ख). आदिम जाति के लोगों को सरकारी "खास" भूमि से भूमि उपलब्ध करने में कोई कठिनाई नहीं हुई इसलिये स्वर्गीय शासक द्वारा रक्षित भूमि के अलावा और कोई भूमि इस कार्य के लिये अलग से नहीं रखी गयी। किन्तु, झूमियों के लिये कुछ भूमि अलग रखने का प्रश्न विचाराधीन है । तीसरी योजनावधि के अन्त तक सभी झूमियां परिवारों का बन्दोबस्त करने का इरादा है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जनगणना

†३३३६. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ की जनगणना के मोटे-मोटे आंकड़े एकत्रित कर लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें पंजाब के भाषा सम्बन्धी आंकड़े भी सम्मिलित हैं ;

(ग) पंजाब में हिन्दी और पंजाबी बोलने वालों की क्रमशः कितनी संख्या है ; और

(घ) हिन्दी और पंजाबी के अतिरिक्त भी क्या पंजाब में किसी भाषा को बोलने वाले रहते हैं, यदि हां, तो उनकी पृथक-पृथक कितनी संख्या है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) जी हां ।

(ख) मातृ भाषा के आंकड़े १९६१ की जनगणना में एकत्रित किये गये हैं।

(ग) और (घ). १९६१ की जनगणना में इकट्ठे किये गये मातृ भाषा के आंकड़ों पर अभी कार्यवाही की जा रही है । इसमें न केवल हिन्दी और पंजाबी ही सम्मिलित होंगी, अपितु मातृ भाषाओं के रूप में लिखाई गई अन्य भाषायें भी होंगी ।

भारतीय तेल के वितरण के लिये अभिकरण

†३३३७. **श्री वेंकटासुब्बया :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कम्पनी तेल और तेल के उत्पाद के वितरण के लिये सहकारी संस्थाओं और व्यक्तियों को नियुक्त कर रहा है ; और

(ख) सहकारी और निजी वितरण अभिकरणों का राज्यवार संख्या और उनका कार्यक्षेत्र क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) तेल और तेल के उत्पादों के वितरण में "इंडियन आयल कम्पनी" सहकारी संस्थाओं को उच्चतम प्राथमिकता देती है और उसके बाद निगम आदि आते हैं और असाधारण परिस्थितियों में वितरण का काम उचित व्यक्तियों को सौंपा जाता है ।

(ख) फिलहाल केवल मिट्टी के तेल के विरतण के अभिकरण हैं और उनके कार्य क्षेत्र का एक विवरण सलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५३]**

पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†३३३८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क १९५२ से ले कर १९६१ तक जो पाकिस्तानी राष्ट्रजन बगैर किसी परमिट, प्रमाणपत्र या वीसा के सीमा पार कर आसाम, पश्चिम बंगाल, जम्मू और काश्मीर, त्रिपुरा तथा मनीपुर में आ गये उनके विरुद्ध कितने मुकदमे दायर किये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†मूल अंग्रेज़ी में

सामूहिक औद्योगिक वित्त अभिकरण

†३३३९. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लिये एक सामूहिक वित्तीय अभिकरण गठित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). पंजाब सरकार ने राज्य के दरम्याने और छोटे उद्योगों को धन देने के लिये राज्य वित्त निगम अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत पंजाब वित्त निगम बनाया था । पंजाब राज्य और दिल्ली प्रशासन के बीच १९५७ में हुए करार के अनुसार इस निगम का क्षेत्राधिकार दिल्ली के सघ राज्य-क्षेत्र तक बढ़ा दिया गया था ।

पंजाब राज्य तथा दिल्ली प्रशासन और हिमाचल प्रशासन के मध्य १९ मई, १९६१ को हुए एक करार ऊे अनुसार निगम का क्षेत्राधिकार अब हिमाचल प्रदेश तक बढ़ाया ज. रहा है । करार की एक प्रति संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५४]**

बीमा कम्पनियों का परस्पर सहायता संग्रह

†३३४०. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की वीमा कम्पनियों ने किसी बीमा कम्पनी को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिये परस्पर सहायता संग्रह का निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संग्रह के निर्माण का इस व्यवसाय में विद्यमान अवहार की बुराई पर क्या भाव होगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). सामान्य बीमा परिषद् की कार्यकारिणी समिति ने परस्पर सहायता संग्रह की स्थापना की सिफारिश तो की है किन्तु वह अभी अस्तित्व में नहीं आया है। बीमा उद्योग इस संग्रह का स्वेच्छा से निर्माण करने का प्रस्ताव कर रहा है और उसका उद्देश्य बीमा व्यवसाय की स्थिति में सुधार और बीमा करने वालों को, यदि वे व्यवसाय में विद्यमान कथित बुराइयों से बिलकुल अछूते रहें और अपना कार्य दूसरे से न करायें, होने वाली हानि की आंशिक पूर्ति है। कार्यकारिणी परिषद् ने बीमा करने वालों से कहा है कि वे इस संग्रह के निर्माण के लिये अपनी सम्मति दें। उनकी प्रतिक्रिया अभी ज्ञात नहीं हुई है। प्रस्ताव के कार्यान्वय के संभाव्य प्रभाव के ब्यौरे का अनुमान अभी लगाना संभव नहीं है।

जैसलमेर में तेल की खोज

३३४१ { **श्री बेरवा** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री चांडक :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसलमेर क्षेत्र (राजस्थान) में तेल की संभावनाओं की खोज के लिये तेल एवं

†मूल अंग्रेजी में

प्राकृतिक गैस आयोग के साथ फ्रेंच पैट्रोलियम इन्स्टीट्यूट का करार कब संपन्न हुआ था ;

(ख) इस करार के अन्तर्गत बनाई गई योजना का संक्षिप्त विवरण क्या है ;

(ग) योजना पर कुल कितना धन व्यय होने का अनुमान है और उसमें विदेशी मुद्रा की लागत क्या होगी ; और

(घ) इस योजना को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई हैं ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) करार पर १२ सितम्बर, १९६१ को हस्ताक्षर हुए थे ।

(ख) इस करार के अन्तर्गत तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के तकनीकी प्रशासनीय और वित्तीय नियन्त्रण के अधीन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और फ्रेंच पैट्रोलियम इन्स्टीट्यट एक इंडो-फ्रैंच एक्सपलोरेशन टीम के निर्माण और कार्यान्वित करने में सहयोग देंगे । सहयोग की अवधि तीन साल की होगी परन्तु उसमें यह उपबन्ध है कि पहले साल की समाप्ति के बाद किसी तरफ से भी दो महीनों का नोटिस देकर करार को समाप्त किया जा सकेगा । इस योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत दो भूकम्पीय दल, जिसमें से एक दल तीन साल के लिये और दूसरा दल दो साल के लिये; दो गहरे व्यधन खनक जिसमें से एक २१ महीनों और दूसरा १२ महीनों के लिये; और एक संरचनात्मक व्यधन खनक ३३ महीनों के लिये कार्य पर लगाये जायेंगे ।

(ग) इस परियोजना में लगाये जाने वाले रूपी व्यय (Rupee Expenditure) का अब तक अनुमान नहीं लगाया गया है । करार के अन्तर्गत फ्रांस सरकार चार करोड़ रुपये के बराबर विदेशी विनिमय का प्रबन्ध करेगी ।

(घ) फ्रेंच पैट्रोलियम इन्स्टीट्यट के दो विशेषज्ञ भारत में पहुंच चुके हैं और वे तकनीकी दित्ता का अध्ययन कर रहे हैं । जैसलमेर में तेल की खोज को शुरू करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

हड़प्पा में पाये गये अस्थिपंजरों के अवशेष

†३३४२. श्री प्र० के० देव या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के नृतत्वीय सर्वेक्षण के पास हड़प्पा में पाये गये जो २६० अस्थिपंजर अवशेष हैं क्या उनके बारे में नरतत्वीय अनुसन्धान किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां ।

(ख) हड़प्पा में शुरू में जो लोग थे उनका सिर लम्बा और शरीर दृढ़ होता था । उनकी भंवे बड़ी, माथा उठा हुआ और नाक चौड़ी होती थी । इसके बाद की अवस्था में इनके साथ ऐसे लोग थे जिनका सर गोल होता था । इस संस्कृति के अन्तिम चरण में ऐसे लोगों के अवशेष पाये गये हैं जो सबसे पहले चरण के लोगों के समान थे ।

†मूल अंग्रेजी में

सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ग्राफ इंग्लिश, हैदराबाद

†३३४३. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ग्राव इंग्लिश, हैदराबाद के कार्य ग्रौर प्रगति की समीक्षा करने के लिये जो समिति गठित की थी उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; ग्रौर

(ख) क्या उन सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ग्रौर (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, ग्रनुबन्ध संख्या ५५]**

भारत में लगी विदेशी पूंजी

†३३४४. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ के ग्रन्त तक भारत में कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई थी ; ग्रौर

(ख) हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना के पूंजी ढांचे में विदेशियों द्वारा भाग लेने के बारे में सरकार का भावी कार्यक्रम क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ३१ दिसम्बर, १९५९ तक की जानकारी इकट्ठी की गई है । इस तिथि को भारत में लगी कुल विदेशी पूंजी ६१०.७ करोड़ रुपये थी । ३१ दिसम्बर, १९६० तक के ग्रांकड़े शीघ्र उपलब्ध होने की संभावना है ।

(ख) ग्रनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र में ऋण ग्रौर सामान्य पूंजी के रूप में ३०० करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी लगाई जायेगी ।

हवाई ग्रड्डे के लिये ली गई जमीन किसानों को लौटाना

३३४५. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहवाजकुली (जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश) हवाई ग्रड्डे के लिये जिन किसानों की जमीन ले ली गई थी उसे उनको वापसी का प्रश्न क्या विभाग के विचाराधीन है ;

(ख) क्या स्थानीय किसानों ने ग्रपनी जमीन की वापसी के लिये कोई ग्रभ्यावेदन भेजा है ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) कोई ऐसा ग्रभ्यावेदन पत्र प्राप्त नहीं हुग्रा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली राज्य संस्कृत विश्व परिषद्

३३४६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ मई, १९६२ को दिल्ली राज्य संस्कृत विश्व परिषद् की ग्रोर से संस्कृत के ग्रध्यापकों के एक शिष्ट मंडल ने उनसे भेंट की थी ;

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस शिष्टमंडल ने उनके समक्ष अपनी कौन-कौन सी मांगें रखीं ; और

(ग) उन कामों के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) उनकी मांगें निम्नांकित थीं :—

(१) संस्कृत अध्यापकों के पद के लिये जो योग्यताएं निर्धारित हैं उनमें अंग्रेजी की योग्यता सम्मिलित नहीं होनी चाहिये ;

(२) प्रशिक्षित शास्त्रियों को ग्यारहवीं कक्षा पढ़ाने दी जाए और उन्हें उत्तर-स्नातक अध्यापकों का २५०–४७० रु० का वेतन-मान स्वीकृत किया जाये ;

(३) पश्चिमी पंजाब और सीमान्त प्रान्त वाले शास्त्रियों को १७०–३८० रु० वेतन-मान स्वीकृत किया जाये ;

(४) उच्च माध्यमिक परीक्षा के संस्कृत के प्रश्न-पत्र संस्कृत में बनाये जाने चाहियें; और

(५) सातवीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य-पुस्तक, बहुत कठिन है और उसके स्थान पर कोई अन्य पुस्तक लगा दी जाए ।

(ग) मांगों पर विचार किया जा रहा है ।

इस्पात प्रशासन का पुनर्गठन

†३३४७. **श्री महेश्वर नायक : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में इस्पात प्रशासन के पुनर्गठन और उसकी खामियाँ दूर करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित पुनर्गठन की रूपरेखा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** (क) और (ख) यह मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

पब्लिक स्कूल

†३३४८. **श्री रिशांग किशिंग : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने पब्लिक स्कूल हैं ;

(ख) क्या ये स्कूल भारत सरकार की अनुमति लिये या उसे सूचित किये बिना विदेशों से शिक्षकों का आदान-प्रदान कर सकते हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इन स्कूलों के नाम क्या हैं और १९६०–६१ और १९६१–६२ में किन-किन देशों के साथ शिक्षकों का आदान-प्रदान हुआ ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

पूर्ण सदस्य	२५
सहयोगी सदस्य	२

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

घरेलू नौकरों का पंजीयन

३३४९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली व नई दिल्ली की पुलिस ने घरेलू कर्मचारियों की रजिस्टरी कराने के कार्य में इस बीच कुछ तेजी कर दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह किन कारणों से किया गया है ; और

(ग) इस कार्य में कहाँ तक सफलता मिल रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) हाँ ।

(ख) यह आंदोलन सन्देहात्मक चरित्र वाले घरेलू कर्मचारियों द्वारा या उनकी सहायता से की जाने वाली चोरी की घटनाओं को कम करने के विचार से चलाया गया है ।

(ग) यह जानने में कि आंदोलन का क्या परिणाम होगा कुछ समय लगेगा ।

महिला हाकी टीम की मलाया यात्रा

३३५०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन जाड़ों में एक भारतीय महिला हाकी टीम को मलाया भेजने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यक्रम निश्चित किया गया है ; और

(ग) इस कार्य के लिये अखिल भारतीय महिला हाकी एसोसियेशन को किस प्रकार की सहायता व सुविधायें दी जा रही हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में सुविधायें

†३३५१. **श्री बाल्मीकी** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने क्लाइव स्क्वेयर, लारेन्स स्क्वेयर, टेलर स्क्वेयर, तुगलक प्लेस, लेक स्क्वेयर, रोडिंग रोड आदि स्थानों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को सामूदायिक कक्ष, बाजार, बालोद्यान और पुस्तकालय जैसी बुनियादी सुविधायें देने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : जिस क्षेत्र में ये बस्तियाँ स्थित हैं उसका पुनर्विकास किया जाने वाला है और इस सम्बन्ध में बनाई गई योजना में सभी आवश्यक सुविधाओं का उपबन्ध किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमान्त सड़क निर्माण कार्य

३३५२. **श्री ब्रह्मजीत सिंह :**
श्री बड़े :
श्री कछवाय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में डायरेक्टर जनरल बोर्डर रोड ऑर्गेनायजेशन का कितनी लम्बी सड़क बनाने का लक्ष्य था ;

(ख) क्या उस लक्ष्य की पूर्ति हो गई है ;

(ग) उक्त संगठन ने क्या धन खर्च किया ; और

(घ) उसने कहाँ कहाँ सड़कें बनाई हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क), (ख) तथा (घ) : सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं है ।

(ग) लगभग ४१ करोड़ रुपये ।

गुजरात के खनिजों का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†३३५३. **श्री दे० जी० नायक :**
श्री छोटूभाई पटेल :
श्री पु० र० पटेल :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के पंचमहल, बड़ोदा तथा भड़ौंच के जिलों के पर्वतीय क्षेत्रों, जिनमें मूल्यवान खनिज भरे पड़े हैं, क्या भूतत्वीय परीक्षण कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी हाँ ।

(ख) भारत के भूतत्वीय पर्यटक द्वारा किये गये सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित खनिजों का पता लगा है :—

जिला पंचमहल	.	चिकनी मिट्टी, मैंगनीज, जस्ता तथा चूने का पत्थर ।
जिला बड़ौदा	.	ताँबा, फ्लोराइट, मैंगनीज, चूने का पत्थर, सलखड़ी, तथा बैराइट्स।
जिला भड़ौंच		चूने का पत्थर, लिग्नाइट, कैल्साइट, चिकनी मिट्टी तथा जिप्सम ।

कच्छ की छोटी रन का सर्वेक्षण

†३३५४. **श्री दे० जी० नायक :**
श्री छोटूभाई पटेल :
श्री पु० र० पटेल :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ की छोटी रन का बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण पूरा हो गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) और (ख) भारत के भूतत्वीय पर्यटक ने कच्छ को छोटी रन का खोजयुक्त तथा जमीन के पानी का सर्वेक्षण किया है । इस क्षेत्र में जूरासिक तत्वों के ऊपर टैरटियेरी तत्व उन स्थानों पर इकट्ठा हो गये हैं जिन स्थानों पर जूरासिक तत्व खुले नहीं पड़े हैं । राज्य सरकार ने कूंवें बनाये हैं तथा जमीन के नीचे के पानी की स्थिति खराब है । जमीन के पानी के बहुत खारा होने के कारण नमक बनाने के लिये कई कूंवें बनाये गये हैं । जलाशयों के निकट खोदे गये कूंवें घरेलू आवश्यकता पूरी करते हैं ।

उड़ीसा में लेखकों को पेंशन

†**३३५५. श्री मोहन नायक** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा राज्य के कितने लेखकों को पेंशन मिल रही है ; और

(ख) ऐसे व्यक्ति कौन कौन से हैं तथा प्रत्येक को कितना धन दिया जा रहा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) पाँच ।

(ख) पेंशन पाने वालों के नाम नीचे दिये जाते हैं परन्तु प्रत्येक को मिलने वाली राशि बताना ठीक नहीं होगा । इस योजना के अधिकतम १५० रुपये मासिक दिये जाते हैं ।

१. दिसम्बर १९५६ से श्री दामोदर शास्त्री

२. अगस्त १९५७ से श्रीमती अपर्णा देवी

३. जुन १९५८ से श्री नगेन्द्र कुमार राय

४. अगस्त, १९५८ से श्री गोलक चन्द्र प्रधान

५. मार्च, १९६० से श्री डॉ० वी० कृष्णराव ।

तेल की खोज तथा उत्पादन

†**३३५६. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र के प्रकाशन "केपिटल रिक्वायरमेंट्स आफ पेट्रोलियम एक्सप्लोटेशन एंड मैथड्स आफ फाइनैंसिंग" की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) तेल की खोज तथा उत्पादन पर अब तक कितनी पूंजी तथा राजस्व व्यय हुआ है तथा अब तक कितना उत्पादन हुआ है और प्रतिदिन की स्थापित क्षमता क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हाँ ।

(ख) (१) आयल इंडिया लिमिटेड :

तेल की खोज तथा उत्पादन पर ३१–३–१९६२ तक आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा २२.०८ रुपये व्यय हुये थे और राजस्व व्यय ९·३५ करोड़ रुपये व्यय हुये थ । मई, १९६२ के अन्त तक नहरकटिया, हुगरीजान, तथा भोटान में १०८ लाख बरल अथवा १·६८ लाख टन तेल निकला है । उत्पादन क्षमता इस समय वर्षिक लगभग २३ लाख वा टन है । १९६३ की समाप्ती से पहले इसके ३० लाख टन बढ़ जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) आसाम आयल कम्पनी लिमिटेड

आसाम आयल कम्पनी लिमिटेड ने बताया है कि अब तक तेल की खोज का उत्पादन पर पूंजीगत तथा राजस्व व्यय की जानकारी इकट्ठी करने के लिये पर्याप्त समय लगेगा। परन्तु ए० ओ० सी० ने यह भी बताया है कि १९५९, १९६० तथा १९६१ के वर्षों में उत्पादन पर व्यय २,३७,४६,८६७ रुपये था तथा १९५९ में खोज पर १४,९४,२७८ रुपये था। ३०–४–१९६२ तक ५७५ लाख बैरल अथवा ८६.३ लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। ३०–४–१९६२ तक उत्पादन की दर लगभग ३४२५ बैरल (५१४ मीट्रिक टन) प्रतिदिन थी तथा इससे १९७० तक २,३०० बैरल (३४५ मीट्रिक टन तक बढ़ जायेगा।

(३) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

पूंजीगत व्यय २४·७६ रुपये समेत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा मार्च १९६२ तक ३२.२ करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। कुंओं के परीक्षण काल में ३१-५-६२ तक उत्पादन ७७,१८२ टन अंकलेश्वर क्षेत्र में हुआ था।

कुंओं के परीक्षण काल में अंकलेश्वर तेल क्षेत्र से प्रतिदिन १२०० टन तेल प्रतिदिन निकलता है। अंकलेश्वर क्षेत्र का पूरा विकास हो जाने के बाद ही नियमित दैनिक उत्पादन का पता लगेगा। परन्तु यह वर्तमान उत्पादन से बहुत अधिक होगा।

तेल के लिये छिद्रण की लागत

†**३३५७. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में प्रति मीटर तेल के ड्रिलिंग को औसत लागत क्या है तथा तेल के उत्पादन वाले देशों से इसकी तुलना किस प्रकार की जा सकती है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : नहरकटिया में प्रतिमीटर ड्रिलिंग की १९६१ में लागत ३७४ रुपये तथा भूटान में ४४२·९ थी। आसाम आयल कम्पनी की प्रति मीटर ड्रिलिंग का व्यय १९५७ में ८०८ रुपये, १९५८ में ८०६ रुपये तथा १९५९ में ८४६ रुपये था। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विभिन्न स्थानों पर ड्रिलिंग की लागत का विश्लेषण कर रहा है। ड्रिलिंग की लागत कई बातों पर आधारित होती है जैसे स्थान का स्वरूप, कुंवे की गहराई तथा ड्रिलिंग के लिए किस प्रकार की रिंग इस्तेमाल में लाई गई। इसका भी असर पड़ता है कि ड्रिलिंग खोज के लिए की गई। अथवा स्थापित क्षेत्र में उत्पादन के लिए की गई। अन्य देशों में भी ड्रिलिंग में ऐसा ही होता है। समस्त देश की ड्रिलिंग की औसत लागत की गणना करने पर भी ड्रिलिंग की सही लागत मालूम नहीं हो सकती है।

कोंकणी

†३३५८. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री कोया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन अथवा प्रस्ताव मिला है कि **कोंकणी** को संविधान की आठवीं अनुसूची की पन्द्रहवीं भाषा के रूप में शामिल किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय आपातकालीन सहायता संगठन

३३५९. श्री सरजू पांडेय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आपातकालीन सहायता प्रशिक्षण संस्था के दफ्तर में कुछ पद खाली पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) चार पद, जिनमें एक राजपत्रित श्रेणी २ सम्मिलित एक है, बचत की दृष्टि से अस्थगित रखे गये जा रहे हैं। शेष पांच पदों को भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है । इनमें से तीन पद उपयुक्त योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के न मिलने के कारण नहीं भरे जा सके।

त्रिपुरा की रामुन्नी नगर बस्ती में विस्थापित व्यक्ति

†**३३६०. श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-गार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा की डो० एम० रामुन्नी नगर बस्ती के कितने विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों को पुनर्वासित किया गया है ;

(ख) उपरोक्त बस्ती योजना के अधीन प्रत्येक विस्थापित परिवार को कितना धन तथा औसत भूमि मिलेगी ;

(ग) क्या प्रत्येक परिवार को पूरा ऋण दिया जा चुका है तथा उपरोक्त बस्ती में प्रत्येक परिवार को उतनी भूमि दे दी गई है जितने के वह लेने के अधिकारी हैं ; और

(घ) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). सामग्री इकट्ठा की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

त्रिपुरा में जलैया में सीमा पुलिस चौकी

†**३३६१. श्री दशरथ देब** : क्या **गृह -काय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सीमा के निकट त्रिपुरा में जलैया में सीमा-पुलिस चौकी का टैंट पाकिस्तान के कुछ राष्ट्रजनों द्वारा जला दिया गया था,

(ख) यदि हां, तो उस में कितने व्यक्ति मर गये; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई व्यक्ति पकड़ा गया अथवा आग लगाने वाले का पता लगा ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : ५ मई १९६२ की रात में जलैया पुलिस चौकी की एक बैरक तथा टैंट में किसी ने आग लगा दी । पुलिस मामले की जांच कर रही है ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) अब तक कोई नहीं ।

तुलसी बटी बालिका छात्रावास, अगरतला

†**३३६२. श्री दशरथ देब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुलसी बटी बालिका छात्रावास में इस समय कितनी आदिम जाति की लड़कियां रह रही हैं ; और

(ख) सरकार ने इनको किस प्रकार की सुविधायें दी हैं।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ८

(ख) निःशुल्क निवास तथा प्रकाश के अतिरिक्त उनको प्रतिबालिका १ रुपया २५ नये पैसे दिये जाते हैं। समाचार-पत्र पत्रिकायें तथा मासिक पत्रिकायें मुफ्त दी जाती हैं।

त्रिपुरा में आदिम जाति की लड़कियों के लिये छात्रावास की सुविधा

†**३३६३. श्री दशरथ देब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) त्रिपुरा में इस समय आदिम जाति की कितनी लड़कियों को छात्रावास की सुविधा प्राप्त है ; और

(ख) लड़कियां किन छात्रावासों में रह रही हैं।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १२।

(ख) (१) एम० टी० गर्ल्स हायर सैकैन्डरी स्कूल से संबद्ध छात्रावास ।

(२) बेलडेनिया गर्ल्स हाई स्कूल, बेलोनिया से संबद्ध छात्रावास ।

त्रिपुरा में आदिम जाति के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास

†**३३६४. श्री दशरथ देब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या त्रिपुरा में इस समय आदिम जाति छात्रावास बनाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर बनाये जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह छात्रावास सैकेन्डरी अथवा हायर सैकेन्डरी स्कूलों अथवा प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये होंगे; और

(घ) इन छात्रावासों में अनुमानतः कितने विद्यार्थियों के रहने की आशा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी त्रिपुरा प्रशासन से इकट्ठी की जा रही है और समय पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी क्षेत्र में लौह् अयस्क का उत्पादन

†३३६५. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी क्षेत्र (ज़ोन) में गैर-सरकारी लौह् अयस्क खान का इस समय कितना उत्पादन है ; और

(ख) सरकार द्वारा संचालित खानों का कुल लौह् अयस्क का कितना उत्पादन है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठा की जा रही है तथा यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बरेली में पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी

३३६६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने बरेली में पाकिस्तान के एक ऐसे गुप्तचर की गिरफ्तारी की है जो वहां की वायुसेना का एक उच्चाधिकारी बताया जाता है और जो भारत के विभिन्न फौजी अड्डों में घूम-घूम कर सूचनायें एकत्र किया करता था ;

(ख) क्या इस तरह के कोई और भी व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) भविष्य में इस तरह की हरकतों से बचाव व रोकथाम के लिये कौन-कौन से विशेष कदम उठाये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) पाकिस्तानी वायुसेना के स्क्वैड्रन लीडर पद के एक अफसर को वीज़ा की शर्तें भंग करने के अपराध में बरेली जाने के लिये २३–५ -६२ को गिरफ्तार किया गया था ; उसे उत्तर प्रदेश में बदाऊं जिला में मढोली गांव में जाने के लिये १ दिन के लिये वीज़ा को स्वीकृति दी गई थी। मामला असैनिक अधिकारियों द्वारा जांच अधीन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) चूंकि आवश्यक सावधानी बर्ती जा रही है, कोई विशेष पग उठाने की आवश्यकता नहीं समझी गई :

राजनैतिक पीड़ित

†३३६७. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा प्रशासन को १९५८ से १९६२ की अवधि में राजनैतिक पीड़ितों के कितने आवेदन पत्र मिले हैं ;

(ख) कितने अभ्यर्थियों ने अन्दमान में सजा काटी है ;

(ग) मार्च, १९६२ तक कितने अभ्यर्थियों को सहायता मिली है ; और

(घ) इनमें से प्रत्येक को कितना धन दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) २७९।

(ख) २

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). ११ अभ्यर्थियों को अब तक १०० रुपये से १,५०० रुपये दिए गए हैं। राजनतिक पीड़ित समिति, त्रिपुरा अन्य आवेदनों पर विचार कर रही हैं।

उड़ीसा में लौह अयस्क खानें

†३३६८. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में लौह अयस्क खानों की खोज, यंत्रीकरण, तथा काम चालू करने में उड़ीसा सरकार तथा भारत सरकार ने अब तक कुल कितना विनियोजन किया ;

(ख) इस में कितनी विदेशी मुद्रा होगी ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक और कितनी विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी ?

†खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठा की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गृह-कार्य मंत्री का विवेकानुदान

†३३६९. श्री मानसिंह पृ० पटेल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष गृह-कार्य मंत्री के विवेकानुदान में से कितने व्यक्तियों को तथा संस्थाओं को अनुदान दिए गये थे;

(ख) क्या ऐसे अनुदान के लिये किसी आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना को अस्वीकार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) १९६१–६२ में ८ संस्थाएं तथा ५८३ व्यक्ति।

(ख) और (ग). विवेकानुदान में से धन देने के नियमों को पूरा न करने वाले आवेदन पत्रों को ऐसा अनुदान नहीं दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के वेतनक्रम

†३३७०. श्री मुहम्मद इलियास : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि वेतन आयोग की सिफारिशों तथा संघ गृह-कार्य मंत्रालय के हिमाचल तथा पंजाब के वेतन क्रम एक समान रखने के आदेशों के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश प्रशासन के कर्मचारियों के वेतन क्रम पंजाब सरकार के कर्मचारियों के समान नहीं है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) हिमाचल प्रदेश सचिवालय के पदों के तथा निदेशात्मक में अनुसचिवीय काम करने वाले कुछ पदों को दिल्ली प्रशासन के अनुसार कर दिया गया है क्योंकि यह वेतन क्रम लगभग केन्द्रीय सरकार के वेतन क्रम हैं। प्रशासन के अधीन अन्य पद केवल वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले ही कुछ पदों को छोड़ कर पंजाब के समान थे। वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार इनको पंजाब वेतनक्रम के अनुसार कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दू धर्मस्व आयोग का प्रतिवेदन

३३७३ { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : }

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दू धर्मस्व आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र)** : (क) जी, हां। ३१ मई, १९६२ को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है ।

(ख) और (ग). रिपोर्ट छप रही है तथा सरकार उस पर विचार कर रही है । इसके छप जाने पर इसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रधान मंत्री के सचिवालय में एक क्लर्क द्वारा आत्महत्या

†३३७४ { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ जून, १९६२ को साउथ ब्लाक, नई, दिल्ली के अपने कार्यालय की चौथी मंजिल से कूद कर प्रधान मंत्री के सचिवालय के एक क्लर्क ने आत्म हत्या कर ली थी ;

(ख) क्या इस के संबंध में कोई जानकारी दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जांच से पता चला है कि प्रधान मंत्री के सचिवालय के एक लोअर डिवीजन क्लर्क ने स्वास्थ्य ठीक न रहने तथा मानसिक चिन्ताओं के कारण आत्म हत्या करली थी ।

लौह अयस्क गलाने के तरीकों का अध्ययन करने के लिए दल

†३३७५. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रविधिक विशेषज्ञों के एक दल को पूर्वी जर्मनी तथा नार्वे **इन** देशों के लौह अयस्क को गलाने के तरीकों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) दल के सदस्य कौन कौन हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) (क)** से (ग). सरकार ने **सैलम** लौह अयस्क तथा नेवेली लिगनाइट के परीक्षणों को देखने के लिए, ब्रिकेटिंग, कोकिंग

---

†मूल अंग्रेजी में

स्मैल्टिंग, को देखने के लिये पूर्वीजर्मनी तथा तथा नार्वे को एक दल भेजने की स्वीकृति देदी है। यह दल लो रौफ्ट भट्टी का कार्य देखने के लिए पश्चिम जर्मनी भी जायेगा । यह दल जून, १९६२ के मध्य तक भारत से जायेगा :—

१. श्री सी० वी० एस० मनी,
मद्रास सरकार के उपसचिव ।

२. श्री आर० पी० सिन्हा, डिप्टी चीफ इंजीनियर, सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड,
रूरकेला, (उड़ीसा)

३. श्री डी० एन० शिबल ,
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर
नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन मद्रास ।

माध्यमिक शिक्षा संबंधी गोष्ठी

†३३७६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय माध्यमिक अध्यापक संघ ने कलकत्ते में मई, १९६२ के अन्त में "भारत में माध्यमिक शिक्षा का ढांचा" विषय पर दो दिन की गोष्ठी का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो भारत में माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार करने के लिए उस गोष्ठी में क्या क्या सिफारिशें की गयी थीं ; और

(ग) इन सिफारिशों को ध्यान में रखकर वर्तमान ढांचे में परिवर्तन करने के बारे में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण संलग्न है । (**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५६)

(ग) इन सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है और ढांचे के पुनर्गठन की किसी भी योजनायें उन पर उचित रूप से विचार किया जायेगा ?

चीनी औरत से करेंन्सी नोट आदि की बरामद

†३३७७. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में बंबई में एक चीनी औरत से ६६,००० रुपये के करेंन्सी नोट और शराब की कुछ बोतलें बरामद की गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख) . सीमाशुल्क अधिकारियों ने ऐसी कोई चीजें बरामद नहीं की हैं। फिर भी पता चला है कि बंबई पुलिस ने बम्बई में श्रीमती चांग गाऊ गिन के मकान पर छापा मार कर तीन बोतल शराब और ६६,००० रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की थी और श्रीमती चांग को मद्य निषेध कानून के अन्तर्गत, बिना अनुज्ञा पत्र के विदेशी शराब रखने के जुर्म में ३१ मई, १९६२ को गिरफ्तार किया गया था । बम्बई की पुलिस और आगे जांच पड़ताल कर रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में शराब की खपत

†३३७८. **श्री गो० महन्ती** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में दिल्ली में शराब की खपत में बहुत अधिक वृद्धि रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : पिछले पांच वर्षों में दिल्ली में क्रमिक मद्य निषेध के लिए दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित कार्य किये हैं:—

(१) देशी शराब की दूकानों की संख्या ७ से घटाकर २ कर दी गयी है और बाकी दो दूकानें भी दूर की बस्तियों में हटा दी गयी हैं।

(२) देशी शराब की विक्रय योग्य शक्ति २० डिगरी अंडर प्रूफ से घटाकर ५० डिगरी अंडर प्रूफ कर दी गयी है।

(३) देशी शराब विक्रेताओं पर यह निर्बन्धन लगा दिया गया है कि १९६२–६३ में लाइसेंस शुदा विक्रेताओं को १,२०,००० गैलन (५,४५,५१५ लिटर) से अधिक शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी।

(४) होटलों और धाबों आदि में विदेशी और देशी, दोनों ही तरह की शराब पीने की मनाही कर दी गयी है।

(५) सिनेमा और रेलवे उपाहारगृहों में विदेशी शराब की बिक्री और शराब पीने की मनाही कर दी गयी है।

(६) क्लबों में विदेशी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस देना और वहां केवल सदस्य ही शराब पी सकेंगे।

(७) होटलों में विदेशी शराब होटल में रहने वाले लोग सिर्फ अपने कमरों के अन्दर ही पी सकेंगे।

(८) एक व्यक्ति को फुटकर में बिक्री की सीमा १२ क्वार्ट बोतलों से घटाकर १ लिटर तक कर दी गयी है।

(९) एक व्यक्ति को अपने पास विदेशी शराब रखने की सीमा घटा कर १ लिटर कर दी गयी है। पहले कोई भी व्यक्ति अपने उपयोग के लिए किसी भी मात्रा में विदेशी शराब रख सकता था।

(१०) साल में १३७ नशाबन्दी दिन (ड्राइडेज) लागू करना।

(११) २५ साल से कम उम्र के लोगों को देशी या विदेशी शराब बेचने की मनाही कर दी गयी है।

(१२) शराब के उपभोग के लिए लाइसेंस शुदा जगहों में बच्चों और महिलाओं को नियुक्त करने की मनाही।

(१३) बिक्री के घंटों में कमी।

(१४) बारबार किये गये अपराधों के लिए सजा का बढ़ाया जाना और गैर-कानूनी शराब बनाने के लिए न्यूनतम दंड निर्धारित करना।

(१५) शुल्कों आदि की दरों में वृद्धि।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर में इस्पात का कारखाना

†३३७९. श्री वाल्मिकी : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मैसूर राज्य में बेलारी जिले के लोग बराबर यह मांग कर रहे हैं कि उनके जिले में इस्पात का एक कारखाना खोला जाय क्योंकि भारत में सब से अच्छी किस्म का अयस्क उसी जिले में प्राप्त होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उस जिले में कोई इस्पात कारखाना खोलने का सरकार का विचार है ; और

(ग) तीसरी योजना की अवधि में हम कितने इस्पात कारखाने खोलने जा र हैं ; और

(घ) क्या इन कारखानों के कोई स्थान चुन लिये गये हैं ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, हां ।

(ख) और (घ) : तीसरी योजना की अवधि में, बोकारो में इस्पात का एक नया कारखाना खड़ा करने का विचार है। नैवेली लिगनाइट पर आधारित कच्चे लोहे का एक कारखाना कायम करने के प्रश्न पर तकनीकी समिति अभी विचार कर रही है। यह कारखाना दक्षिणी प्रदेश में इस्पात कारखाने की स्थापना की प्रारंभिक दशा का द्योतक होगा । अनुमान है कि यह समिति कारखाने के लिये उपयुक्त स्थान के संबंध में भी रिपोर्ट देगी । इसी तरह की एक दूसरी समिति बेलारी जिले के कच्चे लोहे के आधार पर कच्चा लोहा या इस्पात कारखाना स्थापित करने की तकनीकी और आर्थिक उपयुक्ता की छानबीन कर रही है ।

सेवानिवृत्त सूबेदार–मेजरों के लिए महंगाई भत्ता

३३८०. श्री युद्धवीर सिंह चौधरी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवकाश प्राप्त सूबेदार-मेजरों को अन्य फौजी पेंशनरों के समान वेतन के साथ कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) सशस्त्र सेनाओं के पेंशनरों को महंगाई भत्ते के तौर पर कोई भत्ता पेंशनों के साथ नहीं मिलता। तदपि छोटी पेंशनों पर उन पेंशनरों को अस्थायी वृद्धियां देय हैं, जिन्हें पेंशन सम्बन्धी पुराने नियमों के अधीन ११२ रुपये ५० नये पैसे तक मासिक पेंशनें मिलती हैं। चूंकि इन अस्थायी वृद्धियों का अधिकार पेंशन के दर के आधार पर निर्धारित किया जाता है, न कि आस्पद के आधार पर, ऐसे सूबेदार मेजर अस्थायी वृद्धियों के अधिकारी हैं, जिन्हें ११२ रुपये ५० नये पैसे से कम मासिक पेंशन मिलती है ।

(ख) उपरोक्त स्पष्ट की गई स्थिति के समक्ष, प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र सेना के पेंशनर

३३८१. श्री युद्धवीर सिंह चौधरी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेंशन प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को प्रतिमास पेंशन नहीं मिलती अपितु तीन मास या उससे भी अधिक समय में मिलती है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) अधिकतर हालतों में सशस्त्र सेनाओं के पैंनशरों को पेंशन की अदायगी त्रिमासिक की जाती है ।

(ख) (१) जहां पेंशनें मासिक भी दी जाती हैं, पेंशनर अपनी पेंशनें लेने के लिए सदा समय पर नहीं आते, वरन दो तीन मास को पेंशन इकट्ठी लेना पसन्द करते हैं, क्योंकि इस तरह पेंशन देने वाले कार्यालयों को जाने आने की यात्रा में उन का खर्च बच जाता है । ऐसा कोई साक्ष्य नहीं कि थोड़ी पेंशन पाने वाले पेंशनर अपनी पेंशन मासिक पाना पसन्द नकरेंगे ।

(२) त्रिमासिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों की संख्या कुछ लाख है । वह खजानों और डाकखानों से पेंशनें पाते हैं। अगर त्रिमासिक के स्थान अदायगी मासिक कर दी गई तो उन कार्यालयों का पेंशनें लेने का काम ही आगे से तीन गुणा बढ़ जायेगा। वह इस का सामना न रक सकेंगे, और परिणाम स्वरूप विभंग पेंशनरों के लिए ही गंभीर कठिनाइयां पैदा कर देगा ।

'सैनिक समाचार'

†३३८२. { **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकट्टु :
श्री वारियर : }

†क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन भाषाओं में 'सैनिक समाचार' प्रकाशित किया जाता है और उसकी बिक्री संख्या कितनी है ;

(ख) प्रत्येक संस्करण पर कितना खर्च होता है ; और

(ग) क्या उसका मलयाली संस्करण प्रकाशित करने की कोई योजना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) सैनिक समाचार निम्नलिखित नौ भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है : अंग्रेजी, हिन्दी, रोमन-हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तामिल, तेलुगू और गोरखाली ।

दिनांक १७ जून, १९६२ के अंक के भाषावार बिक्री संख्या के आंकड़े इस प्रकार हैं :–

अंग्रेजी	२,९५०
उर्दू	७५३
हिन्दी	४,६७६
पंजाबी	२,२५६
रोमन हिन्दी	४१९
तामिल	६४७
तेलुगू	२६३
मराठी	५८१
गोरखाली	६४३
कुल	१३,१८८

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक संस्करण के खर्च के हिसाब-किताब अलग से नहीं रखे जाते। १९६१–६२ में इस पत्रिका के प्रकाशन पर कुल लगभग ५.३१ लाख रुपया खर्च हुआ।

(ग) जी हां। मलयाली संस्करण प्रकाशित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

भूतपूर्व सैनिकों की जन-गणना

†३३८३. { श्री अ० क० राघवन :
श्री पोट्टेकट्ट :
श्री वारियर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के भूतपूर्व सैनिकों की जनगणना करने की कोई योजना है, और

(ख) क्या सरकार को जिलेवार बेरोजगार भूतपूर्व सैनिकों की संख्या के बारे में कोई जानकारी है ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राघुरामैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। फिर भी ३१–१२–६१ को रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में दर्ज, रोजगार सहायता चाहने वाले भूतपूर्व सैनिकों की संख्या के बारे में जानकारी सरकार के पास राज्यवार (न कि जिलेवार) उपलब्ध है। यह जानकारी लोक-सभा में ५ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५९९ के उत्तर में दी जा चुकी है।

चमड़ा अनुसन्धान संस्था गिन्डी, को पी० एल० ४८० निधि से सहायता

†३३८४. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमानाथ :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिन्डी स्थित केन्द्रीय चमड़ा-अनुसन्धान संस्था को मूलभूत अनुसन्धान की अपनी किसी योजना के लिए पी० एल० ४८० निधि से कोई सहायता मिलने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और उसकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) किन किन योजनाओं के लिए उसे इस्तेमाल किया जायेगा ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी, हां।

(ख) पांच वर्ष की अवधि के लिए १.८१ लाख रुपये और १.२८ लाख रुपये के दो अनुदान दिये गये हैं। उनकी मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं :—

(१) छमाही भुगतान किया जायगा।

(२) छमाही रिपोर्टें प्रस्तुत की जायेंगी।

(३) अमरीका सरकार के अधिकृत-प्रतिनिधि योजनाओं की प्रगति देखने के लिए अनुसन्धानशाला में जा सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) इन योजनाओं से कोई भी पेटेंट योग्य परिणामों के साथ अमरीकी जनता को दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में, अधिकार-शुल्क से मुक्त अहस्तांन्तरणीय विश्व अनुज्ञप्ति (नॉन-ट्रांसफरेबल वर्ल्ड लाइसेंस), अमरीकी सरकार को दिया जायेगा। अमरीका से बाहर पेटेन्ट के अधिकार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद की नीति के अनुसार होंगे।

(५) अमरीकी सरकार यह निश्चय करेगी कि अनुसन्धान के जो परिणाम और योजनाओं सम्बन्धी जो जानकारी अमरीकी कृषि विभाग की राय में अमरीका में पेटेंट के योग्य नहीं है, वह उस देश में किस प्रकार प्रकाशित की जायेगी। अमरीका के बाहर प्रकाशन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की नीति के अनुसार होगा।

(ग) योजनाएं इस प्रकार हैं :—

(१) अच्छी किस्म वाले भारी चमड़े बनाने के लिए मूलभूत जानकारी प्राप्त करने के लिए हाइड प्रोटीन्स (कोलागेन) के साथ पोलीफेनालिक टैनिंग कम्पाउड्स की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में अध्ययन।

(२) चमड़ा बनाने के लिए उन्नत तरीके ढूंढ़ निकालने में प्रयोग के लिए जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से खाल की किस्म और चमड़ा कमाने की दर और कार्यक्षमता के बीच परस्पर सम्बन्ध का अध्ययन।

कटनी (मध्यप्रदेश) में बाक्साइड

†२३८८. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमानाथ :

क्या खान और इंधन मंत्री २६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में कटनी में बॉक्साइट निक्षेपों के इंधन मूल्य के सम्बन्ध में और अधिक जांच पड़ताल पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने कटनी में बॉक्साइट के अन्तिम मूल्यांकन के लिए और आगे कोई जांच पड़ताल नहीं की है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत के प्राणि विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण विभाग की पुनर्विलोकन समिति

†२३८९. **श्री बसुमतारी** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के प्राणि विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण विभाग के काम काज के सम्बन्ध में पुनर्विलोकन समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी, नहीं ।**

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत के सर्वेक्षण विभाग के बारे में चीथम समिति की अन्तरिम रिपोर्ट

†**३३८७. श्री बसुमतारी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का सर्वेक्षण विभाग के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिये मेजर जनरल चीथम के सभापतित्व में स्थापित समिति की अन्तरिम रिपोर्ट की मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) उन में से कितनी मंजूर कर ली गई हैं; और

(ग) उन में से कितनी अभी कार्यान्वित की जा रही हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर):** (क) से (ग). मुख्य सिफारिशें इस संबंध में हैं :—

(१) प्राथमिकता सर्वेक्षण कार्य के लिये चार क्षेत्रीय दल (फील्ड पार्टीज) तुरन्त नियुक्त कर के विभाग को सुदृढ़ करना;

(२) क्षेत्रीय दलों के लिये परिवहन की व्यवस्था;

(३) सूक्ष्म कार्य के लिये आवश्यक आधुनिक साज सामान की सप्लाई ।

ये सिफारिशें मंजूर कर ली गयी हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है ?

आविष्कार

†**३३८८. श्री बसुमतारी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में कौन कौन से आविष्कार भारत के राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम को बताये गये हैं;

(ख) किन किन वैज्ञानिकों ने ये आविष्कार किये हैं; और

(ग) किन किन संस्थाओं और प्रयोग शालाओं में ये आविष्कार किये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) से (ग). उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५७]**

प्रक्रियाओं का वाणिज्यिक विकास

†**३३८९. श्री बसुमतारी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम द्वारा वर्ष १९६१–६२ में प्रक्रियाओं के वाणिज्यिक विकास के लिये कौन कौन से लाइसेंस करार किये गये हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये करार करने वाली पार्टियां कौन कौन हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५८**]

भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग के लिये पुनर्विलोकन समिति

†**३३९०. श्री बसुमतारी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग के लिये पुनर्विलोकन समिति की रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) उनमें से कितनी सरकार ने मंजूर कर ली हैं ; और

(ग) इनमें से कितनी अभी कार्यान्वित की जा रही हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग). पुनर्विलोकन समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें और उनके संबंध में वर्तमान स्थिति बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५९**] ।

बाल अपराध

†**३३९१. श्रीमती लक्ष्मी बाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालक अधिनियम, १९६० के पास हो जाने के बाद से बाल अपराधों के बारे में सरकार ने कोई रिपोर्ट प्रकाशित की है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) यद्यपि बाल अपराध के संबंध में कोई अलग रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है फिर भी बाल अपराध संबंधी आंकड़े "क्राइम इन इंडिया—१९५९" में दिये हुये हैं । यह प्रकाशन १९६१ में अर्थात् बालक अधिनियम, १९६० के पास किये जाने के बाद प्रकाशित किया गया है ।

(ख) यह जानकारी उपर्युक्त प्रकाशन के पृष्ठ १४ पर मिलेगी । इस प्रकाशन की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में पहले ही रख दी गई हैं ।

राष्ट्रीय एकीकरण परिषद्

†३३९२. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में नई दिल्ली में राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से मुख्य संकल्प पारित किये गये और सिफारिशें की गयीं ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये या उठाये जाने वाले हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हाँ, २ और ३ जून, १९६२ को।

(ख) सभा की कार्यवाही की एक प्रति प्रधान मंत्री ने १५ जून, १९६२ को सभा पटल पर रख दी है।

(ग) जहाँ आवश्यक हो, वहाँ संबंधित अधिकारियों का ध्यान सिफारिशों की ओर दिलाया जा रहा है और उनके द्वारा की गई कार्यवाही की रिपार्टें प्राप्त की जायेंगी। प्रादेशिकता और साम्प्रदायिकता की समस्यायें सुलझाने तथा छात्रों, अध्यापकों, विभिन्न शिक्षा संस्थाओं और राजनैतिक दलों के लिये आचरण संहिता बनाने के लिये परिषद् द्वारा नियुक्त समितियाँ सितम्बर, या अक्तूबर, में परिषद् की अगली बैठक में संभवतः अपना विवरण प्रस्तुत करेंगी।

दिल्ली स्कूल अध्यापकों के लिये दूसरे वेतन आयोग की सिफारि

†३३९४. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या शिक्षा मंत्री २० मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ११४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम ने दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक १ जुलाई, १९५९ से अपने अध्यापकों को बकाया रकमों की अदायगी के कारण हुये खर्च को पूरा करने के लिये कुल कितनी सहायता माँगी थी ;

(ख) १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ की अलग-अलग अवधियों के लिये उस प्रयोजन पर किये गये खर्च को पूरा करने के लिये सरकार ने कुल कितनी सहायता मंजूर की थी ;

(ग) भारत सरकार ने किस तारीख को यह सहायता मंजूर की और दिल्ली नगर निगम को सूचना दी ; और

(घ) वास्तविक लनदारों को बकाया रकमें मिली हैं या नहीं इस बारे में सरकार की क्या जानकारी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) निगम ने खासकर अध्यापकों को बकाया रकमों की अदायगी के लिये काई अनुदान नहीं माँगा था।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) अनुमान है कि सभी मामलों में इस महीने के आखिर तक बकाया रकमों की अदायगी पूरी कर दी जायेगी।

छात्रों को छुट्टियां

३३९५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्यतया वर्ष में छात्रों के पढ़ने और अवकाश के दिनों का क्या अनुपात है ;

(ख) क्या कुछ अवकाश के दिनों में कमी करने की भी सरकार सोच रही है ;

(ग) किन्हीं राज्य सरकारों ने इस संबंध में क्या कोई योजना बनाई है ; और

(घ) अवकाश के दिनों में भी विद्यार्थियों के समय का सदुपयोग हो सके क्या इस पर कुछ विचार हो रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के बाद उस पर विचार किया जाएगा। सरकार के विचारों सहित यह सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

जीवन बीमा निगम की ओर से ऋणों का दिया जाना

३३९६. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य निर्माण और बन्धक (हाउसिंग एंड मोर्टगेज) के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण अवैध ढंग से प्राइवेट एजेंटों के एक गिरोह द्वारा स्वीकृत किये जा रहे हैं, जो दो प्रतिशत अनुचित धन वसूल करते हैं ; और

(ख) सरकार इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भूतपूर्व सौराष्ट्र राज्य के न्याय अधिकारी

†**३३९७. श्री जसवन्त मेहता** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व सौराष्ट्र राज्य के न्याय अधिकारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उनकी सेवाओं का समानीकरण किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनके अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार इस मामले में पहिले से ही निश्चय कर चुकी है ; और

(घ) यदि हां, तो निश्चय को लागू करने में देर होने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने केन्द्रीय सलाहकार समिति के परामर्श पर आदेश दे दिये थे और १५ मार्च, १९६० को वे बम्बई सरकार को भेज दिये गये थे।

(घ) महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सैनिक नावोगन विस्तार योजना, बम्बई

†**३३९८. { श्री अ० क० गोपालन** :
श्री इम्बीचिबावा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना गोदी विस्तार योजना, बम्बई के कमाण्डर निर्माण इंजीनियर का कार्यालय गैरिसन इंजीनियर (नौसेना यूनिट) को दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो नौसेना गोदी विस्तार योजना में आज कल काम करने वाले कर्मचारियों की क्या स्थिति होगी ;

(ग) क्या नौसेना गोदी विस्तार योजना के कर्मचारी स्थायी हैं या अस्थायी हैं ; और

(घ) यदि स्थायी हैं, तो उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले समस्त लाभ प्राप्त हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) वे दोनों प्रकार के हैं ।

(घ) हां, स्थायी कर्मचारियों को वे सभी लाभ प्राप्त हैं ।

राष्ट्रीय एकता सम्मेलन

†३३९९. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सितम्बर, १९६१ में नई दिल्ली में हुए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन की कार्यवाही प्रकाशित कर दी है ;

(ख) यदि नहीं तो क्या जन समुदाय को जानकारी कराने के लिये सम्मेलन की विस्तृत कार्यवाही या कुछ संक्षिप्त बातें प्रकाशित करने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं ।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय एकता सम्मेलन की ओर जारी किया गया एक विवरण जिसमें उसके परिणाम तथा सिफारिशों का उल्लेख है, २० नवम्बर, १९६१ को पटल पर रखा गया था । विवरण का अंग्रेजी और हिन्दी में तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय भाषाओं में विस्तृत प्रचार किया जा रहा है ।

जयाल स्मारक

३४००. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कछ वर्ष पहले हिमालय पर्वत रोहण संस्था , दार्जिलिग के प्रिंसिपल मेजर एन० डी० जयाल की आकस्मिक मृत्यु के बाद जयाल स्मारक निधि स्थापित करने और स्मृति–ग्रंथ तैयार करने का निश्चय किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय मे अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय पर्वतारोहण फाऊण्डेशन समेत सभी साधनों से इस समय तक जयाल स्मारक निधि में कुल लगभग २४,००० रुपये प्राप्त हो चुका है । इस के अतिरिक्त ४५,००० रुपये की लागत का पर्वतारोहण संबंधी साज़ सामान की भारतीय पर्वतारोहण फाऊंडेशन से इस निधि को प्राप्त हुआ है । इस निधि का उद्देश्य है पर्वतारोहण संबंधी साज़ सामान इकट्ठा कर के भारतीय अभीयान दलों को वाज़बी दरों पर किराये पर देना । केवल १९६१ में ही, अन्नपूर्णा तृतीय, नीलकण्ठ , नन्दा देवी, माना अभियान दलों तथा पुष्प घाटी में बम्बई की पर्वतारोहिण समिति के आरोहण शिविर और अन्य कई छोटे आरोहण दलों को इस निधि से बहुत से पर्वतारोहण संबंधी सामान और साज सामान से लैस लिया गया था । नवम्बर १९६१ मे मनाली में स्थापित पश्चिमी हिमालय पर्वतारोहण स्कूल का

†मूल अंग्रजी में

पहला प्रशिक्षण क्रम आयोजित करने के लिये पंजाब सरकार को भी पर्वतारोहण साज सामान प्राप्य किया गया था ।

"भारतीय पर्वतारोहण" नाम की हस्तलिखित पुस्तक को अंतिम रूप दिया जाने वाला है, जिस में कि भूतपूर्व मेजर जयाल और अन्य विख्यात पर्वतारोहियों की संक्षिप्त जीवनियां और लेख दिये गये हैं, और आशा है कि प्रकाशन के लिए उसे शीघ्र ही छापाखाना मे भेज दिया जायगा ।

भारतीय एवरेस्ट दल

३४०१. **श्री बेरवा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एवेरेस्ट पर अभियान के लिये अब तक कितने भारतीय पर्वतारोही दलों को भेजा जा चुका है ;

(ख) इन अभियानों पर कितना धन व्यय हुआ है ; और

(ग) मेजर जान डायस के नेतृत्व में हाल के अभियान के विफल होने के कारण क्या हैं ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) अभी तक दो भारतीय अभियान एवरेस्ट शिखर पर आरोहण के लिए भेजे गए हैं, पहला १९६० में और दूसरा १९६२ में।

(ख) प्रथम अभियान पर लगभग ६ लाख रुपये व्यय हुआ था, और दूसरे पर भी शायद लगभग ६ ही लाख रुपये खर्च आये ।

(ग) अभियान की विफलता का एक मात्र कारण था, मौसम की लगातार खराबी।

२८६०० फुट की ऊंचाई तक (शिखर से केवल ४२८ फुट कम) पहुंचने क पश्चात् चोटी पर पहुंचे दल को मौसम तेज आंधियों, अन्धा कर देने वाले तूफानों, ऊंचाई पर शून्य से नीचे तापमान में अधिक समय तक खुले में रहने आदि से संग्राम करना पड़ा । तदपि सिवाए लौटने के उस के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया था। अगर वह उलटे पांव लौट नहीं आते तो चोटी पर पहुंचे दल को आठवें शिविर तक लौटने तक का समय न मिल पाता। परिणामस्वरूप वह सातवें शिविर तक भी उस दिन बहुत विलम्ब से अर्थात् १० बजे रात को पहुंचे, और लगातार तीसरी रात उन्हें २७,६०० फुट की ऊंचाई पर व्यतीत करनी पड़ी, जो एक ऐसा अनुभव था, जिसकी कि पर्वतारोहण में मिसाल नहीं मिलती ।

दिल्ली में साइकिलों के चालान

†३४०२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में दिल्ली और नई दिल्ली में लेम्प, आदि बिना साइकिल चलाने पर कितने चालान हुए; और

(ख) जुर्माना के रूप में उन से कितना धन प्राप्त किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) पिछले पांच वर्षों में लेम्प, आदि बिना साइकिल चलाने पर किये गये चालानों की संख्या निम्न है :—

१९५७	३,५१४
१९५८	४७,५६४
१९५९	६३,३५८
१९६०	२४,४६०
१९६१	१३,८७०
१९६२ (३१-५-६२ तक)	३,८५८

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है। अपराधानुसार जुर्माने की प्राप्ति का ब्यौरा नहीं रखा जाता ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल

†३४०३. श्री बी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की जुलाई १९६० में हड़ताल के समय केन्द्रीय सचिवालय में कुछ सरकारी कर्मचारियों को रोका गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी कितनी संख्या थी ;

(ग) क्या यह सच है कि उन कर्मचारियों को विशेष बोनस / पारश्रमिक दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो कितना भुगतान किया गया था ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी बस्तियों में नर्सरी स्कूल

†३४०४. श्री बी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली की सरोजनी नगर, नेताजी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, नरौजी नगर, मोती बाग और किदवई नगर जैसी सरकारी बस्तियों में इसे ५ वर्ष तक की आयु के कितने बच्चे हैं ;

(ख) क्या इन बस्तियों में गैर-सरकारी तथा नगरपालिका अधिकारी नर्सरी स्कूल चलाते हैं ;

(ग) गैर-सरकारी और सरकारी तौर पर चलने वाले स्कूलों में अलग अलग कित स्थान उपलब्ध हैं ;

(घ) क्या ऐसे और नर्सरी स्कूलों की आवश्यकता या मांग है और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या योजना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) लगभग ५,५०० बच्चे ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) स्थानीय निकाय :	१७१
सरकारी	५८
गैर-सरकारी	जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) हां, श्रीमान ।

(ङ) नर्सरी स्कूल चलाने के लिये गैर-सरकारी निकायों को प्रोत्साहन दिया जाता है ।

उड़ीसा में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय और जिला पुस्तकालय

†३४०५. **श्री मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने अपनी पुस्तकालय सलाहकार समिति की रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय और जिला पुस्तकालय खोलने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: पुस्तकालय सलाहकार समिति की रिपोर्ट के अध्याय ४ की सिफारिश संख्या २ आवश्यक कार्यवाही करने के लिये उड़ीसा राज्य सरकार को भेज दी गई थी। उन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य में पुस्तकालय सेवा आरम्भ करने की निम्न योजनाओं के लिये योजना में १८.४० लाख रुपये का उपबन्ध किया है:—

	लाख रुपये
(क) खण्डों में चल पुस्तकालय यूनिट आरम्भ करना	१.००
(ख) राज्य तथा नगर पुस्तकालय	१०.४०
(ग) राज्य पुस्तकालय की इमारत का निर्माण	२.००
(घ) ग्राम पुस्तकालय को अनुदान	५.००

औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल'

†३४०६. **श्री जं० ब० सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रबन्ध पूल के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस 'पूल' को भारतीय आर्थिक सेवा या भारतीय सांख्यकी सेवा जैसी किसी सेवा में बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ग) क्या 'पूल' अधिकारियों की सेवायें विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा शिखिर और मध्य प्रबन्ध स्तरों पर सक्रिय रूप से प्रयोग की जायेंगी ;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी कि 'पूल' अधिकारियों को इन उपक्रमों में अपना कार्य व योग्यता दिखाने के उचित अवसर दिये जाये ;

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) प्रबन्ध 'पूल' में इन अधिकारियों के स्थानान्तरण, नियुक्ति, पदोन्नति, आदि करने का क्या ढंग सुझाया गया है ताकि वे अपने कार्य में रुचि रख सकें;

(च) विभिन्न उपक्रमों में अन्य पुनःनियुक्त केन्द्रीय सेवाओं के व्यक्तियों के मुकाबले औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल' के अधिकारियों की क्या स्थिति है ; और

(छ) विभिन्न सरकारी उपक्रमों में समुचित स्तरों पर कुछ प्रतिशत पद औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल' अधिकारियों के लिये सुरक्षित हैं या सुरक्षित करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं।

(ख) नहीं ।

(ग) हां, यही इच्छा है ।

(घ) आज कल ऐसे उचित अवसर उपलब्ध है ।

(ङ) 'मूल' अधिकारी इन उपक्रमों में वहां रखे जाते हैं जहां उनकी सेवाओं का उनकी योग्यता तथा अनुभव के अनुसार सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। एक उपक्रम से दूसरे उपक्रम में स्थानान्तरण करने पर यही सिद्धान्त लागू होगा। पदोन्नति सर्वथा योग्यता के आधार पर होगी ।

(च) अन्य सेवाओं से पुनः नियुक्ति पर आये अधिकारी विशिष्ट अवधि के लिये इन उपक्रमों में रखे जाते हैं और उनकी शर्तें पुनः नियुक्ति की विशेष शर्तें होती हैं। इसकी ओर औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल' के अधिकारी उपक्रमों में वरिष्ठ प्रबन्धक पदों पर कार्य करने के लिये होते हैं। इनकी पुनः नियुक्ति की अवधि निर्धारित नहीं होती और उनकी सेवा की शर्तें औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल" योजना में निर्धारित होती हैं ।

(छ) नहीं ।

इस्पात कारखाना नेवेली

†३४०७. **श्री उमानाथ** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेवेली लिग्नाइट के आधार पर प्रस्तावित इस्पात कारखाना के विभिन्न अन्तिम उत्पादों का उपयोगिता निर्धारित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारण के लिये क्या व्यवस्था की गई है और यह अपनी रिपोर्ट कब देगी; और

(ग) यदि पहिले से ही निर्धारित है तो निर्धारण का क्या व्योरा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). नेवेली लिग्नाइट पर आधारित इस्पात कारखाना स्थापित करने का निश्चय होने पर निर्धारण किया जायगा।

सेलम के लौह अयस्क के सम्बन्ध में रिपोर्ट

†३४०८. **श्री उमानाथ** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री २३ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या सरकार को पूर्वी जर्मनी, नार्वे और जमशेदपुर से इस्पात कारखाना स्थापित करने की संभावना पर सेलम लौह अयस्क के बारे में परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो परीक्षणों के क्या परिणाम रहे और रिपोर्ट में अन्य किन बातों का उल्लेख है ; और

(ग) जिस उद्देश्य से नमूने भेजे जाते हैं उसके अनुसार क्या परिणाम रहे ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). नेवेली लिग्नाइट के साथ लोहे के उत्पादन के लिय सेलम लौह अयस्क की उपयुक्तता निश्चित करने के लिये पूर्वी जर्मनी, नार्वे और जमशेदपुर में किये गये परीक्षणों की प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं। इन रिपोर्ट से पहिले के अनुमानों की पुष्टि हुई है कि निम्न शैफ्ट या विद्युत् भट्टियों में सेलम लौह अयस्क और लिग्नाइट कोक से लोहा बनाना टेक्निकल दृष्टि से संभव है। और परीक्षण हो रहे हैं, जिनसे टेक्निकल पहलुओं की और जानकारी प्राप्त होगी और परियोजना की आर्थिक संभावना निश्चित करने में भी सहायता मिलेगी।

गोरखा रेजीमेंट

†३४०९. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारी गोरखा रेजीमेंट में केवल नेपाली उद्भव के उन व्यक्तियों को जो स्थाई रूप से इस देश में रहते हों, भर्ती किया जाता है या नेपाली नागरिकों को भी भर्ती किया जाता है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : ये दोनों प्रकार के लोग भर्त्ती किए जाते हैं।

तेल की पाइप लाइन

†३४१०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिगबोई-तेल-क्षेत्र और बरौनी तेल शोधक कारखाने के बीच पाइप लाइन के सम्बन्ध में अब तक कितने पम्पिंग और रिपीटर स्टेशन पूरे हो गये हैं; और

(ख) कितनी पाइप लाइन बन चुकी है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) पांच पम्पिग स्टेशन और आठ रिपीटर स्टेशन अब तक पूरे हो गये हैं : ये स्टशन गहकटिया, अग्रीजन और मोरान तेल-क्षेत्रों तथा बरौनी तेल शोधक कारखाने की बीच पाइप लाइन पर हैं।

(ख) ७१७.५ मील।

महाराष्ट्र और गुजरात के बीच आस्तियों का विभाजन

†३४११. **श्री पु० र० पटेल** :
श्री दे० जी० नायक :
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में विभाजित की गई आस्तियों का क्या ब्यौरा है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दोनों राज्यों में आस्तियों के विभाजन के बारे में झगड़े का क्या ब्यारा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार)** : (क) बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, १९६० में उपबन्ध है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में भूतपूर्व बम्बई राज्य की आस्तियां किस ढंग से विभाजित होंगी। आस्तियों का ब्यौरा दोनों राज्य सरकारें तैयार करेंगी। भारत सरकार को निम्न दो मामले भेजे गये थे और उन्होंने उनके सम्बन्ध में आदेश दे दिये हैं :—

(१) बम्बई राज्य के कैश बैलेन्स इन्वेस्टमेंन्ट अकाउन्ट से गुजरात सरकार को १०.०० करोड़ रु० के मूल्य की प्रतिभूतियों का स्थानान्तरण ?

(२) बम्बई राज्य के कैश बेलेन्स अकाउन्ट में महाराष्ट्र राज्य के अंश में से गुजरात राज्य को १४.२० करोड़ रु० के मूल्य की प्रतिभूतियों का स्थानान्तरण।

(ख) तत्काल उपलब्ध जानकारी के अनुसार झगड़े के निम्न मामले राज्य सरकारों को भेजे गये हैं :—

(१) सिंकिंग और डिप्रीसियेशन फण्ड, आदि में विनियोजनों का आवंटन।

(२) निश्चित दिन से पहिले सरकारी कर्मचारियों को दिये गये वेतन के पूर्व भुगतान तथा, यात्रा भत्ता आदि की प्राप्तियों का आवंटन।

(३) पत्तन संरक्षित निधि तथा पत्तन विकास निधि का विभाजन।

वावोल कुआं (गुजरात)

†३४१२. **श्री पु० र० पटेल :**
श्री दे० जी० नायक :
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वावोल कूआं (गुजरात) सीमेंन्ट से भर दिया गया है और यदि हां, तो सीमेंन्ट की कितनी बोरियां इस्तेमाल की गयीं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी, नहीं।

राज्यों को कोयला संभरण

†३४१३ **श्री पु० र० पटेल :**
श्री दे० जी० नायक :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०, १९६१ और १९६२ में विभिन्न राज्यों को विभिन्न किस्मों का कितना कोयला संभरण किया गया और कौन कौन सी बातें कोयले के नियतन और संभरण का नियंत्रण करती हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : १९६२ में विभिन्न राज्यों के कोटे में कुछ रदोबदल किया गया है ताकि वह उपलब्ध रेल परिवहन क्षमता के अनुरूप हो। यह सोचा गया था कि उपलब्ध परिवहन क्षमता से कहीं अधिक कोटा निश्चित करने के बजाय उतनी ही मात्रा में नियत करना उपभोक्ताओं के हित में होगा जो सचमुच ले जायी जा सकती है ताकि उपभोक्ता अपने कारखानों के काम का उचित प्रकार से आयोजन कर सकें। १९६०–१९६१ और १९६२ में विभिन्न राज्यों के लिए नियत किये गये कोटे और उन्हें भेजे गये कोयले की मात्रा बताने वाला एक तुलनात्मक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक सहायक सेना प्रशिक्षण दल

†३४१४. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सहायक सेना प्रशिक्षण दलों के कर्मचारियों को सैनिक माना जाता है या असैनिक माना जाता है ;

(ख) क्या उन पर सेना अधिनियम लागू होता है और क्या सेना कर्मचारियों को दिये जाने वाले लाभ भी उनको मिलते हैं; और

(ग) यदि वे असैनिक कर्मचारी हैं, तो क्या दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें उन पर लागू होती हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) लोक सहायक सेना प्रशिक्षण दलों में निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारी आते हैं; अर्थात

(१) नियमित सेना के कर्मचारी

(२) पुनः सेवा में रखे गये अवकाश प्राप्त सैनिक

(३) बिना दर्ज किये हुये गैर लड़ाकू सैनिक ।

ऊपर (१) और (२) के आने वाले व्यक्ति सेना के कर्मचारी माने जाते हैं और (३) में आने वाले असैनिक कर्मचारी माने जाते हैं ।

(ख) सेना अधिनियम नियमित सेना के कर्मचारियों और पुनः सेवा में रखे गये अवकाश प्राप्त सैनिकों पर लागू होता है । नियमित सेना के कर्मचारी नियमित सेना की सभी सुविधायें प्राप्त करते हैं। पुनः सेना में रखे गये अवकाश प्राप्त सैनिक सेवा की विशेष शर्तों पर लोक सहायक सेना प्रशिक्षण दलों के लिये सेना में रखे जाते हैं। बिना दर्ज किये हुये गैर लड़ाकू सनिकों पर न तो सेना अधिनियम लागू होता है और न ही उन्हें नियमित सैनिकों के सारे लाभ मिलते हैं ।

(ग) बिना दर्ज किये हुये गैर लड़ाकू सनिकों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है । जैसा कि नियमित सेना के वैसे कर्मचारियों के साथ किया जता है । वे दूसरे वेतन आयोग के अनसार वेतन-मान के अधिकारी हैं पर अन्य सुविधाओं के अधिकारो नहीं हैं ।

रूरकेला इस्पात कारखाना

†३४१५. **श्री गो० महन्ती :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात कारखाना को हुयी ५५ लाख रू० को क्षति किन परिस्थितियों में हुई इसकी जांच करने के लिए फरवरी १९६१ में नियुक्त जांच समिति ने क्या अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है :

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) क्या इस में से १.५२ लाख रु० की क्षति जो कहा जाता है कि ठेकेदारों द्वारा ठेके की शर्तें पूरी न करने के कारण हुआ है, उन से वसूल कर लिया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ठेकेदारों से अभी तक १.५२ लाख रुपयों से १.११ लाख रु० वसूल हो पाये हैं ।

स्टेनलेस इस्पात

†३४१६. **श्रीमती सरोजनी महिसी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेनलेस इस्पात बनाने का लाईसेंस लेने के लिए कितनी फर्मों ने आवेदन पत्र दिया है ;

(ख) कितनी फर्मों को लाइसेंस दिया गया है और कितनी मात्रा में तैयार करने का ; और

(ग) यदि आवेदन पत्रों की संख्या बहुत अधिक है तो उन्हें कैसे निबटाने का विचार है ।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) २९।

(ख) केवल एक को, अर्थात् टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जमशेदपुर को। २०,००० टन प्रतिवर्ष स्टेनलेस स्टील तैयार करने का।

(ग) शेष आवेदन पत्र अन्तर्मंत्रालयी समिति के विचारधीन है, और शीघ्र ही उन पर अन्तिम निर्णय लिया जाने वाला है ।

नहरकटिया की गैस

†३४१७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नहरकटिया की गैस का समुचित उपयोग करने के लिये एक पाँच सदस्यीय समिति नियुक्त कर दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भारत सरकार ने ऐसी कोई समिति नहीं बनाई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयला उप सहायक नियंत्रक का कार्यालय, गौहाटी

†३४१८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि कोयला उप सहायक नियंत्रक के कार्यालय को गौहाटी से हटाकर कलकत्ता ले जाया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार को इस निर्णय के विरोध में आसाम के कोयला क्षेत्रों से कोइ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** (क) से (घ). गौहाटी में इस समय कोयला उप सहायक नियंत्रक के दर्जे का अफसर तैनात किया गया है और उसका कार्यालय वहां है । इस कार्यालय को कलकत्ता लेजाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन अवश्य प्राप्त हुए हैं किन्तु वे स्थिति की गलत जानकारी पर आधारित प्रतीत होते हैं ।

छोटी बचत के लिये राज्यों को पुरस्कार

†**३४१९. श्री कजरोलकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ऐसे राज्य अथवा राज्यों को पुरस्कार देने का इरादा है जिन्होंने छोटी बचत के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत अच्छा कार्य किया है; और

(ख) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा गत तीन वर्षों अर्थात् १९५९–६०, १९६०–६१, और १९६१–६२ में छोटी बचत के लक्ष्यों की पूर्ति के लिये किये गये कार्य की जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : राज्यों को छोटी बचत के लक्ष्यों की पूर्ति के लिये पुरस्कार देने की कोई योजना फिलहाल विचाराधीन है नहीं ।

(ख) छोटी बचत के सम्बन्ध में राज्य वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये । पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में छोटी बचत की मद में इकट्ठा की गई राशि के आंकड़ों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६१]**

अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को लागू करना

†**३४२०. श्री कजरोलकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिस में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को प्रत्येक राज्य लागू करने के लिये अब तक मंजुर राशि दी गई हो ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों पर है । अधिनियम को लागू करने के लिये कोई अनुदान नहीं दिये जाते ।

अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को लागू करना

†**४२१. श्री कजरोलकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कौन-कौन से राज्य अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, १९५५ को लागू करने के लिये मंजूर अनूदान का पूरा उपयोग कर रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों पर है । अधिनियम को लागू करने के लिये कोई अनुदान नहीं दिये जाते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांगड़ा जिले का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†३४२२. { **श्री रामरतन गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा जिले का कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण हाल में आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां तो क्या इस क्षेत्र में चान्दी मिली है; और

(ग) इस जिले में प्राप्त खनिजों का ब्यौरा क्या है?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). कांगड़ा जिले की पर्वत घाटी में उचित नामक स्थान में चान्दी के अयस्क की पुरानी खानें होने का उल्लेख रिकार्डों में मिलता है । इस क्षेत्र का विस्तृत सवक्षण किया जा रहा है और वह पूरा हो जाने पर परिणाम ज्ञात हो सकेंगे ।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

राजशाही जिले के निश्क्रमणार्थियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा चलाया जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम श्री हेम बरुआ के 'ध्यान दिलाओ' प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, के लिये १९-६-६२ को आज का दिन नियत किया गया था ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैंने मार्च और अप्रैल महीने में पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान की दुर्भाग्यपूर्ण साम्प्रदायिक घटनाओं के सम्बन्ध में ४ जून को एक वक्तव्य दिया था । उस में मैंने भारत सरकार के १२ मई के विरोध-पत्र के पाकिस्तान सरकार द्वारा दिये गये उत्तर का उल्लेख किया था, जिसमें यह स्वीकारोक्ति थी कि पूर्वी पाकिस्तान में बड़े गम्भीर किस्म की घटनायें हुई थीं ।

पूर्वी पाकिस्तान की उन घटनाओं की खबरें यहां पहुंचने पर, खास तौर पर मई के दूसरे सप्ताह में, काफी उत्तेजना फैली थी । पश्चिमी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और कूच-बिहार में कुछ छुट-पुट घटनायें हुई थीं । राज्य-अधिकारियों को सतर्क रहने के आदेश दे दिये गये हैं ।

अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में पूर्वी पाकिस्तान में गम्भीर किस्म की घटनाओं की कोई खबर नहीं मिली है और आशा की जा सकती थी कि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान की जनता बीच स्थिति सामान्य हो गई होगी । लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के राजशाही जिले में फिर गम्भीर घटनाओं की खबरें आई । उनका विवरण पेश करने से पहले, मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखना चाहता हूं जो मैं ४ जून के वक्तव्य में नहीं बता सका था ।

हमार राजशाही स्थित कार्यालय (सहायक उच्च आयुक्त) ने मई के शुरू में ४,००० इच्छुक प्रव्रजकों से भेंट की थी । हाल के आंकड़ों से पता चला है कि मई महीने में प्रव्रजन-प्रमाण-पत्रों की मांग कोई असामान्य नहीं थी । ढाका-स्थित हमारे उप उच्च आयुक्त के पास मई में कुल ६०६ प्रार्थना-पत्र आये थे, जो १७९३ व्यक्तियों के बारे में थे । तुलना के लिये देखिये, मार्च

---

†मुल अंग्रेजी में

और अप्रैल में क्रमशः १५३० और १३१२ प्रार्थना-पत्र आये थे। ढाका-स्थित हमारे कार्यालय ने मई में १०१५ व्यक्तियों को प्रव्रजन-प्रमाणपत्र मंजूर किये थे, जब कि मार्च और अप्रैल में क्रमशः १०८० और ६५२ की मंजूरी दी गई थी।

दोनों इलाक़ों के बीच आने जाने वालों के आंकड़े देखिये। अप्रैल महीने में पश्चिमी बंगाल में ११,६६४ हिन्दू आये थे और १३,०१५ पश्चिमी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान के लिये गये थे। अप्रैल में १४,७७६ मुस्लिम पश्चिमी बंगाल में आये थे और १४,२६४ (केवल ५०० कम) पश्चिमी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान गये थे। और ऐन उसी वक्त पाकिस्तान के समाचारपत्र माल्दा में मुस्लिमों के क़त्ले आम और हजारों की तादाद में उनके पूर्वी पाकिस्तान भागने के समाचार छाप रहे थे। जरा मई के आंकड़े देखिये---पूर्वी पाकिस्तान से १२,८२७ हिन्दू आये थे और ८,४०८ वहां गये थे। मई महीने में पश्चिमी बंगाल से १३,०५३ मुस्लिम पूर्वी पाकिस्तान गये थे और १२,७२० पूर्वी पाकिस्तान से आये थे। इससे सिद्ध हो जाता है कि पाकिस्तान का प्रचार कितना भ्रामक था। मई में स्थिति यह थी और इसे देखते हुए यह और भी खेदजनक लगता है कि पूर्वी पाकिस्तान के राजशाही जिले में इस प्रकार की गड़बड़ी हुई। पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा भेजे गये समाचार के अनुसार १५ जून को लगभग ३ बजे आधी रात को गोपालपुर, ज़ोका, सोन-माशा, मंचलपाड़ा और इकरामपुर गांवों के ६०० हिन्दू पाकिस्तानी राष्ट्रजनों पर, ज़ो अधिकांशतया संथाल और राजवंशी लोग थे, और गुमाश्तपुर पुलिस थाने (पूर्वी पाकिस्तान) के पास बाराबिला पर सीमा पार करने जा रहे थे, पाकिस्तान सशस्त्र सेनाओं ने एकाएक गोलीबारी शुरू कर दी। उनके पास प्रमाण-पत्र नहीं थे। गोलीबारी के फलस्वरूप १४ व्यक्ति वहीं मारे गये और २ पुरुष तथा ६ स्त्रियां घायल हुईं। लगभग ३०० व्यक्ति भारत की सीमा में आ गये थे। आठ घायलों में से एक पुरुष और आठ वर्ष की एक बालिका माल्दा अस्पताल पहुंचते-पहुंचते मर गये।

माल्दा जिले में इस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप अन्य कोई वारदात न होने देने के लिये जिला अधिकारियों ने पूरी सतर्कता रखी है।

राष्ट्रमंडलीय सचिव ने १६ जून, शनिवार को इन सभी घटनाओं की ओर दिल्ली-स्थित पाकिस्तान उच्च आयुक्त का ध्यान आकर्षित करा दिया है। उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों के रवैये के प्रति विरोध प्रकट किया है और भारत सरकार की ओर से यह चिन्ता व्यक्त कर दी है कि पाकिस्तानी अधिकारियों को कुछ ऐसे सख्त उपाय करने चाहिये कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इस प्रकार घबराहट में आकर भारत में प्रवेश करने की कोशिश न करें।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने पूर्वी बंगाल के अधिकारियों को विरोध-पत्र भेज दिया है और आज हमारे ढाका-स्थित उप उच्च आयुक्त पूर्वी पाकिस्तान के राज्यपाल से मिल रहे हैं।

आज सुबह पाकिस्तान उच्च आयुक्त यहीं दिल्ली में राष्ट्रमंडलीय सचिव से मिले थे और उन्होंने घटनाओं का विवरण, पाकिस्तान सरकार की दृष्टि से, कुछ इस प्रकार बतलाया है। उसका कहना है कि १४/१५ की रात में चारलपंगा पुलिस चौकी को खबर मिली कि एक भारी भीड़ सीमा की ओर बढ़ रही है। उसने गुमाश्तापुर पुलिस थाने को सूचित किया और एक छोटी गश्ती टुकड़ी जांच करने के लिये भेजी गई। उस प्रदेश में ऐसा जमाव करना गैर-कानूनी है। ढाई बजे रात को पुलिस के पास पहुंचते ही भीड़ ने तुरन्त ही धनुष-बाण लेकर उस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा के लिये १४ बार गोली चलाई और उससे एक आदिवासी मारा गया। पुलिस ने २२५ आदिवासियों को गिरफ्तार कर लिया। और किसी की हताहत होने की कोई जानकारी उनको नहीं है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

श्री हिलाली ने बताया कि उनको सूचित किया गया है कि उस घटना के बाद उस क्षेत्र में साम्प्रदायिक स्थिति बिलकुल शान्तिपूर्ण रही है। उस घटना के पीछे भी कोई साम्प्रदायिक कारण नहीं था। वे कहते हैं कि संथाल भारत क्यों जाना चाहते थे---इसका कोई पता नहीं चला है। पाकिस्तान सरकार इसे एक सामान्य सी सीमा-घटना मानती है।

यहां सभा में दो दिन पहले यह प्रश्न उठा था। पूर्वी पाकिस्तान में हमारे उप उच्च आयुक्त के रवैये के बारे में काफी आलोचना की गई थी। मेरी समझ में तो वह आलोचना आई नहीं। इसलिये कि उप उच्च आयुक्त ढाका में रहते हैं और वह घटना भारत की सीमा के निकट राजशाही जिले में हुई थी। राजशाही में हमारा एक सहायक उच्च आयुक्त रहता है। उसे भी काफी बाद तक इसकी पूरी सूचना नहीं मिल पाई थी। सब से पहले पश्चिमी बंगाल सरकार को ही उसका पता चला था, क्योंकि उसकी अपनी सीमा-पुलिस वहां रहती है। हमें पश्चिमी बंगाल सरकार से ही सूचना मिली थी।

उप उच्च आयुक्त और सहायक उच्च आयुक्त को उसका पता तुरन्त लग भी नहीं सकता था। उनको पाकिस्तान सरकार से ही सूचना मिल सकती थी। सीमा काफ़ी दूर होने के कारण, हमें भी उसी दिन सूचना नहीं मिल सकती थी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : क्या प्रधान मंत्री को मालूम है कि शुक्रवार के बाद के पिछले तीन दिनों में लगभग १,००० शरणार्थी माल्दा नगर में आये थे और क्या हमारे राजशाही-स्थित उप या सहायक उच्च आयुक्त को कुछ भी नहीं मालम था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग भारत में क्यों आ रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्या ने जो संख्या बतलाई है, वह सही नहीं लगती। शरणार्थी तो आये हैं, पर उनकी संख्या कुछ कम रही है।

लेकिन ढाका में रहने वाले उप उच्च आयुक्त को उसका पता भी कैसे चलता ?

और, उन्होंने रात में कोशिश न की होती, तो भी बिना प्रमाण-पत्र के सीमा-पार करने की कोशिश तो गैर-कानूनी थी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इतने लोग इस कारण ही इधर आ रहे थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने वह वक्तव्य पढ़ दिया है जिस में मैं ने कहा था कि उनके इस प्रकार भाग कर आने का एक ही कारण हो सकता है---यह कि वे वहां की घटनाओं से घबरा गये होंगे। अल्पसंख्यकों के दिमाग़ में वहां आम तौर पर एक डर समाया हुआ है, उसके अतिरिक्त क्या हुआ इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाल में राजशाही जिले में ६ सप्ताह या एक महीने पहले कुछ भीषण घटनायें हुई थीं। उस समय पता नहीं ठीक-ठीक क्या हुआ। मुझे तो यह पता चला है कि संथाल लोगों ने एक गुप्त बैठक में यह निश्चित किया था कि वे आधी रात के समय सीमा पार कर लेंगे, जिससे पकड़े न जायें। इसका पता उप या सहायक उच्च आयुक्त को कैसे लग सकता था ?

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या सरकार ने अब घटना के विवरण की परिपुष्टि कर ली है ?

क्या हमारे अधिकारी उन लोगों के पास गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हेम बरुआ** : वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, श्रीमती लक्ष्मी मेनन, ने अभी कल ही कहा था कि उन्होंने इस खबर को अखबारों में देखा था और उसके बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार से पूछताछ की थी । इस तरह हमारी सरकार काम करती है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस मामले में तो सरकारी व्यवस्था ने बड़ी फुर्ती से काम लिया था । १५ मार्च को आधी रात में तीन बजे घटना हुई और २६–२७ घण्टे बाद १६ मार्च की सुबह उस पर सभा में चर्चा होने लगी । हमने पश्चिमी बंगाल सरकार से टेलीफोन द्वारा सूचना संग्रह कर ली थी और उसे सभा में पढ़ कर सुना दिया था । उसके दूसरे ही दिन उन्होंने हमारे पास एक लम्बा प्रतिवेदन भेज दिया था । उप उच्चायुक्त के पास भी सहायक उच्च आयुक्त ने पूरा विवरण भेज दिया था । इससे अधिक और क्या शीघ्रता हो सकती थी ?

माननीय राज्य मन्त्री ने १६ की सुबह को समाचार पत्रों में समाचार देखा था, और तब तक हमारे पास भी सूचना आगई थी । हमें १६ को ग्यारह बजे तक विवरण मिल गया था । वह माननीय राज्य मन्त्री ने मुझे दिखाया था और मैंने कह दिया था कि उसे सभा के सामने रख दिया जाये ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के उस भाग में लाखों की संख्या में जो हिन्दू रह रहे हैं और जो पाकिस्तानी व्यवहार से परेशान होकर भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए मैं प्रधान मन्त्री जी से एक प्रश्न जानना चाहता हूं कि जब नेहरू लियाकत पैक्ट का इस समय तक कोई सुपरिणाम नहीं निकला और अब भी इस प्रकार के दुर्व्यवहार से तंग आकर हजारों की संख्या में वह भारत आने को उत्सुक हैं तो भारत सरकार इस विषय में क्या अन्तिम निर्णय लेना चाहती है जिससे कि उनको कुछ सन्तोष प्राप्त हो सके ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने अभी आपको बताया है कि वाक्या यह है कि बहुत कम लोग आये हैं हालांकि उनको पूरा-पूरा मौका हमारी तरफ से आने का दिया गया । हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं हुई । मुमकिन है पाकिस्तान की तरफ से कोई रुकावट कहीं-कहीं हुई हो मगर वह भी ज्यादा नहीं कर सकते । अब पाकिस्तान में कहा गया कि मुसलमान काफी तादाद में हिन्दुस्तान से भाग कर आये । मैंने आप को पढ़ कर सुनाया कि मुसलमान उसी जमाने में यानी मार्च, अप्रैल और मई में कितने पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आये और इसी तरीके से हिन्दू कितने वैस्ट बंगाल से पाकिस्तान गये उसी जमाने में । यह तो जाहिर है कि उन नम्बरों में वह लोग शामिल नहीं हैं जो कि खुफिया तौर से आये हैं । उनका अन्दाज करना मुश्किल है । खुफिया तौर से कुछ लोग आये हैं इसमें कोई शक नहीं है लेकिन वाकया यह है कि बहुत ज्यादा नहीं आये हैं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मेरा प्रश्न यह था कि भविष्य के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ताकि.........

†**श्री ह० प० चटर्जी** (नवद्वीप) : हमारी सरकार ने क्या ऐसा प्रबन्ध किया था कि उन को राजशाही जिले में ही प्रव्रजन-प्रमाणपत्र मिल जायें, और ढाका न जाना पड़े ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इसका विवरण नहीं बतला सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्या ब्यौरेवार प्रबन्ध किया गया था । हां, लेकिन सहायक उच्च आयुक्त लगभग एक हजार लोगों से मिले अवश्य थे और उनको प्रव्रजन-प्रमाणपत्र भी दिलाये थे । बाकी लोग उनसे मिलने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

नहीं गये। पता नहीं उनको ढाका जाने के लिये कहा भी गया था, या नहीं। और यदि कहा भी गया था, तो उनका ढाका न जाना बतलाता है कि वे पूरी तौर पर तुले हुए भी नहीं थे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या केन्द्रीय सरकार यह पता लगाने के लिये तैयार है कि अब स्थिति क्या है और कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार के माध्यम से, उसके जरिये ही काम कर सकती है। इसलिये कि वहां पश्चिमी बंगाल सरकार का एक जिलाधीश रहता है और वहां सरकारी व्यवस्था है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यहां एक व्यक्ति के मृत होने की बात कही गई है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने तो कहा था कि चार व्यक्ति मारे गये हैं।

श्री बड़े (खारगोन) : क्या माननीय प्रधान मन्त्री यह अपना कर्तव्य नहीं समझते कि पाकिस्तान में जो हिन्दू रह गये हैं उनको प्रोटैक्शन और संरक्षण दिया जाय और जितने हिन्दू वहां से इधर भारत में आना चाहते हैं उनको वहां से निकल कर आने में प्रोटैक्शन दिया जाय और जब वह बोर्डर पर आते हैं तब उनको कुछ मिलेटरी आदि का प्रोटैक्शन दिया जाय ताकि वह सही सलामत यहां पर आ सकें ?

अध्यक्ष महोदय : पाकिस्तान के अन्दर ही उनको प्रोटैक्शन दिया जाय ?

श्री बड़े : पाकिस्तान के बोर्डर पर प्रोटैक्शन दिया जाय। मेरा कहना है कि हमारी गवर्नमेंट इस तरह से क्यों उन बेचारों को मरवाती है और उनको प्रोटैक्शन क्यों नहीं देती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि उस जमाने में हौलनाक बातें राजशाही वगैरह में हुईं और उसी के साथ हौलनाक बातें मालदा में हुई हैं हालांकि उस कदर ज्यादा नहीं हुई। राजशाही के बाद मुझे सब याद नहीं लेकिन कई जिलों में यह साम्प्रदायिक झगड़े हुए जिनमें कि इधर मुसलमान मारे गये। अब यह एक शर्म की बात है कि ऐसी बातें पाकिस्तान में हों या यहां हों। वहां ज्यादा होती हैं मान लिया लेकिन यह चीजें महज एक तराजू से नहीं तौली जानी चाहिए कि किसने ज्यादा बदतमीजी या खराब बातें की हैं और किस ने कम की हैं। हम तैयार हैं। हमने कोई रुकावट नहीं डाली वहां से लोगों के आने में लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए या रक्षा करनी चाहिए तो हम उनकी रक्षा पाकिस्तान में जाकर नहीं कर सकते। अब जो वाकये हुए और पाकिस्तान के बयान आप देखें मैंने पढ़ कर सुनाया कि रात को वहां उस जगह बोर्डर पर लोगों का जमा होना गैर-कानूनी है। अब रात को वहां बोर्डर पर लोग आये और इस तरह कानून के खिलाफ बात उन्होंने की। उसके ऊपर जब पुलिस का आउटपोस्ट गया तो उन्होंने उन पर कमानों से तीर चलाये जिस पर कि पुलिस ने गोली चलाई और उसमें चार आदमी मरे। हमारी इत्तिला यह है कि दो आदमी तो उसी वक्त मरे और दो जरा बाद में मरे।

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, अब यह तीर कमान जो कहा गया है कि उन्होंने चलाया तो क्या . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति। माननीय सदस्य बैठ जायें।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बड़े** : इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी जानी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बैठ जाये ।

†**श्री बड़े** : नहीं तो इसके फलस्वरूप हिन्दू-मुस्लिम झगड़े भी हो सकते हैं ।

अगर ऐसी ही गड़बड़ चलती रही तो हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुस्लिम झगड़े हो सकते हैं । लोगों में इससे बड़ा असन्तोष है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हिन्दू-मुस्लिम दंगे क्यों होंगे यह एक धमकी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम इस प्रश्न पर आध घण्टे से अधिक लगा चुके हैं । अब इस पर और अधिक चर्चा नहीं होगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हम एक चीज स्पष्ट करना चाहते हैं । हमने यह चर्चा यहां इसलिये नहीं उठाई कि हमारे यहां भी हिन्दू और मुसलमानों के बीच कुछ हो । हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की तरह यहाँ वैसा कुछ हो ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें ।

श्री बड़े : माननीय अध्यक्ष, यह ग़लत बात है । मैंने इस प्रकार नहीं कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री बड़े : मैंने यह कहा है कि याद हाउस में इस विषय को डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं दिया जायगा, तो देश में अशान्ति बढ़ेगी और हिन्दू-मुस्लिम टेन्शन बढ़ेगा । मैंने यह नहीं कहा कि वह होना चाहिए । आनरेबल मेम्बर हिन्दी नहीं समझती हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों ने अपना-अपना मंशा स्पष्ट कर दिया है । अब हम अगला विषय लेंगे ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय.........

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, उसको इस तरह से गुस्से में दबाने का यत्न किया जा रहा है । यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में गड़बड़ होती है, हिन्दुस्तान में गड़बड़ होती है । क्या सरकार इसका कोई उपाय नहीं सोच सकती ? आप भी बोलने न देकर "आर्डर, आर्डर" कह कर बिठा देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे आपको बिठाना ही होगा, क्योंकि इसका यहां पर कोई ताल्लुक नहीं है ।

प्रोफेसर जे० बी० एस० हाल्डेन द्वारा भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् छोड़ने का कथित निर्णय

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : मैं नियम १९७ के अन्तर्गत, अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

> "प्रोफेसर जे० बी० एस० हाल्डेन द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् छोड़ने का कथित निर्णय ।"

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : मैंने संसद् में १२ जून, १९६२ को एक अल्पसूचना प्रश्न के उत्तर में कहा था कि :

प्रोफेसर हाल्डेन को १ नवम्बर, १९६१ से प्रजनन शास्त्र तथा जीव सांख्यकी केन्द्र का प्रधान नियुक्त किया गया था और उनकी सहायता के लिये कुछ अन्य कर्मचारी भी रखे गये थे। प्रोफ- सर साहब और उनके सहायक कर्मचारियों ने दिसम्बर, १९६१ के प्रथम सप्ताह में अपने वेतन लिये थे ।

प्रोफेसर साहब ने केन्द्र के लिये जो मकान चुना था, उसे सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है और उनकी इच्छा के मुताबिक उसकी मरम्मत की जा रही है ।

केन्द्र के कार्यालय के लिये भारतीय जीव-रसायन तथा प्रयोगात्मक औषधि संस्था में स्थान की व्यवस्था की गई है ।

लेकिन मुझे यह जानकर बड़ा खेद और साथ ही आश्चय हुआ कि प्रोफेसर साहब ने समाचार पत्रों में इन तथ्यों का खण्डन किया और कहा कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अधिकारियों ने मुझे ग़लत सूचना दी थी और इसीलिये मेरा संसद् के सामने दिया गया बयान ग़लत था। प्रोफेसर साहब के वक्तव्य की छानबीन करने पर स्पष्ट हो जायेगा कि उनके आरोप सर्वथा अनुचित हैं ।

प्रोफेसर हाल्डेन ने मेरी पहली बात के उत्तर में कुछ भी नहीं कहा कि प्रोफेसर साहब जानते थे कि उनको प्रजनन शास्त्र तथा जीव सांख्यकी केन्द्र का प्रधान १ नवम्बर, १९६१ से नियुक्त किया गया था। इस तरह उन्होंने स्वीकार किया है कि उनको केन्द्र के अस्तित्व का पता तक न होने और अपनी नियुक्ति की जानकारी न होने की बात ग़लत थीं ।

दूसरी बात के बारे में उन्होंने कहा है कि वास्तुकारों ने उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया है। अभी तक जितना काम हुआ है, वह प्रोफेसर साहब की इच्छा के अनुसार ही रहा है। जहां उनके और वास्तुकारों के दृष्टिकोण में मतभेद था, वहां भी हमने वास्तुकारों को प्रोफेसर साहब की इच्छा के अनुसार चलने का आदेश दे दिया था ।

प्रोफेसर हाल्डेन ने यह भी शिकायत की है कि केवल पांच कमरों की मरम्मत हुई है और बाकी की मरम्मत के कार्यक्रम की उनको कोई सूचना नहीं है। वह शायद भूल गये हैं कि उन्होंने १० जनवरी, १९६२ को वास्तुकारों को लिखा था कि वह साउथ विंग' के छः कमरों में बिजली और जल की व्यवस्था चाहते हैं। उन्होंने साथ में यह भी लिखा था कि "नार्थ विंग" की में मरम्मत कुछ समय लगेगा, मैं यह जानता हूं कि और यह भी जानता हूं कि जब तक वह मरम्मत नहीं हो जाती तब तक मुझे प्रयोगशाला का स्थान नहीं मिल सकता ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम-निर्देशित—आंग्ल भारतीय) : इन छोटी मोटी चीजों में सभा के समय का अपव्यय किया जा रहा है ।

†**श्री उ० मु० त्रिवेदी** (मंदसौर): मैं श्री ऐन्थनी के औचित्य प्रश्न का समर्थन करता हू ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मेरे विचार में यह मामला इतना महत्वहीन नहीं हैं, जितना श्री एन्थनी समझते हैं। हम पूरा वक्तव्य चाहते है और संतुष्ट होना चाहते हैं कि सरकार सब कुछ कर रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले का महत्व इसलिये हुआ है कि माननीय मंत्री ने प्रो० होल्डेन के आरोपों का उत्तर में एक वक्तव्य दिया था और समाचारपत्रों में भी इसकी चर्चा हुई है।

†**श्री हुमायून कबिर** : वास्तुकला विशारदों ने यह कहा है कि आधा इमारत तीन हफ्तों में बन जायेगी और शेष कमरों को बदलने की योजनाएं भी तैयार कर ली गई हैं। सम्बन्धित मकान १६ मार्च, १९६२ को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को दे दिया गया था और इस १५०-वर्ष पुराने मकान को तीन महीनों में नया बनाना अधिकारियों की अकर्मण्यता का चिन्ह नहीं माना जा सकता।

भारतीय जीवरसायन एवं प्रयोगात्मक औषधि संस्था को न केवल पदाधिकारियों के लिये जगह दी गई है वरन् संगठन के सचिवालय एवं लेखा कर्मचारियों के लिये भी।

यद्यपि यह व्यवस्था संतोष जनक नहीं थी, फिर भी यह व्यवस्था प्रो० होल्डेन की इच्छानुसार की गई थी। उन्होंने कलकत्ता में किराये के मकान की बजाय अपने मकान में काम करना पसन्द किया था जब तक कि श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के मकान का नवीकरण नहीं हो जाता। संस्था के पास स्वयं जगह कम है और प्रो० होल्डेन ने स्वयं इस संस्था के काम की प्रशंसा की है।

प्रो० होल्डेन ने शिकायत की है कि परिषद् के पदाधिकारियों ने उन्हें गलत जानकारी दी है और उन के रास्ते में बाधायें डाली हैं। तथ्य इस के उलट है। उनके लिये अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को छोड़ दिया गया था अथवा उन में रूपभेद किया गया था। उन्हें रसीद दिये बिना वेतन लेने की सुविधा दी गई थी। संस्था ने एक मुश्त उन्हें सौंप देने का भी प्रस्ताव किया था ताकि वे अपने संगठन पर अपनी इच्छानुसार व्यय कर सकें। उन से अपने कर्मचारी भी ठेके पर रख लेने के लिये कह दिया गया था ताकि उन्हें विभिन्न विभागीय प्रक्रियाओं से मुक्ति मिल सके।

यह देखा जायेगा कि प्रो० होल्डेन को सारी इच्छाओं की पूर्ति की गई है और जैसा वे चाहते थे उन्हें करने दिया गया था। केवल एक विषय में परिषद् ने उन्हें मना किया था और वह यह था कि वे सामान्य चुनावों में किन्हीं उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार न करें।

चूंकि प्रो० होल्डेन के वक्तव्यों से जनता के मन में कुछ भ्रम पैदा हो गये थे, इसलिये मैं ने विस्तृत जानकारी वाला वक्तव्य दिया है। एक और विस्तृत विवरण पटल पर भी रखा जा सकता है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता--उत्तर) : माननीय मंत्री ने एक विख्यात वैज्ञानिक पर आरोप लगाये हैं, किन्तु वैज्ञानिक को अपनी सफाई में कुछ कहने का अवसर नहीं है। इस विषय में आप को कुछ नियम निर्धारित करने चाहियें।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस वाद-विवाद को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री वासुदेवन नायर** : मंत्री को स्वयं कलकत्ता जा कर प्रो० होल्डेन से मिलना चाहिये था।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब दोनों के बयान सदस्यों के सामने हैं और वे अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मामले को यहीं छोड़ देना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** : जब सत्र चल रहा हो, तो मंत्री महोदय को मामला अध्यक्ष के ध्यान में लाना चाहिये, उस के बाद वह अध्यक्ष की अनुमति से वक्तव्य देते।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह भिन्न मामला है ।

†**श्री उ० मु० त्रिवेदी** : संसद् भवन के बाहर बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, आप गृह-कार्य मंत्री को निदेश दें कि वे जा कर उन की मांग सुनें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय मंत्री को कोई निदेश नहीं दे सकता ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

संघ लोक सेवा आयोग का ग्यारहवां प्रतिवेदन और आयोग के परामर्श को न स्वीकार करने के कारणों का ज्ञापन

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : संविधान के अनुच्छेद ३२३ (१) के अन्तर्गत मैं निम्न पत्रों (अंग्रेज़ी और हिन्दी संस्करण) की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) संघ लोक सेवा आयोग का १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च १९६१ तक की अवधि के लिये ग्यारहवां प्रतिवेदन ।

(२) उक्त प्रतिवेदन में निर्दिष्ट मामलों में आयोग को न स्वीकार करने के कारणों का ज्ञापन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १९९–६२]

तारांकित प्रश्न २१९ के उत्तर में शुद्धि

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: श्री च० द० पांडे के तारांकित प्रश्न २१९ सम्बन्धी अनुपूरक प्रश्न के बारे में सही स्थिति यह है कि भारतीय पुलिस सेवा के वेतन-क्रमों में संशोधन १ अप्रैल, १९६० से लागू होंगे ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९५९–६०

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

१९५९–६० के लिये (सामान्य) आय-व्ययक के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की निम्न लिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२	उद्योग . .	१,५९,१८९
३१	वार्धक्य भत्ते और पेंशनें	६,७५,९८६

†मूल अंग्रेज़ी में

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
५१	जनगणना	३,२८,०३९
५५	हिमाचल प्रदेश .	२७,९३, ७१
५७	मनीपुर	५,८३,४६७
९३	संचार (राष्ट्रीय राजपथ सहित) .	१४,४४,८३७
९७	अन्य असैनिक कार्य . . .	१,०१,१७,८८१
१११	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	३,४५,९७९
१२२	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	९,२३,६१३

अतिरिक्त अनुदानों की मागें (रेलवे), १९५९–६०

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम रेलवे आय-व्ययक १९५९-६० के सम्बन्ध में अनुदानों की अतिरिक्त मागों पर चर्चा आरम्भ करेंगे ।

१९५९–६० के लिये रेलवे आय-व्ययक के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
३	चालू लाइनों तथा अन्य को भुगतान	१,५०,१३०
७	चालू व्यय-संचालन (ईंधन) . .	२८,७१,२४८
८	चालू व्यय-संचालन कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त . .	२१,७७,४७३

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९५९–६० के सम्बन्ध में निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव रखा गया

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८	१	श्री नम्बियार	लोको शेड और खुली लाइनों के काम करने वाले कर्मचारियों को वर्दियों, कपड़ों आदि पर व्यय	१०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध हैं रेलवे प्रशासन बहुत कार्यकुशल नहीं हैं ।

वर्दियां देने के लिये कुछ लाख रुपयों की अतिरिक्त मांग हैं । रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों को वर्दियां लगातार नहीं दी जातीं, ठीक प्रकार की वर्दियां नहीं दी जाती है; उन का फिटिंग सामान्यतः ठीक नहीं होता है । सब से अच्छा तरीका यह होगा कि कर्मचारियों को कपड़ा और सिलाई दे दी जाये ताकि वे अपने नाप के अनुसार वर्दियां सिलवा सकें ।

रेलवे कर्मचारियों को अपना वेतन इत्यादि लेने के लिये कई बार न्यायालय का आश्रय लेना पड़ता है जिस से उन को वेतन इत्यादि प्राप्त करने के लिये पहले खर्च करना पड़ता हैं। रेलवे को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य देय सामान्य रूप से मिल जायें तथा न्यायालयों का सहारा न लेना पड़े ।

लोको शेडों को आवश्यक सामान का संभरण ठीक ढंग से नहीं किया जाता हैं ।

दक्षिण में कोयले का संभरण इतना खराब है कि कोयले के घटिया किस्म के होने के कारण गाड़ियां देर से चलती हैं । इसलिये रेलवे को इंजनों के लिए अच्छी किस्म के कोयले का संभरण सुनिश्चित करना चाहिये ताकि वे अच्छे चल सकें । इस से परिवहन की स्थिति भी सुधरेगी ।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : स्थायी रास्तों, लाईनों और सलीपर्ज़ इत्यादि के पुनर्नवीकरण का कार्य बहुत इकट्ठा हो गया है ।

जिन का कार्यकाल समाप्त हो गया हैं ऐसे इंजनों, माल डिब्बों और सवारी डिब्बों की मरम्मत के लिये सामान उपलब्ध नहीं है और उन को चालू रखने के लिये केवल साधारण मुरम्मत की जा रही हैं । इंजनों की पूर्ण जांच के लिये कोई समय निर्दिष्ट नहीं हैं जिन के परिणामस्वरूप उन में खराबियां पैदा हो जाती हैं जिन के लिये कर्मचारियों को चार्जशीट किया जाता है । बहुत सी दुर्घटनाएं सामान न मिलने के कारण ही होती है ।

ड्राइवरों को विशेष किस्म का कोयला नहीं दिया जाता और यदि ड्राइवर घटिया किस्म के कोयले की अधिक खपत करते हैं तो उसके लिए उसे चार्जशीट लगाया जाता है ।

रेलवे को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छुट्टी के वेतन आदि की बकाया राशि कर्मचारियों को समय पर मिल जाए और बीमारी के सम्बन्ध में प्राइवेट डाक्टरों के प्रमाण-पत्र स्वीकार कर लिए जाएं । प्राइवेट डाक्टरों के प्रमाण-पत्र न स्वीकार करने से बहुत हानि होती है ।

मैंने कर्मचारियों, उनकी कठिनाइयों, रास्तों की देखभाल इत्यादि के विषय में जो बातें कही हैं, सरकार उन पर विचार करे और उसके सम्बन्ध में जो कदम उठाए वे हमें बताए जाएं ।

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** (बैरकपुर) : हावड़ा स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकटों के लिए होने वाली भीड़ देखते हुए उन टिकटों के लिए मशीनें लगाई जानी चाहिएं ।

सरकार को यह बतलाना चाहिए कि क्या वह हल्दिया-खड़गपुर लाइन का मार्ग बदलना चाहती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : चालू लाइनों के निर्माण कार्य (ओपन लाइन वर्क्स) में बहुत बरबादी होती है। कई बार लोकोशेड सम्बन्धित इंजीनियरों की इच्छानुसार इधर से उधर हटा दिये जाते हैं। इससे सरकार को पर्याप्त हानि होती है। इंजीनियर अपने हितों के लिए ऐसा करते हैं। सरकार को लोकोशेड के नीमच से हटा कर चित्तौड़गढ़ ले जाने के प्रस्ताव के कारण बताने चाहिएं। इस प्रकार की फजूलखर्ची को रोकना चाहिए।

पुरानी इमारतों के गिराने और नई इमारतों के बनाने की योजनाओं की रेलवे मंत्रालय को ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए।

कर्मचारियों को जो वर्दियां दी जाती हैं वे उनके नाप के अनुसार नहीं होतीं। इससे उन्हें पहनने में दिक्कत होती है। दर्जी को, ठेकेदार को दोबारा धनराशि देनी पड़ती है। कर्मचारियों को कपड़ा और सिलाई दे दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी वर्दियां नाप के अनुसार सिलवा सकें।

कई बार गाड़ियां बहुत धीमी गति से चलती हैं। इसका कारण पता नहीं क्या है? रेलगाड़ियों के अधिक तेजी से चलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनकी चाल कम नहीं का जानी चाहिए।

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा पूर्व): पथरकंडी से धमनगर तक की नई रेलवे लाइन का निर्माण कार्य कम से कम तीसरी पंचवर्षीय योजना में अवश्य पूरा किया जाना चाहिए।

†**श्री दीदेन भट्टाचार्य** (सेरामपुर) : कमर्शियल क्लर्कों की पदोन्नति के मामले में एक सी नीति का अनुसरण नहीं किया जाता है। पूर्व रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड के अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

कलकत्ता में सिटी बुकिंग आफिसों के कार्य का समय बढ़ाना चाहिए और कुछ नये सिटी बुकिंग आफिस खोले जाने चाहिएं। ताकि हावड़ा के बुकिंग क्लर्कों का कार्यभार कम हो सके।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : मांग संख्या ३ के बारे में मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि यह छोटी लाइनें कब तक गैर सरकारी हाथों में रहेंगी। यह गैर सरकारी लोग कौन हैं, और किन शर्तों पर यहां काम हो रहा है। क्या उनके साथ जो तय है उसका नवीकरण किया जा रहा है। मैं रेलवे मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि उन्हें गैर सरकारी समवायों द्वारा संचालित लाइनों के सम्बन्ध में कुछ करना चाहिए और उनको दी जाने वाली सहायता बन्द करानी चाहिए।

मांग संख्या ७, का सम्बन्ध कोयले से है। घटिया किस्म के कोयले के बारे में बहुत से प्रश्न इन सब प्रश्नों के नीचे एक ही वास्तविकता है कि लोगों को आवश्यकता के अनुसार अच्छी किस्म का कोयला उपलब्ध नहीं हो रहा। मेरा अनुरोध यह है कि सरकार को अच्छी किस्म के कोयले के सम्भरण के कार्य को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सारी कठिनाइयां दूर हो जांय।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह कपड़े तथा स्टेशनरी के सम्बन्ध में है। मेरा यह निश्चित मत था गत कुछ वर्षों से स्टेशनरी की कोटि का बहुत ह्रास हुआ है। फार्म इत्यादि आवश्यक वस्तुएं जरूरत के समय मिलती ही नहीं। हो सकता है कि इसका कारण यह हो कि कीमत बढ़ गई है। कई बार यह भी शिकायत सुनी गई है कि टिकटें नहीं मिलतीं। मेरा निवेदन यह है कि रेलवे की लेखन-सामग्री तथा फार्मों आदि की किस्म सुधारी जानी चाहिए। कर्मचारियों को जो वर्दियां दी जाती हैं वह अधिक अच्छी किस्म की होनी चाहिएं ताकि उसका उपयोग अपेक्षित ढंग से ठीक प्रकार हो सके। कपड़े

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

की कोटि में बहुत ही ह्रास हुआ है । इसके साथ ही मैं सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि उसे यह बताना चाहिए कि भाड़े की दरों में समायोजन और परिवर्तन करने के लिए धन क्यों मांगा जा रहा है ।

†**श्री सुब्बरायन** (मदुरई) : मैं मांग संख्या ७ पर कुछ कहूंगा । २८ लाख रुपया कोयला इत्यादि पर खर्च करने के लिए और मांगा गया है । मुझे एक बात बहुत अखरती है कि लाखों रुपया खर्च करने पर भी हम देखते हैं कि गाड़ियां देर से ही चलती हैं । मैं सरकार पर यह जोर डालना चाहता हूं कि वह देखे कि क्या गाड़ियों के देरसे चलने का कारण इंजिनों को दिया जाने वाला घटिया किस्म का कोयला है ? मेरा अनुरोध यह है कि अच्छी किस्म का कोयला दिया जाना चाहिए और रेलगाड़ियों का समुचित संचालन किया जाना चाहिए ।

†**रेलवे मंत्रालय म उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** जो बातें कही गई हैं मैं उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा । श्री दी० अं० शर्मा ने गैर सरकारी समवायों की बात की है । इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि सरकार का विचार गैर सरकारी समवायों द्वारा संचालित ब्रांच लाइनों को लेने की कोई योजना नहीं है । इस प्रश्न पर तब विचार किया जा सकता है जब सम्बन्धित अधिकारी हमारा उनके साथ ठेका समाप्त कर दे । हम अपने दायित्वों से भाग नहीं सकते ।

इस्पात कारखानों की स्थापना के बाद से उन्हें कोयले के सम्बन्ध में–प्राथमिकता दी जाती है । रेलवे को दूसरे नम्बर का कोयला मिलता है । उसका एक ही प्रतिकार है कि कोयला साफ करने के और कारखाने स्थापित किये जाये ताकि घटिया किस्म के कोयले में राख अलग कर बढ़िया किस्म का कोयला मिल सके । कोयला साफ करने के कारखाने स्थापित करने की कोशिश की जा रही है । यह सच है कि गाड़ियों के समय पर आने जाने पर घटिया कोयले की किस्म का प्रभाव पड़ता है ।

कर्मचारियों की वर्दियों का कपड़ा काफी अच्छा होता है । सरकार वर्दी विनियमन समिति की सिफारिशों की जांच कर रही है । वर्दियों के बारे में वास्तविक शिकायत का आधार उनके वितरण में कुछ त्रुटि है जिसके कारण गलत साइज की वर्दियां बंट जाती हैं । इस कमी को अधिकांशतः दूर कर दिया गया है । ऐसे थोड़े मामले ही होते हैं जिनमें कमचारियों को अपनी वर्दियों में परिर्वतन कराना पड़ता हो । सिलाई विभाग का काम अच्छा था । अनेक स्थानों पर सिलाई महिला समितियों द्वारा की जाती है ।

ऐसे मामले अपवाद स्वरूप होते हैं जब कि कर्मचारियों को न्यायालय का आश्रय लेना पड़ा हो, उनके मामले सामान्यतया साधारण रूप में ही तय हो जाते हैं । लोको शैड को समुचित सामान पहुंचाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । जहां तक हल्दिया का सम्बन्ध है विभिन्न मार्गो का सर्वेक्षण किया जा रहा है । अभी अग्रिम निणय नहीं किया गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं श्री नम्बियार का कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे आय व्यय के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
३	चालू लाइनों तथा अन्य को भुगतान . .	१,५०,१३०
७	चालू व्यय—संचालन (ईंधन) . . .	२८,७१,२४८
८	चालू व्यय—संचालन—कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त	२१,७७,४७३

राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : श्रीमान जी, मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि राष्ट्रपति की पेंशन अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि मूल अधिनियम में सेवा निवृत्त होने वाले राष्ट्रपति के लिये १५,००० रुपये प्रति वर्ष की आजीवन पेंशन उपलब्ध है । परन्तु प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के सेवानिवृत होते समय यह महसूस किया गया कि यह राशि पर्याप्त नहीं होगी । सारी बातों पर सविस्तार विचार करके मूल अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय किया गया है ताकि सेवा निवत्त होने वाले राष्ट्रपति को समस्त चिकित्सा सुविधायें निःशुल्क दी जा सकें ।

मूल अधिनियम में प्रस्तावित दूसरा संशोधन यह व्यवस्था करता है कि सेवा निवृत्त होने वाले राष्ट्रपति को साचिविक सहायता के लिये १२००० रुपये वार्षिक दिये जायें । यह व्यवस्था इसलिये की जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद से सेवा निवृत्त होने के बाद अपना सार्वजनिक कार्य भली प्रकार कर सके । इस राशि से वे इस सम्बन्ध में सचिव की सहायता ले सकेंगे । यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है और मेरे विचार में इसमें सदन को कुछ भी असंगत नहीं लगेगा । लगभग सभी देशों में ऐसी प्रथायें हैं, यद्यपि वे अपनी हालात के अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्न हैं । अमरीका तो बहुत अमीर देश है । हम उनका तो मुकाबला नहीं कर सकते । परन्तु वहां भूतपूर्व राष्ट्रपति को २५,००० डालर वार्षिक मिलते हैं और ५०,००० डालर उसे अपने स्टाफ के लिए मिलते हैं । इसके अतिरिक्त उन्हें कार्यालय तथा आवास आदि की भी कुछ सुविधायें उपलब्ध होती हैं । भूतपूर्व राष्ट्रपति की विधवा पत्नी को भी १०,००० डालर मिलते हैं । अतः हमें भी अपने सेवा निवृत्त होने वाले राष्ट्रपतियों के लिए व्यवस्था करने की जरूरत है उनकी देश में विशिष्ट स्थिति रहनी ही चाहिए और निरन्तर देश के हित में उनकी सलाह हमें मिलती ही रहनी चाहिए ।

यह विधेयक भारत के अन्तिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य पर भी लागू होगा । क्योंकि वह ही एक मात्र भारतीय गवर्नर-जनरल थे । इन शब्दों से मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को एकमत से पारित किया जाना चाहिए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। माननीय गृहमंत्री ने जो विचर प्रकट किय हैं विरोधी सदस्य उनसे सहमत नहीं हैं।

जहां तक डा० राजेन्द्र प्रसाद की बात है हम ने उन्हें बहुत अच्छी विदाई दी। वास्तव में वे उस सम्मान के योग्य हैं जो कि हम ने उनको दिया है। वे त्याग और सादा जीवन के प्रतीक हैं। उनका जीवन भारतीय परम्परा का प्रतीक है।

राष्ट्रपति को उसके जीवन पर्यन्त के लिये १५ हजार रुपये प्रति वर्ष की पेंशन दी जाती है। मुझे इसका कोई विरोध नहीं है। कभी कभी मैं यह भी सोचता हूं कि देश की स्थिति को देखते हुए यह राशि कम हो सकती है। यह भी ठीक है कि भूतपूर्व गवर्नर जनरल अथवा राष्ट्रपति को अपने उच्च पद के गौरव के अनुसार रहना चाहिये लेकिन साथ ही मेरा यह विचार है कि हमें देश की वर्तमान स्थिति और इस तथ्य को नहीं भूल जाना चाहिये कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने हमेशा सादा जीवन और उच्च विचारों के आदर्श को सामने रखा है और उनका समर्थन किया है। बस इसी बात को ध्यान में रख कर मेरा विचार है कि १५ हजार रुपये की यह राशि कुछ अधिक है। साथ ही चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं तथा कार्यालय सम्बन्धी खर्चे के लिये जो १२,००० रुपये की राशि निर्धारित की गई है वह ठीक नहीं है।

मेरा यह भी निवेदन है कि हमें साधारण पेंशनों की कठिनाइयों को भी ध्यान में रखना चाहिये। अभी हाल में भारत पेंशनर समाज ने अपनी शिकायतें रखी हैं। माननीय गृह-कार्य मंत्री को उन शिकायतों को दूर करना चाहिये।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में यह उपबंध है कि जो व्यक्ति किन्हीं परिस्थिति विशेष में मर जाते हैं तो उनके परिवारों को परिवार अनुदान दे दिये जाते हैं। लेकिन वह राशि प्रत्येक कर्मचारी के पद के अनुसार होती है। कभी कभी तो वह राशि इतनी थोड़ी होती है कि गुजारा होना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि बदली हुई सामाजिक स्थिति में हमें अपने विशिष्ट व्यक्तियों के लिए उपबन्धों के सम्बन्ध में भिन्न तरीके से जनसाधारण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिये।

देश भर की जनता की हालत के बारे में पिछले वर्ष एक अध्ययन दल ने यह अनुमान लगाया था कि ४५.५० प्रतिशत ग्रामीण लोगों की वार्षिक आय ५०० रुपये से कम है और लगभग ८० प्रतिशत की वार्षिक आय १००० रुपये से कम है। यह १९६०–६१ में प्रति व्यक्ति २९२.५ रुपये की आय से भी कम है। यह हालत खराब है। माननीय गृह-कार्य मत्री को इस पर अपना ध्यान देना चाहिये। हमारे कुछ आदर्श भी हैं। पश्चिम में भी कुछ आदर्श हैं। हम त्याग को बड़ा महत्व देते हैं।

हमारे यहाँ सेवा निवृति की एक विशेष आयु है, और कुल आयु घट जाने के कारण उस में और कमी होनी चाहिये। किन्तु राष्ट्रपति पूर्ण आयु तक देश के मान का उपयोग करता है। उसे अपनी शान बनाये रखने के लिये कुछ धन देना अपमानजनक है। हमें अपने माननीय लोगों के लिये, नौकरशाही के तरीके से भिन्न व्यवस्था करनी चाहिये। माननीय मंत्री को इस विधेयक को वापिस ले कर नये सिरे से इस पर विचार करना चाहिये और पुनः अच्छे उपबंधों वाला विधेयक रखना चाहिये।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारासाट): यह पेचीदा विधेयक है और इस का अधिकतर विरोध ही हुआ है ऐसे विधेयक पर चर्चा करते समय अन्तर्ग्रस्त लोगों का उल्लेख रोका नहीं जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजेन बाबु के प्रति सब लोगों को मान और श्रद्धा है। उन से अधिक मान अन्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। अमरीका ने अपने पहले राष्ट्रपति वाशिंगटन के लिये विशेष व्यवस्था की थी। यदि ऐसा विधेयक यहाँ लाया जाता तो सभा इस से सहमत होती।

राजेन बाबु संविधान सभा के प्रधान और राष्ट्रीय नेता तथा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं। उन्होंने उद्देश्य प्राप्ति में कभी चुक नहीं की और सतत कार्य रत रहे।

राजेन बाबू बड़े विद्वान और विधिज्ञाता हैं। एतिहासिक गवेषणा में भी उनको ख्याति प्राप्त है। उन के सस्मरण राष्ट्रीय इतिहास का अध्याय बनेंगे। सरकार को चाहिये कि वह उनके सस्मरणों का प्रकाशन अपने हाथ में ले। ये सब बातें अन्य राष्ट्रपतियों के बारे में लागू नहीं होंगी।

गृह-कार्य मंत्री ने अन्य राष्ट्रपतियों का भी उल्लेख किया है। अमरीका में भी ३५ में से दो तीन राष्ट्रपति ही अधिक प्रसिद्ध हैं। यही स्थिति डा० राजेन्द्र प्रसाद और डा० राधाकृष्णन के सम्बन्ध में है। इसलिये सब को एक ही स्तर पर रखने का कोइ उपयोग नहीं है। क्योंकि कलकत्ता के मेयर नेता जी बोस, श्री चितरजन दास को सब जानते हैं——अब के मेयरों को नहीं जानते। महापुरुष सदा नहीं होते रहते। साधारण व्यक्ति भी राजनीतिक या अन्य कारणों से उन पदों पर आते रहते हैं। इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया। अतः सब राष्ट्रपतियों के लिये समान व्यवस्था करने का कोई लाभ नहीं है।

गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि सेवानिवृत्ति राष्ट्रपति को अन्य धंधे में नहीं पड़ना चाहिये और इसी कारण उन के लिये यह उदारतापूर्ण व्यवस्था की जा रही है। परन्तु इस बात का उपबंध विधेयक में दिखाई नहीं देता।

१५,००० रुपये के पेंशन के अतिरिक्त, सचिवालय कर्मचारियों पर १२,००० रुपये वार्षिक की व्यवस्था की गई है। यह बात स्पष्ट नहीं कि वे कर्मचारी सरकार द्वारा रखे जायेंगे या स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा। इस से सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की संभावना है। इस बात का पूर्णरूपेण स्पष्टीकरण होना चाहिये।

डा० राजेन्द्र प्रसाद और डा० राधा कृष्णन तो साहित्यिक व्यक्ति हैं, उनको सस्मरण आदि लिखने के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता हो सकती है। परन्तु सब लोगों के सम्वन्ध में यह बात लागू नहीं हो सकती।

१५,००० रुपये की पेंशन देश की हालत को देखते हुए काफी है और इसी के अन्दर साचिविक कर्मचारी आ जाने चाहियें। इसलिये मैं आशा करता हू कि सरकार को इस स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिये। राजेन बाबू के लिये ये सब सुविधायें अवश्य दी जायें क्योंकि उनका देश के लिये महान त्याग है।

उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सेवानिवृत्ति राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग के अवसर पर पद-त्याग द्वारा भी हो सकती है। उस का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री कामत ने संशोधन रखा है कि यदि वह कोई धंधा करने लगते हैं या सरकार के अधीन कोई लाभ वाला पद धारण करते हैं तो उन को पेंशन नहीं मिलनी चाहिये। यह भी स्वीकार नहीं किया गया। माननीय मंत्री का उद्देश्य इस विधेयक द्वारा पूरा नहीं होता। अतः इस में स्पष्ट शब्दों में उपबंध होना चाहिये कि वह किसी व्यवसाय में नहीं पड़ेंगे। सरकार को इस विधेयक को अच्छी तरह संशोधित करना चाहिये ताकि ये सुविधायें केवल राजेन बाबू के लिये ही उपबंधित हों।

†**श्री उ०मू० त्रिवेदी (मंदसौर)** : इस विधेयक के उपबंधों से मैं सहमत न होते हुए भी कहूंगा कि राजेन बाबू महान् नेता और श्रद्धा के पात्र हैं और मुझे उन के प्रति बड़ा आदर है किन्तु इस विधेयक की आलोचना का उन पर कुप्रभाव पड़ेगा इस का भी खेद है। अपितु मैं एक सुझाव दूंगा।

१५,००० रुपये की वार्षिक पेंशन का मैं विरोध नहीं करता। आपत्ति केवल विधेयक के खंड के संशोधन के बारे में है। जो उनके अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिये १२,००० रुपये की व्यवस्था, तथा निशुल्क चिकित्सा तथा इलाज आदि के बारे में है। तदनूसार खंड ३ में भी सशोधन रखा गया है।

अनूसचिवीय कर्मचारी रखने की नवीन पद्धति संसार में कहीं नहीं है। हम इस को समझ नहीं सकते। हाँ यदि पेंशन बढ़ा दी जाती या प्रसादत राशि मंजूर कर दी जाती तो हमें कोई आपत्ति न होती। किन्तु ये अनूसचिवीय कर्मचारी उन के साथ लगाना उचित नहीं है।

मैं निशुल्क चिकित्सा तथा इलाज की व्यवस्था को नहीं समझ सकता। क्या उन को भारत के नागरिक होने के अतिरिक्त भारत में चिकित्सा या इलाज प्राप्त नहीं होगा। कौन ऐसा अकृतज्ञ होगा जो उन की चिकित्सा नहीं करेगा? परन्तु यह विधेयक का विषय नहीं है। मैं इस प्रकार का उपबंध करने का विरोध करता हू क्योंकि इस की तनिक आवश्यकता नहीं जब कि देश में सब लोगों के लिये चिकित्सा की व्यवस्था है। इन शब्दों के साथ, इन दो उपबन्धों को छोड़ कर, मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : इस विधेयक को सब दलों के परामर्श से बनाया जाना चाहिये था ताकि इसे सब का समर्थन प्राप्त होता और इतने उच्च व्यक्ति को विवाद का विषय न बनाया जाता।

विधेयक के उपबंध राष्ट्रपति के प्रति हमारे मान के अनुसार नहीं हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति और हिसाब रखने तथा लेखा परीक्षा का इस में उपबन्ध है। इस से उस महान व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और मान नहीं बढ़ सकता, क्योंकि लेखा परीक्षा पर सभा में चर्चा होगी। इस को हटाने के लिये मैं कहूंगा कि उन को कार्यालय के लिये १२,००० रुपये और दिये जाने चाहियें। ऐसा करने से बाद में होने वाले झंझट समाप्त हो जायेंगे। हमें उस मामले में उन पर विश्वास दिखाना चाहिये। मैं विधेयक का स्वागत करता हूं और दूसरे पठन के समय अपना संशोधन रखूंगा।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रवाडा): मैं भुतपूर्व गवर्नर जनरल और सब सेवानिवृत्ति होने वाले राष्ट्रपतियों के लिये पेंशन आदि सुविधाओं की व्यवस्था करने वाले इस विधेयक का स्वागत रता हूं। इस में व्यक्ति सम्बन्धी भावनाओं को नहीं लाना चाहिये।

राजेन बाबु ने पहले राष्ट्रपति के रूप में महान कार्य किया है और महान आदर प्राप्त किया है। उन्होंने प्रजातंत्रात्मक विकास में बड़ा योग दिया है और इसका श्रेय उन को है। उन्ह ने संविधान के शब्दों और भावनाओं का सम्यक् ढंग से पालन किया है।

हमें दूसरे दृष्टिकोण से विचारना है। देश में प्रजातंत्र और वयस्क मताधिकार के कारण कोई भी व्यक्ति इस पद को धारण कर सकता है। अपने पद के कारण उस की स्थिति बदल जाती है। श्री ी० ना० मुकर्जी ने कहा है कि धन की व्यवस्था न की जाये क्योंकि लोगों द्वारा चंदे आदि से सार्वजनिक कार्यकर्ता अपना कर्तव्य पालन कर सकते हैं। हमें सेवा निवृत्ति होने वाले राष्ट्रपति के

†मूल अंग्रेजी में

लिये धन की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये ताकि वह शानके साथ अपना कर्तव्य पालन कर सके। पेंशन की राशि अधिक नहीं है। अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना भी ठीक है, यदि उन को उन सुविधाओं की आवश्यकता है। यदि किसी सेवा निवृत्ति राष्ट्रपति को इन सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होगी तो वह नहीं लेगा किन्तु राजेन बाबू के लिये हमें व्यवस्था करनी ही चाहिये।

सेवा निवृत्त राष्ट्रपति के लेखों का लेखा परीक्षण नहीं होना चाहिये। उन के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहियें। सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को राजनीति में पड़ने से नहीं रोका जा सकता। हमें सरकारी कर्मचारियों को उन की राजनीति मे पड़ने नहीं देना चाहिये। कर्मचारी राष्ट्रपति की आवश्यकताओं के अनकूल होने चाहियें और उन की इच्छा के होने चाहियें। इस विधेयक में कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिये और नियमों में नियुक्ति, काम और धन आदि के बारे मे सब बातें सुस्पष्ट रूप से उपबंधित होनी चाहियें।

म चिकित्सा सुविधा के बारे में श्री त्रिवेदी की आलोचना से सहमत नहीं हूं। क्योंकि चिकित्सा की व्यवस्था आवश्यक है इसलिये यह सुविधा सेवा निवृत्त राष्ट्रपति को दी ही जानी चाहिये। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री शं० शा० मोरे** (पूना): मैं विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इस का उद्देश्य अच्छा है। परन्तु इसे प्राप्त करने का तरीका गलत है। राष्ट्रपति द्वारा रखे गये कर्मचारियों के वेतन आदि और लेखा परीक्षा के मामले में राष्ट्रपति को कार्यपालिका के सामने झुकना पड़ेगा। फिर इस के लिये नियम भी सरकार द्वारा बनाये जायेंगे। यदि राष्ट्रपति के सेवानिवृत्त होने के पश्चात् सत्तारूढ़ दल बदल जाय तो क्या वे राष्ट्रपति को इन मामले में परेशान नहीं कर सकते? इसेलिये यह अनुदान देते समय हमे उन को नियमों आदि की शर्त के अधीन नहीं रखना चाहिये।

चूंकि विधेयक देश के प्रति की गई सेवाओं की सराहना के लिये है, इसलिये इसे उदार होना चाहिये।

हमारे राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में की गई सेवा का पुरस्कार दिया गया है। किन्तु हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये त्याग किया, किन्तु उन का कहीं कोई नाम नहीं है। हमें उन लोगों के लिये एक विधि बनानी चाहिये, चाहे उन लोगों को किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्ध क्यों न हो।

हमें उपराष्ट्रपतियों के लिये भी ऐसा उपबन्ध करना चाहिये, क्योंकि सभी उपराष्ट्रपति अनिवार्यतः राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त न कर सकेंगे। अतः यह बहूमुखी विधि होनी चाहिये। राज्यपालों के बारे में राज्यों के विधान मंडल विचार कर सकते हैं।

मेरा निवेदन है कि भूतपूर्व मंत्रियों को पद देने का यह अप्रत्यक्ष ढंग छोड़ दिया जाना चाहिये और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि वे बिना किसी मानहानि के पेंशन स्वीकार कर लें।

इस के पश्चात् मैं अपनी बात कहता हूं। संसद् के सदस्यों को अपना सारा समय देश के काम में लगाना पड़ता है। कई सदस्यों ने अपनी वकालत या डाक्टरी का काम छोड़ दिया है। वे अब अपने धंधे में वापस नहीं जा सकते। अतः उन्हें सुविधायें दी जानी चाहियें। उन्हें भिखारी समझ कर कुछ थोड़ा बहुत दे कर जान छुड़ाने की भावना त्याग दी जानी चाहिए।

हम में से बहुतों ने बड़ा त्याग व बलिदान किया है और बड़ी कठिनाइयां उठाई हैं। अतः संसद्-सदस्य न रह जाने की स्थिति में भी वे सम्मान का जीवन व्यतीत कर सकें इस बात की व्यवस्था

---

†मूल अंग्रेजी में

की जानी चाहिये। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री विधेयक को अधिकाधिक उदार बनायें और उपराष्ट्रपति, मंत्रियों, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आदि के लिये भी व्यवस्था करें।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसे बिल पर बहुत देर से चल रही बहस को सुन रहा हुं। अब जहां तक कानून का सवाल है तो कानून जनता की भावना का नाम है और उस में जनता की भावना निहित होनी चाहिये। सरकार का घ्यान आज जनता की ओर नहीं है। सरकार का घ्यान थोड़े से लोगों की तरफ है। पालिटिक्स मे हम ने यह पढ़ा है और मनीषियों ने भी हम को यह बताया है :—

"कानून—कानून के रूप में व्यक्त जनता की इच्छा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।"

इसी दिल्ली के अन्दर हजारों आदमी एसे हैं जो पानी के बगैर प्यासे रहते हैं। देश की राजधानी दिल्ली नगर में जहां कि हमारी सरकार बैठी हुई है हजारों आदमी ऐसे हैं जिन्हें कि हम पानी तक सप्लाई नहीं कर सकते हैं। हजारों मवेशी यहां से ५० मील दूर इसेलिये पैर पटकते रहते हैं कि हम उन्हें पानी नहीं दे सकते हैं। उस जनता की ओर तथा जनता के पशुधन की ओर हमारा घ्यान नहीं जाता है। अगर मैं यह कहूं तो अप्रासैंगिक न होगा, हालांकि मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन कहना पड़ा कि ५० परसेंट पानी ला मेकर्स, को जिन्हें आप पालियामेंटरियन कहते हैं उन को मिलता है। कानून बनाने वालों को ५० परसेंट ही पानी मिलता है। तमाम दिन नल बंद रहता है खाली थोड़ा सा सुबह और शाम चल जाता है और दो बाल्टी पानी उन को मिल जाता है। मैं तो समझता हू कि लाखों लोगों की तकलीफ का खयाल न कर के, दो, चार आदमियों के लिये खास तौर से कानून बानना यह जनतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध है। जनतंत्र की मर्यादा यह है कि पहले अपनी करोड़ों जनता के लिये रोटी, कपड़े का इंतजाम कीजिये और अपने देश में इस तरह का समाजवादी समाज कायम कीजिये ताकि रिटायर होने के बाद किसी प्रेसीडेंट को कोई तकलीफ न हो। हमारे जो लोग धर्म को मानते हैं और हमारे दो प्रेसीडेंट जोकि रिटायर हो कर इस वक्त पेंशन ले रहे हैं वह धर्म को मानने वाले हैं और तीसरे प्रेसीडेंट जोकि इस वक्त अपने पद पर विराजमान हैं वह भी धर्म को मानते हैं, तीनों धर्म को मानते हैं, धर्म में यह बात लिखी हुई है कि कर्ज़मंद व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। जो ऋणी होता है वह स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता। और हमारी हालत यह है कि हम दोनों हाथ से कर्ज ले ले कर खर्च कर रहे हैं। हमारी तमाम योजनाएं आज ऋणी हैं, उस ऋण में रिटायर्ड प्रेसीडेंट्स को हिस्सेदार बनाना कुछ भला नहीं मालूम होता है क्योंकि दीन में यह लिखा है कि ऋणी की मुक्ति नहीं होती। अब यह बात सिर्फ वेद भगवान या कुरान पाक में ही लिखी हो सो बात नहीं है। सभी धर्म मानते हैं कि न तो मनुष्य ऋणी हो और न तो बेजा तौर से सम्पन्न ही हो। बाइबिल का आदेश है :—

"ऊंट के लिए सुई के छेद से गुजर जाना अपेक्षाकृत धनी व्यक्ति के स्वर्ग प्राप्त करने से अधिक सरल होगा।"

इसलिये आखिरी वक्त में उन्हें रईस बनाने और बेहद अमीर बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। जिन का नाम लिया गया है वह हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और हम सब उन की बहुत इज्जत करते हैं। डा० राजेन्द्र प्रसाद इतने महान् हैं कि उन के लिये अगर हम कोई इस तरह का कानून बनायेंगे भी तो

†मूल अंग्रेजी में

भी वह इंकार कर देंगे। अपने कार्यकाल में भी वह आधी से कम तनख्वाह लेते रहे हैं। उन्होंने तमाम लक्ज़रीज़ को लेने से इंकार कर दिया है। जबकि भारत का आदर्श यह रहा है :—

"उपल शकल मेतत् भेदकं गोमयानां वटभिः उपहृतानां बर्हिषां स्तोम एष"

सब से बड़े आदमी का आदर्श यह रहा है कि वह छप्पर में रहता है और उस के शिष्य जंगल से जो समिधाएं चुन कर लाते हैं उन से खाना बना लेता है। ऐसी हालत में हम नहीं समझते कि थोड़े से आदमियों के लिए एक खास बिल लाना मुनासिब है। इस से देश का कोई लाभ नहीं होगा।

रश्के जन्नत चमन नहीं बनता,
चन्द कलिन के मुसकराने से।

पहले सारे देश का लाभ करना होगा, जो करोड़ों लोग भूखे-प्यासे पड़े हुए हैं, उन के लिए इन्तजाम करका होगा और तब जा कर हम सोचेंगे कि वाकई किसी रईस आदमी को कुछ देने की ज़रूरत है।

इन अलफ़ाज़ के साथ इस माननीय सदन और परम्-माननीय गृह मंत्री जी से मेरी इल्तजा है कि हम इस तरह से कार्य करें कि दूसरे देश देखें और समझें कि यहां के महापुरुषों ने त्याग के साथ काम किया है, बजाये इस के कि माननीय मंत्री जी मेडिकल एड में विश्वास रखें, बजाये इस के कि वह सोचें कि वह बीमार होंगे। ऐसा सोचना हमारी संस्कृति के खिलाफ़ है। हम दो वक्त यह पढ़ते हैं :

पश्येम शरदः शतम्
जीवेम शरदः शतम्
प्रब्रवाम शरदः शतम्
अदीनाः स्याम शरदः शतम्।

हम दो वक्त यह पढ़ते हैं :

पुरा जरसा मा मृथाः

हम दो वक्त यह भी पढ़ते हैं :

अशोणाः दन्ताः अपलिताः केशाः

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग ये मंत्र पढ़ते हैं, जो "अपलिताः केशाः' पढ़ते हैं, जो "अशोणसुः दन्ताः" पढ़ते हैं, उन का यह कल्पना करना हमारी संस्कृति के खिलाफ़ है कि हमारा सब से बड़ा आदमी बीमार होगा और हम उस के लिये इलाज का कोई प्रबन्ध करें। बीमारी एबनार्मल है। हमारी संस्कृति में बीमारी का कोई एग्ज़िस्टेंस नहीं है। हमारे यहां तो साफ़ लिखा हुआ है —

द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डल भेदिनौ
समाधौ योग यक्तश्च रणाचाभिमखं हतः

अर्थात् मरने के दो ही तरीके हैं—या तो प्राणान्त प्रणायाम् से हो, पृथ्वी के ऊपर बैठ कर, धरती-माता की गोदी मे बैठ कर अन्तिम श्वास छोड़ दिया जाये, या रण में, धर्म-युद्ध में प्राणान्त हो। बीमार हो कर प्राणान्त होना हमारी संस्कृति के खिलाफ़ है। इसलिये कोई वजह मालूम नहीं होती कि मेडिकल एड और इलाज के लिये नया प्रबन्ध किया जाये।

जब हम दो वक्त पढ़ते हों :

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिः

अर्थात् कानों से हम सुन्दर सुन, सुन्दर हमारी कल्पना हो, सुन्दर हमारा स्वास्थ्य हो और सुन्दर हमारी भावनाएं हूं, तो बीमारी की कल्पना, कन्सेप्शन, ही हमारी संस्कृति के खिलाफ़ है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : अस्पतालों को बन्द कर दिया जाये ?

श्री यशपाल सिंह : मेरा खयाल है कि अगर सिनेमाघरों और कोटोजम को बन्द कर दिया जाये, तो अस्पतालों की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अस्पताल तो इसलिये खुले हुए हैं कि हमने स्वास्थ्य को गन्दा करने के साधन खड़े कर रखे हैं। चूंकि बीच में यह बात आ गई है, इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर एक बाल्टी के पैंदे में सुराख हो गये हों, तो कितना ही घी उसमें भरते रहें, वह घी नहीं रुक सकता है। खास तौर पर अश्लील सिनेमा, अश्लील हास्य, अश्लील गान और नृत्य और इसके अतिरिक्त डाल्डा और कोटोजम मनुष्य को कभी भी स्वस्थ नहीं रहने देंगे। चाहे सरकार एक हज़ार अस्पताल खोले। इसलिए मेरा कहना है कि सरकार को दो चार आदमियों के लिए नहीं, बल्कि सारी जनता के सुख के लिए, सारी जनता के लाभ के लिए कानून बनाए ?

वर्ल्ड हेल्थ आरगनाइज़ेशन के डाइरेक्टर-जेनरल, श्री बी० आर० सेन ने, जो कि एक भारत-वासी हैं, अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिन्दुस्तान में हर आदमी को ६ ग्राम खाना मिलता है। और इस के मुकाबले में पाकिस्तान में हर एक आदमी को ७ ग्राम, इंग्लैंड में ५२ ग्राम और अमरीका में ६६ ग्राम मिलता है। जिस देश के एक आदमी को ६ ग्राम खाना मिलता हो, कल का पैदा हुआ बच्चा जो पाकिस्तान है, उस से भी कम खाना नसीब होता हो, उस देश के लिये यह अच्छा नहीं लगता कि इतने बड़े हाल में बैठ कर दो चार आदमियों के फायदे के लिये कोई नया कानून बनाया जाये।

मैं जानता हूं कि मेरी बात पर सरकार गौर नहीं करेगी। यहां पर बार-बार कानून लाए जाते हैं, बिल पास किये जाते हैं और मेज़ पर नये नये कागजात रखे जाते हैं। पता नहीं किस के लिए। जो कुछ भी सरकार चाहती है, वह कर लेती है और किसी की मानती भी नहीं है। इसलिये अच्छा यही है कि टाइम वेस्ट न किया जाये। मैं जानता हूं कि :

मुझसे लाहासिल है मेरी हसरतों का पूछना,
तुम वही आखिर करोगे, जो तुम्हारे दिल में है।

लेकिन इतनी बड़ी जनता के जज़बात का कुछ तो एहतराम करना चाहिए। आज ४४ करोड़ इन्सान जिस दुख की अवस्था में रह रहे हैं, थोड़े से लाख आदमियों को छोड़ कर बाकी कोटि-कोटि जनता जिस दुखपूर्ण स्थिति में रह रही है, भोजन को तरस रही है, छादन को तरस रही है, उसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये। हमने अपने कांस्टिट्यूशन में वादा किया था कि हम प्रत्यक आदमी को ऐसी डाइट देंगे, जिससे वह तन्दुरुस्त रह सके, स्वस्थ रह सके और सुन्दर रह सके, लेकिन उसके खिलाफ हम लोगों को पानी सप्लाई नहीं कर सकते, सूखी रोटी तक सप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह से कैसे काम चलेगा ?

इस लिए मैं बहुत ही मुअद्दिवाना अलफ़ाज में अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस बिल को वापस ले लिया जाये। हमारे प्रेजिडेन्ट अच्छे से अच्छे घराने से आये हैं, अच्छी से अच्छी नालेज के मालिक हैं, अच्छी से अच्छी पोज़ीशन के हैं। उनके लिए दस, पन्द्रह, बीस हज़ार रुपये कोई माने नहीं रखते। उनके लिए एक कानून बना देने का मतलब होगा कि हम तीन, चार, पांच आदमियों के लिए कानून बनाते हैं और लाखों करोड़ों लोगों को इग्नोर करते हैं।

इन शब्दों के साथ मेरी प्रार्थना है कि इस बिल को वापस लिया जाये और जनता की भलाई के लिए कोई कानून बनाया जाये।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने हमारे पिछले राष्ट्रपति का भी व्यक्तिगत ज़िक्र किया है। मैं समझता हूं कि चूंकि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अभी हाल ही में पद त्याग करके गये हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद यह बिल हमारे

सामने आया है इस लिए माननीय सदस्यों का ध्यान उधर जाना स्वाभाविक था। लेकिन इस सम्बन्ध में विचार करते हुए माननीय सदस्यों के लिए किसी भी राष्ट्रपति का व्यक्तिगत रूप से जिक्र करना उचित नहीं होगा। इस सदन में जब हम कोई कानून बनाते हैं, तो किसी व्यक्ति-विशेष के लिए हम कानून नहीं बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई कानून बनाते वक्त हम केवल पुराने जमाने, भूतकाल, या वर्तमान का ही खयाल नहीं करते, बल्कि भविष्य का भी खयाल करते हैं।

मुझे दुख हुआ, जब हमारे माननीय सदस्य, श्री ए० सी० गुहा ने कहा कि भविष्य में जो हमारे राष्ट्रपति आयगे, धीरे धीरे उनकी योग्यता घटती जायेगी और उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा नहीं रह जायेगा, जितना कि हमारे भूतपूर्व और वर्तमान राष्ट्रपतियों का है। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी निराशावादी भावना है, जिसका किसी भी प्रजातन्त्रवादी व्यक्ति को समर्थन नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान एक नया प्रजातन्त्र है, वह एक ऐसा देश है, जहां पर हर तरह के लोग इस समय हैं, गरीब भी हैं और धनी भी हैं, लेकिन बहुत अंशों में उसको यह गौरव प्राप्त है कि साधारण से साधारण आदमी, जो कि ग़रीब भी है, के पास अगर योग्यता है, सेवा की भावना है, यदि वह जनता की सेवा करता है और अगर जनता उससे प्रसन्न है, तो वह उसको राष्ट्रपति के ऊंचे पद पर काम करने का मौका दे सकती है। ऐसी हालत में एक सुन्दर भविष्य हमारे सामने है। मैं समझता हूं कि यद्यपि हम पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा हिन्दुस्तान से ग़रीबी को मिटाना चाहते हैं, फिर भी अभी उस ग़रीबी को मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान का झोंपड़ी में रहने वाला कोई ग़रीब व्यक्ति भी यदि क्षमता रखता है, योग्यता रखता है और सेवा की भावना रखता है, तो जनता उसको किसी भी समय इस ऊंचे पद पर पहुंचा सकती है। इन बातों को देखते हुए ही हम को इस पद की मर्यादा का खयाल रखना है।

कुछ माननीय सदस्यों ने हिन्दुस्तान की ग़रीबी का हवाला दिया और कहा कि हिन्दुस्तान ग़रीब देश है, यहां पर लोग भूखों मरते हैं और यहां पर लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं है। यह बात बहुत अंशों में सही हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि भूखी रहने वाली जनता भी इस बात का समथन करेगी कि राष्ट्र की सेवा करने वाला जो व्यक्ति इस पद से मुक्त हो, वह सुविधा से रह सके, वह साधारणतः एक अच्छा जीवन बिता सके और उसको ज्यादा से ज्यादा देश की सेवा करने का मौका मिले। अगर ऐसे व्यक्ति के लिये कोई सुविधा यह सदन या यह देश दे सकता है, तो देनी चाहिए। इसी लिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

इसके साथ ही में यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा पदमुक्त हुए राष्ट्रपति को सचिवालय देने और दवा-दारू या सेवा-सुश्रूषा की जो अलग व्यवस्था की जा रही है, सचमुच में वह अच्छा नहीं है। अच्छा तो यह होता कि हम पैंशन की रकम को बढ़ाते और स्वच्छा से सचिवालय रखने या दवा-दारू का इन्तजाम करने का कार्य खुद उन पर छोड़ देते। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है, हो सकता है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति अपनी पैंशन का बिल लेकर व्यक्तिगत रूप से किसी आफिस में न जाय। मैंने अभी अखबार में पढ़ा कि पिछले महीने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बिल पर दस्तखत कराने के लिए भूतपूव राष्ट्रपति के पास गया था। लेकिन मैं समझता हूं कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिये। पैंशन की रकम बढ़ा देनी चाहिये और उस हद तक उसको बढ़ा देना चाहिए जिस हद तक कि यह हाउस मुनासिब समझता हो। पैंशन बढ़ाने के बाद यह सब उन पर छोड़ दिया जाना चाहिये कि जितना वह चाहें सचिवालय रखें और दवा-दारू का जो भी इन्तज़ाम करना चाहे करें, अपनी सहूलियत के लिये जो भी करना चाहें कर। य सभी बात अगर उन पर ही छोड़ दी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि अगर कनसौलिडेटेड फंड से रुपये दिये जायेंगे तो व्यय करने का उनको अधिकार होगा। जहां तक मेरा खयाल है जो पेंशन उनको दी जाती है, डिटेल में जाने

[श्री श्रीनारायण दास]

का अधिकार उनको नहीं है, लेकिन जब रकम सीधे इस तरह से कनसौलिडेटिड फंड में से दी जायगी तो आडिटर जनरल को कुछ हक हो जाता है। लेकिन इस बिल में सचिवालय में जो लोग काम करेंगे जहां तक उनकी नियुक्ति का सम्बन्ध है, वे सरकारी अफ़सर ही होंगे तो यह गैर-मुनासिब है। हिन्दुस्तान के उच्चतम पद पर, राष्ट्रपति के पद पर काम करने वाले किसी व्यक्ति को सचिवालय की अगर जरूरत है तो उसमें मंत्री की नियुक्ति के बारे में, कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के बारे में या क्लर्क की नियुक्ति के बारे में उनको अगर यह अधिकार नहीं होता है कि इन सबकी नियुक्तियां वे स्वयं कर सकें और जैसा सुविधाजनक हो वैसा कर सकें, तो यह अच्छा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सरकारी नौकरों को उनकी सेवा में भजने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा ह कि जो यह कानून में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पद को जो छोड़ देगा, चाहे पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर या त्यागपत्र दे देने की वजह से, उन्हीं को पेंशन मिल सकती है। माननीय सदस्यों ने कहा ह कि इम्पीचमेंट का जब कोई प्रश्न प्रस्ताव आए या कानून का सवाल उठाया जाये जिससे राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट किया जाना हो, तो वैसी सूरत में कानून या सविधान के असर से बचने के लिए राष्ट्रपति रिज़ाइन कर सकता है और यदि वह रिज़ाइन करता है तो उसके बाद उसको अधिकार हो जाएगा पेंशन पाने का। ऐसी सूरत में उसको पशन मिलनी चाहिये या नहीं मिलनी चाहिये या मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी मेरा कोई निश्चित मत इस बारे में नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा खयाल है केवल पांच वर्ष की अवधि पूरा करके जो राष्ट्रपति रिटायर होगा उसी को पेंशन पाने का अधिकार रहेगा और जो त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति पद से हट जाएगा उसको अगर पेंशन दी जाएगी तो मैं समझता हूं यह ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि वह त्यागपत्र दो ही महीने में या पांच महीने में या तीन साल के बाद दे दे और वैसी सूरत में पेंशन देना ठीक नहीं होगा। इसमें मैं समझता हूं संशोधन करने की आवश्यकता है।

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बिल यहां प्रस्तुत किया गया तब यह शंका पैदा हुई कि जब पहले गवर्नर जनरल रिटायर हुए तब इस बिल को पेश क्यों नहीं किया गया और अभी जब कि डा० राजेन्द्र प्रसाद जी रिटायर हुए हैं, तो क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है। चूंकि पहले गवर्नर जनरल के रिटायर होने पर बिल प्रस्तुत नहीं किया गया इस वास्ते हमारे दिमागों में यह शंका उत्पन्न हुई कि डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी के वास्ते ही यह बिल बनाया गया है। यदि पहले इसको प्रस्तुत कर दिया जाता तो इस तरह की शंकाय किसी के मन में पैदा न होतीं।

जहां तक राष्ट्रपति जो रिटायर हो चुके हैं, उनका सम्बन्ध है, वह एक महान विभूति हैं, एक महान नेता हैं। इस बात को सभी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जन संघ सभी स्वीकार करते हैं। सभी इस मत के हैं कि वे महान देश भक्त हैं। इसका कभी किसी ने विरोध नहीं किया है और न ही उनके व्यक्तित्व के बारे में आज किसी को कोई शक है। लेकिन जहां तक सिद्धान्त की बात है, मैं समझता हूं कि सैक्रेटेरियल स्टाफ देने का जो प्राविज़न आपने इस बिल में रखा है, उसको देने से एक आर्डिनरी पेंशनर और राष्ट्रपति जोकि पेंशन लेंगे या ले चुके हैं, उन में आप फर्क करते हैं। जब एक आर्डिनरी आदमी को रिटायर होने के बाद स्टाफ नहीं दिया जाता है तो राष्ट्रपति जी को ही क्यों रिटायर होने के बाद स्टाफ दिया जाना चाहिये। यह चीज़ मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के विरुद्ध जाती है। इसके बारे में मैंने एक एमेंडमेंट दिया है जोकि लेट दिया गया है। उस एमेंडमेंट में मने कहा है :—

"परन्तु शर्त यह है कि इस चर्चा के अधीन आने वाले लाभ प्रत्येक राष्ट्रपति के सेवा निवृत्ति होने पर इस सभा के विचाराधीन हो"

अगर इस तरह का प्राविजन इस में कर दिया जाता तो अच्छा था। अगर ऐसा कर दिया जाये तो डा० राजेन्द्र प्रसाद के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वह कायम रह जायेगा और इसके बाद प्रत्येक रिटायर होने वाले प्रेज़ीडेंट के बारे में इस हाउस में विचार हो सकेगा।

यहां पर यह भी कहा गया है कि हमारे स्टेट्स के जो गवर्नर हैं, उनको भी यह सुविधा मिलनी चाहिये, मिनिस्टर्ज़ को भी मिलनी चाहिये और मैम्बर्ज़ को भी मिलनी चाहिये। इस सब की मैं बिल्कुल भी ताईद नहीं करता हूं। हम जो यहां आते हैं वह त्याग करके और लोगों की सेवा करके आते हैं। हमें कोई भी पैसा नहीं चाहिये। हम तो मेहनत करके, भीख मांग करके, पहाड़ों की धूल चाट करके, लोगों की सेवा करके आते हैं। कई तो हम में से बैल गाड़ियों में बैठने वाले लोग हैं और कई ऐसे हैं जो हजारों की प्रेक्टिस को छोड़ करके आते हैं। याद हम ने भी इन सब सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया तो जो भी त्याग हम ने किया है वह सब बेकार चला जायेगा। अगर इस आधार पर इस सुविधा की मांग की जाती है कि राष्ट्रपति जो रिटायर होते हैं, उनको है, तो यह उचित नहीं है। आज हमारे सामने त्याग की भावना होनी चाहिये।

मैं इस बिल को स्पोर्ट करता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि अभी जो राष्ट्रपति रिटायर हुए हैं, उन तक ही इसको सीमित रखा जाये और जो बाद में रिटायर होने वाले राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में यह हाउस समय समय पर विचार कर सकता है। इतनी ही मेरी विनती है।

†**श्रीमती सरोजनी महिषी** (धारवाड़–उत्तर): यह विधेयक किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में नहीं है बल्कि राष्ट्रपति के पद के लिए है। विधेयक की भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने से रोकने के लिए ही सरकार ने ये दो खण्ड सम्मिलित किये हैं।

जहां तक चिकित्सा सेवा और सचिवीय सहायता का प्रश्न है, ये बातें भूतलक्षी प्रभाव से नहीं हो सकतीं, अतः सरकार ने बड़ी सावधानी से दो उपखण्ड प्रस्तुत किये हैं।

महान व्यक्तियों के मार्गदर्शन से देश के भाग्य निर्माण में बड़ी सहायता मिलेगी।

अतः मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा–पूर्व) : सेवा निवृत्त राष्ट्रपति की सचिवीय सहायता के लिए १२,००० रु० तक धन देने की व्यवस्था करने वाले खण्ड का मैं विरोध करता हूं। जहां तक चिकित्सा सुविधा के लिए धन देने की बात है, मैं उसका समर्थन मानवीय आधार पर करता हूं।

मैं नहीं समझता कि निवृत्त होने के बाद राष्ट्रपति ऐसा क्या काम करेगा कि उसे सचिवीय सेवा की सुविधा प्रदान की जाये। मैं व्यक्तिगत आधार पर कुछ भी नहीं कहूंगा। परन्तु मुझे भय है कि इस प्रकार दिये गये धन का अनुचित राजनैतिक प्रयोग भी हो सकता है। अतः मैं इस का समर्थन नहीं करता।

†**श्री गजराज सिंह राव** (गुड़गांव): इस विधेयक का उद्देश्य बड़ा प्रशंसनीय है। परन्तु इसकी भाषा गौरवमय नहीं है। "बनाये जाने वाले नियमों के अधीन" शब्दावली संतोषजनक नहीं है। इसके बजाय "इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियमों के अधीन" शब्दावली होनी चाहिये थी।

वैसे तो उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य विधेयक का अंग नहीं है, परन्तु संदेह की स्थिति में उसका प्रभाव विधेयक पर अवश्य पड़ेगा। यह भी स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति के सचिवालय में कर्मचारियों की नियुक्ति किस प्रकार होगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री गजराज सिंह राव]

ज्ञापन में दी गयी व्याख्या भी स्पष्ट नहीं है। आशा है कि माननीय मंत्री इन बातों पर प्रकाश डालेंगे।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के समर्थन के लिए मैं सभा का आभारी हूं। श्री द्विवेदी ने इस का पूर्ण समर्थन किया है। श्री मुकर्जी ने साधारण जीवन तथा उच्च विचार की बात कही।

चूंकि राजेन्द्र प्रसाद जी का नाम लिया गया है। अतः मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। १९२०-२१ में पटना में उनकी वकालत बड़ी अच्छी चल रही थी परन्तु उन्होंने वकालत छोड़कर असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम के सम्बन्ध में उन्हें बड़ी यातनाये उठानी पड़ीं। उनके जीवन में धन का कभी भी अधिक महत्व नहीं था।

राजेन्द्र बाबू राष्ट्रपति के रूप में १०,००० के वेतन में से ६,०००, ५,००० और अन्त में २,५०० रु० लेने लगे थे। वह मंत्रियों से अधिक वेतन नहीं लेते थे। कई लाख रुपये उन्होंने सरकारी कोष को दे दिया। अतः उनके प्रसंग में श्री मुकर्जी की साधारण जीवन की बात कुछ आश्चर्यजनक लगी।

वर्ग-वर्ग तथा व्यक्ति-व्यक्ति की असमानता के सम्बन्ध में मुझे पता है। पर हमें यह बात कहते शोभा नहीं देता। मंत्री २,५०० रु० वेतन लेते हैं। माननीय सदस्यों को वेतन और भत्ते मिलाकर ८०० रु० पड़ता है। मैं पूछता हूं कि देश के कितने लोगों को इतना धन मिलता है। मुजफ्फरनगर के माननीय सदस्य ने गरीब व्यक्तियों का उल्लेख किया। मैं पूछता हूं कि उनके चुनाव क्षेत्र के कितने व्यक्ति उनके जैसा साफा या शेरवानी पहन सकते हैं। माननीय सदस्यों को पहले स्वयं उच्च आदर्श पेश करना चाहिए उसके बाद उन्हें ये बातें कहनी चाहिए।

धन के समान वितरण में हम विश्वास करते हैं। हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं। परन्तु रूस में भी धन का समान वितरण नहीं है। अभी हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाये हैं, जब हमारे देश में धन का समान वितरण हो जाये।

श्री मुकर्जी ने भारत पेंशनर समाज की बात उठाई। उसका एक अभ्यावेदन हमें मिला था और उस पर मैंने अपनी सिफारिश दे दी है। मूल्य बढ़ रहे हैं। हमें इनके लिए कुछ करना है। हमारा मंत्रालय इस सम्बन्ध में विचार कर रहा है। हम ने माननीय वित्त मंत्री से भी इस विषय में बातें कर ली हैं।

केन्द्रीय सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए हम ने आदेश दे दिये हैं कि दिल्ली में सेवा-निवृत्त कर्मचारी भी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ उठा सकते हैं।

यह कहना गलत है कि हम गरीब लोगों का ध्यान नहीं रखते। ऐसे मामले हमारे सामने आते रहते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ आलोचनाय ऐसी की हैं, जिनके बारे में मुझे बड़ा आश्चर्य है। हमें यह संकुचित मनोवृत्ति छोड़नी चाहिये। श्री मुकर्जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि राशि बढ़ा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि १२,००० रु० और राष्ट्रपति को दिया जाना चाहिए। श्री द्विवेदी, श्री गुहा आदि ने ऐसा कहा है। माननीय

†मूल अंग्रेजी में

सदस्यों के दृष्टिकोण से यह बात ठीक है, परन्तु हम लोगों में यह धारणा नहीं पैदा होने देना चाहते हैं कि हम भूतपूर्व राष्ट्रपति की उपलब्धियां बढ़ा रहे हैं। मेरा विचार है कि यदि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति को पता लगेगा कि उनके मामले में कुछ विशेष रियायत की जा रही है, तो वह शायद स्वयं भी इससे सहमत नहीं होंगे। हम यह भी नहीं चाहते कि लोग यह कहें कि अप्रत्यक्ष ढंग से राष्ट्रपति की उपलब्धियां बढ़ाई जा रही हैं। अतः हमने उन के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था कर दी है।

वैसे अनेक व्यक्तिगत डाक्टरों ने भूतपूर्व राष्ट्रपति के लिये अपनी सेवायें अर्पित की हैं। परन्तु फिर भी हम उन्हें किसी की दया पर नहीं छोड़ना चाहते।

श्री मुकर्जी ने दान आदि की बात कही। स्वयं वह नहीं चाहेंगे कि पूंजीपति भूतपूर्व राष्ट्रपति की सहायता करें। सचिवालय के १२,००० रुपये अधिक नहीं हैं। एक प्राइवेट सेक्रेटरी, एक स्टेनोग्राफर और एक क्लर्क रखने के बाद लेखन-सामग्री तथा डाक खर्च आदि के लिए थोड़ी रकम बच रहेगी। अतः यह राशि हम ने जान-बूझ कर कुछ अधिक नहीं रखी है।

श्री गुह ने खेद प्रकट किया कि हमारे पुराने नेता एक-एक करके जा रहे हैं। परन्तु ऐसी कोई बात नहीं है। स्वतंत्रता संघर्ष के कारण हमारे नेताओं को बड़ा यश मिला, जोकि भावी पीढ़ियों को शायद ही मिले। फिर भी, भावी पीढ़ी के लोग अधिकाधिक योग्य होंगे और अपने कर्तव्य का भार सम्भालेंगे।

श्री त्रिवेदी, श्री सिंहासन सिंह, श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी आदि ने कहा कि यह राशि भूतपूर्व राष्ट्रपति की इच्छानुसार खर्च होनी चाहिए। अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले नियमों की बात कुछ लोगों को प्रिय नहीं लगी। मैं बताना चाहता हूं कि इस मामले में भूतपूर्व राष्ट्रपति को अपनी इच्छा से काम करने का पूर्ण अधिकार होगा। यदि वह किसी सरकारी कर्मचारी को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी या स्टेनोग्राफर रखना चाहेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी और यदि वह किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना चाहेंगे, तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

यह भी कहा गया कि भूतपूर्व राष्ट्रपति की सेवा में होने वाला सरकारी कर्मचारी राजनीति में कैसे भाग ले सकेगा। ठीक है, राष्ट्रपति राजनीति में भाग ले सकेंगे पर उनकी सेवा में लगा सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं करेगा। मंत्री लोग भी राजनीति का काम करते हैं परन्तु उनकी सेवा में लगे सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं करते। इसी प्रकार यह भी होगा।

हमारे कर्मचारी अपने आचरण सम्बन्धी नियमों का पूर्ण पालन करते हैं। पी० ए० और स्टेनोग्राफरों के सम्बन्ध में मेरा अनुभव है कि वे बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। मेरे पुराने विभाग तथा नये विभाग दोनों में मेरा यही अनुभव है। अतः यह समझना गलत है कि प्राइवेट सेक्रेटरी या स्टेनोग्राफर राजनीति में भाग लेंगे। भूतपूर्व राष्ट्रपति या गवर्नर जनरल यदि राजनीति में भाग लेना चाहते हैं, तो यह उन का व्यक्तिगत मामला है। उन के विचारों पर रोक लगाना लोकतंत्रीय सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा।

नियम बनाते समय हम पूरी सावधानी रखेंगे कि भूतपूर्व राष्ट्रपति को अधिकाधिक स्वविवेक से काम करने का अवसर मिले। वह जिसे चाहेंगे उसे और जितने वेतन पर चाहेंगे उतने वेतन पर नियुक्त कर सकेंगे। महालेखा परीक्षक सिर्फ इतना ही देखेगा कि यह १२,००० रु० की राशि भूतपूर्व राष्ट्रपति को दी जाये।

[श्री लालबहादुर शास्त्री]

मुझे खेद है कि श्री मोरे की बातों का उत्तर मैं नहीं दे सकूंगा।

राजनैतिक कार्यकर्ताओं के प्रति हम सब की सहानुभूति है। मैं भी एक ऐसा ही व्यक्ति हूं। परन्तु देश की सामान्य स्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक है। अमरीका में सेनेट के और कांग्रेस के सदस्यों को बड़ी सुविधायें प्राप्त हैं। पर हम अमरीका का मुकाबिला नहीं कर सकते। फिर भी सभा को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं। वह जैसा चाहे, कर सकती है।

माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर बिना कोई संशोधन प्रस्तुत किये, इसे स्वीकार कर लिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की पेंशन अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा में अब खण्डों पर चर्चा होगी। क्या कोई सदस्य संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

†**श्री दशरथ देव :** मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

मैं सामान्य चर्चा में कारण बता चुका हूं इसलिये अब और कुछ कहना नहीं चाहता।

†**श्री नम्बियार :** विधेयक के खण्ड ३ में दिया हुआ है कि मूल अधिनियम की धारा ४ में 'पेंशन' शब्द हटा कर 'धनराशि' शब्द कर दिया जाये। मैं समझता हूं कि ऐसा कर देने से विधेयक का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि इस से भूतपूर्व राष्ट्रपति को पेंशन के स्थान पर एक धनराशि मिलेगी जो पेंशन नहीं होगी जबकि इस विधेयक के द्वारा हम राष्ट्रपति को पेंशन देने की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो व्यवस्था तथा शब्द मूलतः रखे गये हैं वह रहें क्योंकि इस पेंशन को आवश्यकतानुसार बढ़ाने में किसी को भी आपत्ति नहीं होगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मलतः खंड २ (ख) में चिकित्सा देख भाल शब्द रखे गये थे जिनको अब बदल कर चिकित्सा सुविधा कर दिया गया है। मैं नहीं चाहता कि इन शब्दों को भी बदला जाये और इसीलिये इस विधेयक का विरोध करता हूं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** श्रीमान् मैं जो कुछ कह चुका हूं उससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता। माननीय सदस्य ने विधेयक के शब्दों का जो अर्थ लगाया है उसको सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है।। उन्होंने चिकित्सा सुविधा शब्दों पर आपत्ति की है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमने यह शब्द केवल इसलिये रखा हुआ है कि उनको अस्पतालों में चिकित्सा कराने की सुविधा रहे।

धनराशि शब्द के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इसमें तथा पेंशन में अन्तर है जिसको वह स्वयं भी जानते हैं। मूल अधिनियम में यह शब्द पेंशन ही था। परन्तु हम अब १५,००० रुपये पेंशन तथा १२,००० रुपये सचिवालय आदि बनाये रखने के लिए देने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिये विधि-विशेषज्ञों की राय है कि 'पेंशन' के स्थान पर 'धनराशि' शब्द रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ :

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ४--(नई धारा ५ का रखा जाना)

†**श्री सिद्धनंजप्पा :** मैं संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं । श्रीमान् आप जानते हैं कि नियम बनाने के उपबन्ध के विधेयक में ही ऐसा उपबन्ध रख दिया जाता है परन्तु इस में यह उपबन्ध नहीं रखा गया है । मैं ने इसी की व्यवस्था करने के लिये संशोधन प्रस्तुत किया है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मूझे खेद है कि माननीय सदस्य इस विधेयक पर चर्चा के समय उपस्थित नहीं थे । यदि वह उस समय यहाँ होते तो संभवतया यह संशोधन प्रस्तुत न करते । सभा के सभी सदस्यों की यह राय थी कि १२,००० रुपये की राशि राष्ट्रपति को दे दी जाये और कोई नियम आदि न बनाये जायें । अब माननीय सदस्य सभा की राय के विरुद्ध काम कराना चाहते हैं ।

राष्ट्रपति की सुविधानुसार नियम बना दिये जायेंगे । मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस ले लेंगे ।

†**श्री सिद्ध जप्पा :** मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन संख्या २ सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक म जोड़ दिये गये ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि विधेयक को पारित किया जाये' ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

'विधेयक को पारित किया जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव

†श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हाल की अनेक रेल दुर्घटनाओं से, जिन में सब के बाद की पूना—बंगलौर ऐक्सप्रेस की दुर्घटना, जिस में जान और माल की हानि हुई भी सम्मिलित है, उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय दुर्घटना उसको कहते हैं जो सावधानी रखने पर भी न टाली जा सके । परन्तु यदि हम इन रेलवे दुर्घटनाओं की ओर देखें तो मालूम होता है कि यह केवल दुर्घटनाएं नहीं हैं । ये दुर्घटनायें १९३९ से नियमित रूप से हो रही हैं और जब से हमारे नये मंत्री ने रेलवे का काम संभाला है तब से तो दुर्घटनाओं की भरमार ही हो गई है ।

१६ तारीख को पहली बार सभा बैठी । शपथ ली जा रही थी कि हम ने सुना कि एक गंभीर दुर्घटना हो गई है । अब तक १६ अप्रैल से १८ जून तक २२ दुर्घटनायें हो गई हैं जिन में ७४ व्यक्ति मारे गये हैं और घायलों की संख्या सैंकड़ों में है । १९६१ में भी सर्वेक्षण के द्वारा मालूम हुआ था कि दूसरे उत्तरार्द्ध में १,८८३ दुर्घटनायें हुई थीं ।

१९५४ में दुर्घटनाओं की जाँच के लिये शाहनवाज समिति बनाई गई थी । उस ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का ही लेखा जोखा रखा जाता है जबकि छोटी दुर्घटनाओं की संख्या लिखी नहीं जाती है । मैं बताना चाहता हूं कि १-१-५३ से १०-१-५४ तक ३,२८२ दुर्घटनायें ऐसी हुई थीं जिस का लेखा है तो छोटी दुर्घटनायें तो इस से भी बहुत ज्यादा होंगी । इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं ? इन कारणों की जाँच के लिये समितियों के बाद समितियाँ बनाई जाती हैं । वह यही अपने प्रतिवेदन में बार बार लिखती हैं कि यदि थोड़ी सी सावधानी बरती जाती तो दुर्घटना को बचाया जा सकता था । मैं समझता हूं कि दुर्घटना का एक कारण रेल की पटरी, गाड़ी, स्लीपरों तथा पुलों की बुरी दशा है । मैं ने देखा है कि कार्यभार से दबे हुए कर्मचारी पुराने इंजनों, रेल की पटरियों पर काम कर रहे हैं जिस से वह काम कर सकें । परन्तु ऐसा कब तक होता रहेगा । मेरे पास आँकड़े हैं । ३१ मार्च, १९६० तक सभी बड़ी छोटी लाइनों को ४१७३ की रेल की पटरियों को बदला जाना था । पहले की बदली जाने वाली १५९० मील रेल पटरी बदलने का काम तथा १४६३ मील में स्लीपर बदलने का काम बकाया था । इस प्रकार कुल काम ७,२२६ मील का हो गया । इस प्रकार हमें पता लग जाता है कि हमारी रेल की पटरियाँ ठीक न होना एक मुख्य कारण है ।

हमें इस का पता लगाना चाहिये कि हमारी रेल की पटरियों की क्षमता क्या है । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारा यातायात बहुत बढ़ गया है और अब आवश्यक हो गया है कि हम इस पर ध्यान दें क्योंकि क्षमता से ही मालूम हो सकेगा कि कितने दिन बाद वह गड़बड़ी करने लगेगी ।

अब आप पुलों को लीजिये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि कितने पुलों के कितने गर्डर तथा स्पान ठीक हैं तथा कितनों को बदला जाना चाहिये । रेलवे बोर्ड को इस का पता लगाना चाहिये तथा उन को बदलना चाहिये ।

रेलवे मंत्रालय ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि कर्मचारियों की गलती के कारण दुर्घटनायें अधिक होती हैं । स्टेशन तथा ट्रेन कर्मचारियों द्वारा नियमों का पालन न किये जाने के कारण तथा इंजन तथा डिब्बों में गड़बड़ी के कारण दुर्घटनायें होती हैं । मैं बताना चाहता हूं कि जब से रेलवे

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रालय ने यह बताया है तब से स्टेशन मास्टरों ने तथा कर्मचारियों ने यह तय किया कि नियमों का पूरा पूरा पालन किया जाये। इससे यह हुआ कि रेलगाड़ियाँ लेट हो गईं। इस पर डिवीजनल ऑपरेशनल सुपरिंटेंडेंट आ कर कर्मचारियों से कहता है कि गाड़ियाँ चलनी चाहियें। चाहे किसी तरह भी। जब यह बेचारे गाड़ियाँ चलाते हैं तो दुर्घटनायें हो जाती हैं तो डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट दुर्घटना कहता है दुर्घटनायें नहीं होनी चाहियें। बेचारा स्टेशन मास्टर क्या करे। नियमों का पालन करने से गाड़ी लेट हो जाती है जल्दी चलाने से दुर्घटना हो जाती है।

लोकोशॉप में इंजन आदि की मरम्मत आदि का काम बड़ी सरसरी तौर पर किया जाता है। क्यों? क्योंकि मरम्मत करने वाले कर्मचारी अधिकाँशत भली प्रकार प्रशिक्षित नहीं होते हैं। मैं चाहता हूं कि इन के प्रशिक्षण के लिये स्कूल आदि खोले जाने चाहियें जिस से यहाँ पर प्रशिक्षित व्यक्ति अच्छे कारीगर बन सकें और इंजनों आदि की ठीक मरम्मत कर सकें।

पुर्जे आदि भी पूरे नहीं मिलते हैं और एक डिब्बों से निकाल कर पुर्जा दूसरे में लगा लिया जाता है जोकि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि इस प्रकार एक डिब्बे को ठीक कर के दूसरे को खराब किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय अधिकाँशतः दुर्घटनाएं लेवल क्रासिंगों पर होती हैं। हमें बताया जाता है कि प्रत्येक लेवल क्रासिंग पर आदमी रखने से बहुत खर्चा होता है। परन्तु जब दुर्घटना हो जाती है और जानें चली जाती हैं तब हम से सावधानी बरतने को कहा जाता है। यदि पहले से ही इन लेवल क्रासिंगों का वर्गीकरण कर के इन पर कर्मचारी रखे जायें तो दुर्घटना क्यों हो।

राजाध्यक्ष पंचाट ने १९४९ में बताया था कि एक रेलवे कर्मचारी को १२ घंटे से ज्यादा काम नहीं करने देना चाहिये। परन्तु होता क्या है कि उनको सोलह से अठारह घंटे तक काम करना पड़ता है। इतनी देर काम करने से वह थक जाता है और उतनी सावधानी से काम नहीं कर पाता है जितनी सावधानी से उसे करना चाहिए। इसीलिए दुर्घटनाएं हो जाती हैं।

मैं चाहता हूं कि दुर्घटनाओं की जांच के लिए दो विशेषज्ञ समितियां स्थापित की जानी चाहिएं। एक समिति हमारे पुलों, पटरियों आदि की स्थिति की जांच करे तथा दूसरी वर्कशाप तथा इंजनों की दशा की जांच करे।

छोटी छोटी दुर्घटनाओं को भी ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि इनका बुरा असर पड़ता है। इनकी भी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। शीघ्र जांच की जानी चाहिए। तथा मामले को दबाया जाना नहीं चाहिए। जैसा कि अभी होता है कि सभी अधिकारी जांच करते समय एक दूसरे को बचाने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें तो जो गलतियां हों उनको बताना चाहिये जिस से सुधार हो स .।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि): श्रीमान मैं धनबाद दुर्घटना के बारे में कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यह आकस्मिक दुर्घटना नहीं थी। इसी लाइन पर पहले भी एक दुर्घटना हो चुकी थी। इस भाग पर खुले डिब्बे जा रहे थे जिनको गिराना पड़ा था। इस मामले में रेलवे प्रशासन जानता था कि यह लैवल क्रासिंग खतरनाक है और इसी

†मूल अंग्रेजी में

लिए यहां पर एक ऊपरी पुल बनाने का भी प्रस्ताव था । इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया और यह दुर्घटना हो गई ।

इस दुर्घटना क होने से एक सप्ताह पूर्व कार्यालय में प्रदर्शन हुआ था कि यहां पर एक स्वयंचालित गेट बनाया जाये । इसको बनाने का निश्चय कर लिया गया था परन्तु फिर भी इस लैविल क्रासिंग को ऐसे ही छोड़ दिया गया ।

सांभर झील की दुर्घटना को लीजिए । मेरे पास सूचना है कि रेलवे के सामान्य प्रबन्धक ने आदेश दे दिए थे कि इस लैविल क्रासिंग पर संकेत चिह्न लगाये जायें । परन्तु फिर भी इसका ध्यान नहीं रखा गया और संकेत चिह्न नहीं लगाये गये । इसीलिए बस का ड्राइवर दोनों ओर नहीं देख पाया । एक ओर उसने देखा और दूसरी ओर उसने नहीं देखा । उसी ओर से रेलगाड़ी आ गई और टक्कर हो गई ।

मेरा यह सुझाव है कि इन सभी दुर्घटनाओं की न्यायिक जांच होनी चाहिये तथा विभागीय जांच नहीं होनी चाहिये । क्योंकि विभागीय जांच में जनता आदि की गवाहियां नहीं होती हैं और इस प्रकार वह एक पक्षीय जांच होती है ।

पूना-बंगलौर एक्सप्रेस गाड़ी दुर्घटना को लीजिए । यह बताया गया है कि इस में केवल चार आदमी मरे । यह विश्वास योग्य बात नहीं है । मेरा यही कहना है कि इन दुर्घटनाओं की न्यायिक जांच होनी चाहिये ।

शाहनवाज समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि ३६.५ प्रतिशत दुर्घटनायें कर्मचारियों की गलती के कारण तथा ३४.८ प्रतिशत पुर्जों की गड़बड़ी के कारण होती हैं । मैं जानता हूं कि कर्मचारियों के अधिक देर तक काम करने के बाद थक जाने से गलतियां हो जाती हैं । मैं भी जानता हूं कि उनको अधिक देर तक काम करना पड़ता है । २० घंटे तथा १७ घंटे तक भी काम करना पड़ जाता है । ऐसा इसी कारण होता है कि रेलवे प्रशासन उतने कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं कर पाता जितने की जरूरत होती है दक्षिण रेलवे में एक कारखाने में १०२ इंजन थे जब कि मरम्मत करने वाले कर्मचारी ९२ इंजनों के लिए थे । इस प्रकार उनको १० अधिक इंजनों की मरम्मत करनी पड़ती थी जो अधिक काम था और गलती रह जाने की संभावना थी ।

मैं और भी कई उदाहरण दे सकता हूं किन्तु मेरा ख्याल है कि रेलवे मंत्री इस बात से सहमत हैं कि इंजन-डिब्बे आदि की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता । यदि वे सहमत न हों तो हम अपने कथन को तथ्यों से सिद्ध कर सकते हैं ।

हमारे यहां सिगनल की व्यवस्था ठीक नहीं है जिस के फलस्वरूप रेलगाड़ियों की आपस में टक्कर होती है । मेरा कहने का अर्थ यह नहीं कि भारतीय रेलवे की सिगनलिंग प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जाये किन्तु उसे अधिक कुशल बनाने की ओर ध्यान दिया जाये । मैं निरीक्षक के प्रतिवेदन से उद्धरण देकर कहता हूं कि उस ने जांच करने के बाद जो सिफारिशें की थीं उन्हें रेलवे प्रशासन ने कार्यान्वित नहीं किया । लेविल क्रासिंग के बारे में उसने सिफारिश की थी कि लेवल क्रासिंग के वर्गीकरण की समय-समय पर समीक्षा करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सुझाव देने हेतु जिला स्तर पर रेलवे तथा राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों की समितियां बनाई जायें । मैं जानना चाहता हूं कि कितने जिलों में

ऐसी समितियां बनी हैं और क्या सम्बन्धित समिति की सिफारिश पर सांभर लेक लेवल क्रासिंग पर कोई कर्मचारी तैनात नहीं किया गया ।

कई सिफारिशें ऐसी हैं जिन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती । इसलिये यह तर्क कि दुर्घटनाएं अचानक हो जाती हैं, गलत है। जिस देश में रेल की ३४,००० मील लम्बी लाइने हों और हजारों गाड़ियां आती-जाती हों वहां गलतियां हो सकती हैं । किन्तु हमारा सुझाव देने का उद्देश्य यह है कि प्रशासन अधिक सतर्कता बरते और यात्रियों का विश्वास प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करे।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित--आंग्ल भारतीय) : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस मामले की जांच करने के लिये पंडित कुंजरू के सभापतित्व में एक समिति गठित की जा चुकी है और मुझे उम्मीद है कि इस समिति के निर्देश पद बहुत ज्यादा सीमित न होंगे। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि यह समिति रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विशेषज्ञों के विचारों को अनावश्यक महत्व प्रदान नहीं करेगी। मैं किसी विशेष कारण से यह बात कहता हूं। मैं मोहरी रेल दुर्घटना संबंधी जांच आयोग से एक वकील की हैसियत से सम्बद्ध रहा हूं। इस दुर्घटना के फलस्वरूप ३६ व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कई अन्य घायल हुए । इस सम्बन्ध में की गई जांच का मुख्य उद्देश्य इन्टरलाकिंग सिस्टम (अन्तर्पाश प्रणाली) के कार्य की जांच करना था। किन्तु मुझे यह कहते खेद होता है कि रेलवे के विशेषज्ञ, रेलवे बोर्ड के सदस्य और जनरल मैनेजर इस सम्बन्ध में कुछ पूर्वनिर्धारित धारणायें लेकर आये । उन्होंने यह पहले ही तय कर लिया था कि दुर्घटना के लिये कौन जिम्मेदार है यद्यपि जांच आयोग नियुक्त करने का उद्देश्य यह नहीं था । इसके अलावा उनकी यह निश्चित राय थी कि अन्तर्पाश प्रणाली में कोई खामी नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि उच्च न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश, स्वर्गीय श्री फीरोज गांधी और मैं अन्तर्पाश प्रणाली के कार्य की जांच कर ही न सके। मेरे मित्र श्री नम्बियार ने इस सम्बन्ध में कुछ कहा तो है किन्तु वह इतने स्पष्ट नहीं हैं। जांच आयोग के समक्ष दी गई गवाही और अन्य सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अन्तर्पाश प्रणाली 'ए' श्रेणी के स्टेशनों पर भी शतप्रतिशत कुशलता से काम नहीं करती। अभी हाल की बात है । गंगपुर स्टेशन पर दिन के कोई दो बजे एक मेल गाड़ी खड़ी थी । विपरीत दिशा से दूसरी मेल आ रही थी। यदि इस गाड़ी का ड्राइवर सतर्क न होता तो दोनों गाड़ियों की टक्कर हो जाती । उसने खतरा देखकर स्टेशन पर खड़ी गाड़ी से ५० गज की दूरी पर अपनी गाड़ी किसी प्रकार रोक ली । किन्तु इसमें रेलवे कर्मचारियों की कोई गलती नहीं। इस के लिये अन्तर्पाश प्रणाली उत्तरदायी है । ऐसी घटनायें आये दिन होती रहती हैं और इसके बावजूद रेलवे के उच्च कर्मचारी अन्तर्पाश प्रणाली को दोषरहित बताते हैं।

मैं आशा करता हूं कि कुंजरू समिति निगम समिति के प्रतिवेदन को विशेष महत्व न देगी क्योंकि यह प्रतिवेदन उसी गवाही पर आधारित है जो रेलवे अधिकारियों ने समिति के समक्ष देनी थी। मुझे आशा है कि कुंजरू समिति अन्तर्पाश प्रणाली के कार्य की भलीभांति जांच करेगी। मुझे रेलवे के कई कर्मचारियों ने आकर बताया कि अन्तर्पाश प्रणाली में काफी दोष है। किन्तु वे गवाही में यह सब बताने से डरते हैं क्योंकि वे कहते है कि यदि हम ये बातें बता दें तो हमारे या किसी और अन्य कर्मचारी के खिलाफ बदले की भावना से कार्यवाही की जायेगी। इसलिये कुंजरू समिति को

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रैन्क एन्थनी]

गवाही लेने के लिये कोई विशेष प्रक्रिया अपनानी चाहिये अन्यथा उसे सभी तथ्य प्राप्त न हो सकेंगे ।

जैसाकि माननीय सदस्य श्री नाथ पाई ने कहा, रेलवे को आंकड़े इकट्ठा करने का शौक है । मंत्रालय केवल आंकड़े प्रस्तुत कर सभा को प्रभावित करना चाहता है । कुछ वर्ष पूर्व मैंने योजना आयोग और मंत्रिमंडल से कहा था कि रेलवे के लिये अत्यन्त अपर्याप्त आवंटन रखा गया है और जहां तक पटरियां बदलने या इंजन-डिब्बों का संबंध है, हमारी स्थिति तीसरी योजना के अन्त तक और भी खराब हो जायेगी । श्री नाथ पाई ने मरम्मत आदि के अभाव के बारे में कहा है । अब मरम्मत आदि के लिये पहले की अपेक्षा कम समय दिया जाता है । इसके अलावा अब 'पूलिंग' प्रणाली भी लागू कर दी गयी है जिसके अनुसार पांच ड्राइवरों को एक इंजन सौंप दिया जाता है । इस प्रणाली के लागू होने से पहले प्रत्येक मेल ड्राइवर एक ही इंजन को देखा करता था और वह उसे अपना इंजन समझकर अच्छी स्थिति में रखने के लिये सदा प्रयत्नशील रहता था । अब एक इंजन पांच ड्राइवरों के पास होने से उसकी ओर कोई भी ड्राइवर समुचित ध्यान नहीं देता । मुझे कई मेल ड्राइवरों ने बताया कि वे इन परिस्थितियों से तंग आकर इस्तीफा दे चुके हैं । उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने आवश्यक मरम्मत कराने के लिये कहा किन्तु अधिकारियों ने उनसे इंजन को बगैर मरम्मत के ही ले जाने का आदेश दिया । मैं रेलवे मंत्री को दोष नहीं देता किन्तु मैं यह कहूंगा कि वे विभ्रम की अवस्था में है । मैं जानना चाहता हूं कि खराब इंजनों को—जो इंजन अपनी निर्धारित अवधि पूरी कर चुके हैं—उन्हें हटाया क्यों नहीं जाता ।

मेरे माननीय मंत्री ने नियमों का उल्लेख किया है । मैं इसका एक उदाहरण दूंगा । एक नियम यह है कि जब गाड़ी स्टेशन पर आ रही हो तो उसकी रफ्तार १० मील प्रति घंटा होनी चाहिये । किन्तु कई ड्राइवरों ने मुझे बताया कि ऐसा करना संभव नहीं होता क्योंकि इसमें काफी भाप खर्च होती है जिसे बनाने में बहुत समय लगता है और अगर इस रफ्तार से गाड़ी चलाई जाये तो वह देर से पहुंचती है और हमसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है । इसलिये या तो वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुये नियमों में संशोधन किये जायें या कोई ऐसी व्यवस्था की जाये कि इंजन चालक आदि इन नियमों पर अमल कर सकें ।

अब मैं अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में कुछ कहूंगा । उन्हें भर्ती करते समय आप १६ प्रतिशत नहीं वरन् २० प्रतिशत स्थान रक्षित रखें । किन्तु पदोन्नति के मामले में उनके लिये १६ प्रतिशत स्थान रक्षित रखना बहुत ही खतरनाक होगा । इससे कर्मचारियों में असन्तोष तो फैलता ही है किन्तु एक परिणाम यह होता है कि उचित अनुभव और योग्यता न होते हुये भी कुछ कर्मचारियों की पदोन्नति हो जाती है ।

अन्त में मैं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में कुछ कहूंगा । आम धारणा यह है कि इस श्रेणी के अधिकांश कर्मचारी साम्यवादी यूनियनों के सदस्य होते हैं और उन्हें इस बात का विश्वास होता है कि उनकी यूनियन उनके लिये कभी भी हड़ताल आयोजित करेगी । इसलिये उनमें अनुशासन लागू करना सम्भव नहीं हैं । इन कर्मचारियों की अनुशासनहीनता के फलस्वरूप दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है ।

और भी कई बातें हैं किन्तु मैंने कुछ आम बातें कही हैं और मुझे आशा है कि कुंजरू समिति इन पर ध्यान देगी ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : श्रीमन्, रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गयी है । इनकी जांच के सबंध में एक कठिनाई यह रही है कि जांच करने वाले अधिकारी पूर्वनिर्धारित धारणा के आधार पर जांच करते हैं और उनकी इच्छा किसी अन्य विभाग को उत्तरदायी ठहराने की होती है जिसके परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता । दूसरी बात यह है कि रेलवे कर्मचारी गलत जानकारी देते है जिसस दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाना असंभव हो जाता है । जैसाकि माननीय सदस्य श्री नाथपाई ने कहा, हम स्थिति का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं हमारे इंजन भारी हैं जिनके लिये हमें भारी पोतों अधिक अच्छे स्लीपरों और मजबूत नीव की आवश्यकता होती हैं । कम स कम ७००० मील लम्बी पटरियों के लिये स्लीपर आवश्यक है ।

मेरी धारणा यह है कि तोड़फोड़ की घटनायें होती हैं । श्री नम्बियार संभवतः इस बात को स्वीकार न करें, किन्तु रेलवे में निम्न और उच्च इन दोनों स्तरों पर इस प्रकार की प्रवृत्ति विद्यमान है । क्या डिलवां के डिपो में लगी आग दुर्घटना थी ? हमारे यहां स्लीपरों की कमी हैं किन्तु हम देखते है कि हर साल लाखों स्लीपर सतलुज को पार कर पाकिस्तान के क्षेत्र में चले जाते है। क्या इसे संयोग माना जा सकता है कि सतलुज हमारे स्लीपर बहा ले जाती है ? यही कारण हैं कि हमारे यहां स्लीपरों और पोतों का अभाव हैं। जब इनका अभाव है तो हमें दुर्घटनाओं को रोकने के लिये गाड़ियों की रफ्तार, खासकर उन जगहों में जहां दुर्घटनायें होती है, कम कर देनी चाहिये । किन्तु, ऐसा नहीं किया जाता ।

श्री एंथनी ने अन्तपाश प्रणाली की खामियों पर प्रकाश डाला और कहा कि जांच करने वाले अधिकारी पूर्वनिर्धारित धारणा के आधार पर जांच करते हैं। दुर्घटनाओं का मुख्य कारण यह हैं कि आदमी गलती कर सकता है और करता है । इसके कारण है। एक तो यह है कि यद्यपि रेलवे में काम के घंटे निर्धारित हैं किन्तु प्रशासनिक कर्मचारी उनपर कोई ध्यान नहीं देते । डी० ओ० एस० चाहता हैं कि काम होता रहे। कभी-कभी किसी व्यक्ति को ८ घंटे ही नहीं वरन् १६ घंटे और यदा कदा १७ घंटे लगातार काम करना पड़ता है । किर्ती एक्सप्रेस दुर्घटना का कारण यह था कि एक ही व्यक्ति लगातार तीन दिन तक काम कर रहा था । इसलिये जांच के दौरान मानव स्वभाव के इस पहलू की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये ।

दुर्घटनाओं को जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करें इस बात से मैं सहमत नहीं हूं । न्यायाधीशों को सम्भवतः रेलों के कार्य की पर्याप्त जानकारी नहीं रहती और उन्हें उनके समक्ष प्रस्तुत गवाही और तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है । दुर्घटनाओं की जांच विशेषज्ञों द्वारा की जाये जिन्हें रेलवे के काम की अन्दरूनी जानकारी हो ताकि वे सही निष्कर्ष पर पहुंच सकें । दूसरी बात यह है कि उन्हें जांच करते समय रेलवे की पटरियों की स्थिति, स्लीपरों की दशा, लोको शेड के काम की स्थिति, दुर्घटनाओं में विभिन्न अधिकारियों का दायित्व आदि सभी बातों पर समुचित ध्यान देना चाहिये ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, आज जब इस ऐवान के सामने रेलवे हादसात पर विचार करने का मौका मिला है तब सारा हिन्दुस्तान इस तरफ देख रहा है कि इन दुर्घटनाओं का क्या भविष्य बनता है। मैं आप के सामने यह अर्ज करूंगा कि यह जो दुर्घटनायें होती हैं, हादसात होते हैं, यह कोई कुदरती नहीं है। अगर कुर ती होते तो आप मोटी बात सोचिये कि कभी भी बहुत कम तादार में हमारे मिनिस्टर साहब सफर नहीं करते, रेलवे के बड़े-बड़े अफसर भी कम सफर नहीं करते, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि रेलवे के ऐक्सिडट्स या हादसात उस वक्त हों जब मिनिस्टर सफर करते हों या रेलवे के बड़े बड़े उच्च अधिकारी सफर करते हों। यह कोई मजाक की मात नहीं है, न म कोई जलन के नाते

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बागड़ी]

से कह रहा हूं। इसकी तह में क्या बात है? एक ही बात है और वह खास बात है कि हिन्दुस्तान के दिमाग में यह चीज आ चुकी है कि एक जान जो कीमती है उसकी कद्र की जाती है और बाकी आम जिन्दगियों की कद्र नहीं की जाती। जब रेलवे मिनिस्टर चलते हैं तब कभी रेल से रेल नहीं भिड़ती क्योंकि सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, सारी मशीनरी और अफसर अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आम जनता चलती है तब कोई मरे या जिये, कोई पूछने वाला नहीं है। यह गम्भीर बात है जिसे सोचना है कि जो एक्सिडेंट्स होते हैं उनका इलाज क्या है। पहले एसा ख्याल था कि जगजीवन राम जी मिनिस्टर हैं, वह समझते थे कि अष्ट ग्रह चढे हुए हैं, व्यक्ति बदल जाने से कुछ भला होगा। लेकिन यह बात नहीं हुई। जगजीवन राम जी चले गये, स्वर्ण सिंह जी आ गये, लेकिन कुर्सी बदलने से, चेहरे ब लने से कोई फर्क नहीं आया। इसका क्या मतलब है? इसकी तह में कोई चीज है जिसे सोचना है। यह मैं बराई के नाते से या आलोचना के नाते से नहीं कह रहा हूं, लेकिन सिर्फ दूसरे दिन कालिंग अटेंशन के आजाने से या उस के बारे में चर्चा हो जाने से हम हिन्दुस्तान के लोगों की जिन्दगियों को नहीं बचा सकते, या खाली सवाल जवाब हो जाने से इस देश के अन्दर हादसात को नहीं रोका जा सकता है।

यह ठीक है कि हर हादसे के पीछे कोई न कोई इतिहास होता है। यह बात ठीक है कि हादसात की तह में जाना चाहियें। जो हादसात होते हैं उन की तह में देखो। उनकी तह के अन्दर कुछ बुराई है, उसे देखो। हादसात को रोकने के लिये पैसे की जरूरत तो पड़गी। ऐसा कोई मन्तक नहीं कि छू मन्तर हो जाय और हादसे रुक जाये। पिछले साल के अन्दर २१० हादसात लेवेल क्रासिंग के हैं। आप कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। ठीक है, पैसे नहीं हैं। जब कहो कि यह पुल क्यों नहीं बनाया गया, तो कहते हैं कि पैसे नहीं, जब कहो कि सरकारी कर्मचारियों की या जो छोटे मलाजिम हैं उनकी कमी है, उसकी वजह से उन से ड्यूटी ज्यादा ली जाती है, उन की तादाद ऐसी नहीं है कि वे ड्यूटी कर सकें, तो कहते हैं कि पैसे नहीं। अंग्रेज का राज्य था, उस के वक्त में रेल की पटरी बना दी गई, स्लिपर डाल दिर गये। लेकिन उसके बाद से आज तक वह वैसे ही पड़े हुए हैं। इसलिये जो पटरी है उसका ऐडजस्टमेंट ठीक नहीं है क्योंकि ओवरहालिंग नहीं हो सकी है। गाड़ी पटरी से उतर जाती है। उसको ठीक नहीं किया गया क्योंकि पैसे की कमी है। इसको करने के लिये पैसा लगेगा। साहब, पैसा जरूर लगेगा। इसमें कोई रोने की बात नहीं है। में यह अर्ज करूगा कि दरअसल हादसात नहीं हैं क्योंकि हादसात तो वह हैं जोकि ऐक्सीडेंटल तौर पर कुदरती तौर पर हो जांय। यके बाद दीगरे गलतियां कही जा सकतीं हैं और दरअसल पूछा जाय तो यह गलतियां नहीं बल्कि जुर्म किये जाते हैं। दोदोदानिश्ता जुर्म किये जाते हैं। लेकिन जुर्म करने वाले की ताकत इतनी बड़ी है कि जिनके साथ अन्याय होता है वह उसके लिए उसको सजा नहीं दे सकते वरना जो आज हाकिम हैं वह मुजरिम होते और उनकी जगह जेलखाने में होती।

अब यह क्या मजाक है कि हर एक चीज के वास्ते इस बात की आड़ ले ली जाती है कि हम क्या करें पसा नहीं है? आनरेबुल रेल मिनिस्टर ने बतलाया कि हजारों ऐसे लेविल क्रासिंग हैं जहां कि आदमी ड्यूटी पर तनात नहीं है। अब वहां पर ड्यूटी पर क्यों तनात नहीं हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कौन कसूरवार है? अब हर एक बात के लिए कह देना कि पैसा नहीं है इसका क्या मतलब है? आप के पास मिनिस्टरों की

फौज बढ़ाने के लिए पैसा है लेकिन लेविल क्रौसिंग पुल बनाने के लिए और वहां पर आदमी तैनात करने के लिए आप के पास पैसा नहीं है। रेल पटरियों की मरम्मत करने और नई बिछाने के वास्ते आप के पास पैसा नहीं है, मजदूरों की तादाद बढ़ाने के लिए आप के पास पैसा नहीं है, अब जादू से तो कोई बात बनने वाली है नहीं और वह तो ऐसे ही होगा जैसे नेहरू जो का पंचशील सिद्धान्त थोथा चलता है। इससे तो कुछ बनने वाला है नहीं।

अध्यक्ष महोदय, रेलवे ऐक्सीडेंट्स को रोकने के लिए में तीन बातें आवश्यक समझता हूं और मैं चाहूंगा कि उनके बारे में फौरी अमली कदम उठाये जायें। पहली चीज तो यह है कि जितने भी लेविल क्रौसिंग हैं इन सब के ऊपर आदमियों की ड्यूटी लगाई जाये। दूसरे यह कि जितने भी और जहां भी पुल बनाने जरूरी हों यह बनाये जायें। अब दिल्ली रोहतक, हिसार रोड पर रेल का फाटक बंद होने से काफी बौटेलनेक हो जाता है, ढाई ढाई घंटे और तीन, तीन घंटे गाड़ियां बसेज और कारें वगैरह खड़ी रहती हैं। अब रेलवे दुर्घटना भले ही यहां पर हो या न हो लेकिन यह दरवाजा बंद होने की बिना पर छोटे छोटे एक्सीडेंट्स आपस में टकरा कर हो जाया करते हैं। अब यह किस की जिम्मेदारी है? इस को कौन करेगा? अब इसे कोई नथुवा चौकीदार करेगा या इस देश की सरकार करेगी? अब यह जो कह दिया जाता है कि पैसा नहीं है तो पैसे की समस्या हल करनी पड़गी। एक तरफ तो टैक्स बढ़ाये जाते हैं, किराये बढ़ाये जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा जनता से पैसा लेते हैं और दूसरी तरफ यह पैसे का रोना रोते हैं। अब जैसा कि आप कहते हैं कि पैसा नहीं है तो पैसे के वास्ते देश के नाम अपील कीजिये। आप सारे देश से रेलवेज में सुधार करने के नाम पर अपील कीजिये। आप सारे देश से पैसा देने की अपील कीजिये और जैसे भी हो रेलवे में सुधार कीजिये। अब वह तो कुछ होता नहीं है और हमारे मिनिस्टर साहब से अगर कोई आनरेबुल मेम्बर रेलवे क्रौसिंग के पुल को बनाने के लिए कहता है तो उसको यह कह कर टाल दिया जाता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं तुम अपने पंजाब की या दूसरी किसी स्टेट गवर्नमेंट को मना लो, कुछ हिस्सा वह दे और बाकी हम दे देंगे और इस तरह न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी वाली कहावत चरितार्थ होती है। मेरा कहना है कि मिनिस्टर साहब का यह रवैय्या माकूल नहीं है और इस तरह से कुछ काम होने वाला नहीं है। यह बात कह कर हमारे रेलवे के मिनिस्टर साहब साफ बच निकलते हैं और कहते हैं कि भाई हम क्या करें तुम्हारी प्रदेश की सरकार नहीं मानती और वह इसके बनाने के लिए अपना हिस्सा नहीं देती इसलिए हम इसको नहीं बना सकते हैं। में तो आपसे अर्ज करूंगा कि जहां आपने पहले से जनता के ऊपर इतने टैक्स लगाये हुए हैं आप पुल बनाने के नाम पर एक टैक्स और लगा दें लेकिन कम से कम इस देश के ग़रीब आदमी जोकि आये दिन कीड़े मकौड़ों की तरह ऐक्सीडेंट्स में मर जाना करते हैं वे तो बच जांय।

मैं आप से अर्ज करूंगा कि ४०-४५ हजार जो आपकी लेविल क्रौसिंग हैं वहां पर आप आदमी लगाइये। इससे ४०-४५ हजार आदिमियों को काम मिलेगा। अगर वहां पर पैसा लगाया भी जाता है तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है क्योंकि इस देश के ४०-४५ हजार इंसानों की रोजी मिलती है और उनकी बेकारी की समस्या हल होती है। वह वहां पर तनात होकर इंसानों को रेलवे दुर्घटनाओं में मरने से बचायेंगे। अब इसके अलावा वह लोग कोई मिनिस्टर थोड़ें ही हैं जोकि हजारों रुपये लेगे। वह तो इस देश के मजदूर तबके में से होंगे और उनको काम पर लगा कर देश में से बेकारी को हम दूर करेंगे और साथ ही लोगों की जान भी बचायेंगे।

[श्री बागड़ी]

जैसा मैंने पहले कहा यह हादसात नहीं हैं बल्कि गुनाह हैं जोकि आज तक हम करते आये हैं। यह रेलवे मिनिस्टर साहब ही हैं जोकि देश के साथ इस तरह का गुनाह और जुर्म करते आ रहे हैं और इंसानों को इस तौर पर मौत के घाट उतारते आ रहे हैं। अगर इससे कोई नर्म या ठंडा शब्द चाहिए तो मैं कहूंगा कि वे इस बात के गुनाहगार जरूर हैं कि इन हादसात को वह रोक नहीं पाय हैं जोकि रोके जा सकते थे। जब देखो बस पैसे का सवाल उठा कर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं।

मैं अदब से अर्ज करूंगा कि एक मोटा कारण इन रेलवे ऐक्सीडेंट्स का यह भी है कि मिनिस्टरों की तादाद जोकि बहुत ज्यादा है जब यह लोग रेल पर जाते हैं तो रेलवे कर्मचारी एलर्ट होकर ड्यूटी से ज्यादा ओवर ड्यूटी देते हैं और अक्सर देखा जाता है कि मिनिस्टर्स के दौरों के बाद कोई न कोई हादसा हो जाता है। मिनिस्टर्स के दोरे के वक्त वह गरीब कर्मचारी ओवरड्यूटी करते हैं और जिसका कि नतीजा यह होता है कि दौरे के बाद में ऐक्सीडेंट हो जाता है। आप भले ही मिनिस्टर्स की तादाद कम कर दें क्योंकि उनकी फौज वैसे ही काफी बड़ी है लेकिन रेलवे के कर्मचारियों और मजदूरों की तादाद कदापि न घटायें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री तुलसीदास जाधव (नांदेड़): अध्यक्ष महोदय, रेलवे ऐक्सीडेंट्स के बारे में जो सदन में चर्चा चल रही है तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि रेलवे ऐक्सीडेंट्स की तादाद हर साल बढ़ रही हो। यह बात सही है कि रेलवे ऐक्सीडेंट्स हर वर्ष बढ़ नहीं रहे हैं। रेलवे ऐक्सीडेंट्स इनक्वायरी कमेटीकी सन् १९५४ की रिपोर्ट में ४८ पेज पर सन् १९३७ से लेकर १९५३ तक के आँकड़े दिये गये हैं। उनको देखने से यह नजर आता है कि टोटल नम्बर आफ ऐक्सीडेंट्स कम होते हैं। पहले की अपेक्षा अब रेलवे लइनों का काफी विस्तार हुआ है और उसको देखते हुए यह ऐक्सीडेंट्स कम हैं लेकिन मेरे कहने का यह मतलब न लिया जाय कि ऐक्सीडेंट होते रहें। जो भी ऐक्सीडेंट्स होते हैं उनको बन्द होना चाहिये। ऐक्सीडेंट्स जितने भी कम हो सकें हमें उनको कम करने की कोशिश करनी चाहिये।

मैं यह नहीं समझता हूं कि छोटे से लेकर बड़े जितने भी अफसरान हैं उनके दिल में कुछ ऐसी बात है कि ऐक्सीडेंट्स हों। ऐसी बात तो कहीं नजर नहीं आती है। लेकिन जहाँ मैं यह कहता हूं वहाँ अपोजीशन के लोगों की तरह मैं भी यह चाहता हूं कि ऐक्सीडेंट्स कम से कम हों। इतना ही नहीं मैं तो चाहता हूं कि ऐक्सीडेंट्स हों ही नहीं। जैसाकि मेरे पूर्व वक्ता ने भाषण दिया उनकी यह बात सही है कि मिनिस्टर्स और दीगर बड़े अफसरान जब रेल में सफर करते हैं तब रेलवे स्टाफ के द्वारा काफी प्राकाशन बर्ता जाता है लेकिन आम जनत जो रेलों में सफर करती है उनके लिये कोई प्रीकाशन नहीं लिया जाता और जिसके कि कार ण ऐक्सीडेंट्स होते हैं। अब इस तरह की लापरवाही के कारण ऐक्सीडेंट्स हो जायें और लोगों की जान चली जायें यह कोई ठीक बात नहीं है। अब इसका यह अर्थ नहीं है कि जान बुझ कर ऐसा किया जाता है तो भी मैं अपने मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन ऐक्सीडेंट्स को रोकने के लिये ज्यादा से ज्यादा प्रीकाशन लिये जाने के लिये वह अमली कदम उठायें।

रिपोर्ट में भी ऐक्सीडेंट्स की वजह के बारे में रोशनी डाली गई है लेकिन मैं उसको यहाँ पर पढ़ कर नहीं बतलाना चाहता क्योंकि उसके लिये समय नहीं है। अब ऐक्सीडेंट की एक वजह यह भी हैकि रेल की पटरियों के ऊपर से गुजरते हुए डिब्बे नीचे डिरेल्ड हो जाते हैं। अब इस तरह के डिरेलमेंट

को रोकने के लिये और अधिक प्रीकाशन लेना चाहिये और जो स्टाफ उसके ऊपर तैनात होता है वह उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा देखभाल करे और सावधानी बर्त्ते।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लेबिल क्रासिंग, रेलवे पुल और प्लेटफार्म ऐसे तीन जगह से एक्सीडेंट्स होते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि उसके बारे में जरूरी प्रोकाशंस् लिये जायें ताकि दुबारा ऐक्सीडेंट्स न हों। अब ऐक्सीडेंट उसी जगह पर बार बार हो यह बात भी तो ठीक नहीं है। मैं अपने शोलापुर जिले में मुंठेवाड़ी और पाकणी इन दोनों रेल स्टेशन के दरम्यान सोना नदी के रेलवे ब्रिज के ऊपर जो २८–५–६२ को दिन के साढ़े ग्यारह बजे ऐक्सीडेंट हुआ है उसकी ओर मैं अपने मिनस्टर्स और दीगर अफसरान का ध्यान दिलाना चाहता हूं। २८–५–६२ को दिन के साढ़े ग्यारह बजे शोलापुर पूना पैसेंजर गाड़ी रेलवे ब्रिज पर आई और वहाँ ऐक्सीडेंट हो गया। सन् १९४६ से लेकर १९५६ तक इन दस वर्षों में इस रेलवे पुल पर चौदह आदमी मरने के एक्सीडेंटस हुए। पहले वहाँ पर फुटपाथ दोनों तरफ था लेकिन वह किसी कारण से खराब हो कर गिर गया। उसके बाद उस पुल के ऊपर दोनों बाजू कोई फुटपाथ नहीं है। इस सम्बन्ध में शोलापुर ज़िले के लोगों ने कई खत लिखे हैं। श्रीयुत् एस० बी० शिन्दे ने इस बारे में नौ खत लिखे। उन्होंने पहला खत २५–७–५६ को लिखा, जिसका उत्तर आया कि हम इस मामले को देख रहे हैं और कुछ कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा खत १८–८–५६ को लिखा गया, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं आय। इसी प्रकार २५–९–५६ को लिखे गये तीसरे खत का भी कोई उत्तर नहीं आया। उन्होंने चौथा खत २८–११–५६ को लिखा, जिसे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल रेलवेज़ को भेज दिया। इस प्रकार उन्होंने ९ खत लिखे, जिनमें से १७–१–६१ को लिखे गये आखिरी खत के उत्तर में उनको यह सूचना दी गई कि यह पुल रेलवे सर्वेन्ट्स और रेलों के लिए है, दूसरे लोगों के लिए नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि उस एरिया में जो दस पन्द्रह ग्राम हैं, वहाँ रहने वाले लोगों के इधर-उधर जाने के लिए इस रेलवे ब्रिज के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा है, वहाँ पर पहले फुटपाथ बना हुआ था। अभी जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें दो औरतें और एक मर्द कट गए। (वे नदी में गिर गए) (उनके टुकड़े टुकड़े हो गए)। इससे पहले वहाँ पर चौदह आदमी मर कर एक्सीडेंट्स हुए। एक दफ़ा ऐक्सीडेंट होने के बाद प्रीकाशन्ज़ लेने के बजाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में लिखा-पढ़ी करती रहीं कि यह काम स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का। १९५६ से लेकर १९६२ तक इन पाँच छः सालों में लोग बार-बार ख़त लिखते रहे, लेकिन ऐक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरी रिक्वेस्ट यह है कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट इस काम को करे या चाहें सेंट्रल गवर्नमेंट करे, जल्दी से जल्दी उस पुल पर दोनों बाजु फुटपाथ बनाना चाहिए, ताकि इस तरह के ऐक्सीडेंट्स न हों सकें। इसके प्लान्ज़ और एस्टीमेट्स पहले बने थे। एक बाज् के फुट-पाथ पर पैंतीस हज़ार रुपया खर्च होगा, जिसका यह अर्थ है कि दोनों बाजू के फुट-पाथ पर ज्यादा से ज्यादा सत्तर हज़ार रुपया खर्च होगा। इस बारे में अखबार में बड़े हैडिंग के साथ वर्णन निकला था। इसलिये मेरी अर्ज़ है कि मिनिस्टर साहब इस तरफ़ ध्यान दें।

जहाँ तक लेबिल क्रासिंग्ज़ का सम्बन्ध है, लातूर के पास सिग्नल के नज़दीक जो गेटवे है, उस पर रेल का इंजन एक बस के ऊपर चढ़ गया। उस बस का ड्राइवर खलास हो गया, खत्म हो गया। ड्राइवर के अलावा उस बस में कोई व्यक्ति नहीं था, नहीं तो और आदमी खत्म हो जाते। गाड़ी के आने पर उस गेटवे को बन्द करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों, उसको खुला रहने दिया गया और इस प्रकार बस और इंजन का ऐक्सीडेंट हो गया।

[तुलसी दास यादव]

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शोलापुर इलाके में मुंडेवाड़ी और पाकणी के बीच में यह रेलवे ब्रिज है। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह जल्दी से जल्दी कृपा करके वहाँ पर फुट-पाथ बनाने की व्यवस्था करें।

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि हमने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की और कुछ बातों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर जोर दिया गया है। मेरा इरादा आंकड़े प्रस्तुत करने का या किसी प्रकाशन से उद्धरण देने का नहीं है जैसा कि मेरे मित्र श्री फ्रैंक एन्थनी ने कहा।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी :** जी, नहीं। मैंने कहा था कि ऐसा अक्सर किया जाता है। मैंने यह नहीं कहा कि माननीय मंत्री ऐसा करेंगे।

†**श्री स्वर्ण सिंह :** किन्तु हम इस विषय पर दुर्घटनाओं के प्रसंग में चर्चा कर रहे हैं और यह स्वाभाविक है कि अन्य सम्बन्धित पहलुओं के बारे में कुछ बातें कही जायें।

वास्तव में मैंने यह देखा कि इस चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों को भी कुछ परेशानी सी महसूस हो रही थी क्योंकि कुछ लोगों का खयाल था कि सामान्य और बुनियादी प्रश्नों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये जब कि कुछ अन्य लोगों का ख्याल था कि चूंकि ये प्रश्न सामान्य और बुनियादी हैं इसलिये उन्हें ठोस सुझाव प्रस्तुत कर इन समस्याओं को हल करना चाहिये। किन्तु, मैं कह सकता हूं कि इस विषय के महत्व पर पुनः प्रकाश डालने के सिवाय ऐसी कोई ठोस बात हमारे सामने नहीं आई जिस पर मैं कोई और कार्यवाही कर सकूं।

उदाहरण के लिये माननीय श्री फ्रैंक एन्थनी ने कहा कि जाँच के निर्देश पद सीमित न होने चाहिये वरन् समूचे प्रश्न की जाँच का उपबन्ध निर्देश पदों में किया जाना चाहिये।

माननीय सदस्य श्री नाथ पाई ने अपने भाषण के अन्त में सुझाव दिया कि मरम्मत, पटरियों को बदलना आदि तथा कर्मचारियों के काम की दशा इन बातों की जाँच करने के लिये दो विशेषज्ञ समितियाँ होनी चाहियें अब हमें यह देखना है कि क्या इन सुझावों के बारे में अब तक हुई कार्यवाही पर्याप्त है या नहीं।

जहाँ तक निर्देश पदों का सम्बन्ध है वे बहुत व्यापक रखे गये हैं और हमें आशा है कि कुंजरू समिति विभिन्न पहलूओं की जाँच करके जो सिफारिशें करेगी वे हमारे लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। ये निर्देश पद इस प्रकार हैं :—

"(१) रेलवे दुर्घटनाओं के प्रश्न की जाँच करना ; और

(२) भविष्य में दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के उपायों का सुझाव देना।"

इसलिये यह स्पष्ट है कि निर्देश पद बहुत व्यापक हैं और उन्हें छोटे मोटे प्रश्नों के ज़रिये सीमित नहीं किया गया है। अब समिति को चाहिये कि वह इस पूरे प्रश्न के बारे में उपलब्ध सामग्री की जाँच करके सिफारिशें करे। सभा की जानकारी के लिये मैं बता दूं कि समिति की बैठक हुई है और उसने एक प्रश्नावली को अन्तिम रूप दे दिया है और समिति के प्रविधिक सदस्यों को गत पाँच वर्षों में हुई दुर्घटनाओं का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने का कार्य सौंप दिया है। ये सदस्य प्रत्येक मामले की विस्तार से समीक्षा करके स्थिति को सुधारने के सुझाव देंगे। इसलिये

†मूल अंग्रेज़ी में

जहाँ तक इस जाँच का सम्बन्ध है वह व्यापक है और निर्देश पद भी इतने व्यापक रखे गये हैं कि उनमें विभिन्न प्रश्न आ जायें ।

जहाँ तक दूसरे सुझाव का सम्बन्ध है सिद्धान्ततः वह स्वीकार्य है । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि पटरियों के बदलने और मरम्मत के प्रश्न के बारे में भी जाँच की जाये । मेरा ख्याल है कि ये बातें कुंजरू समिति के निदश पदों के अन्तर्गत आ जाती हैं । इस समिति में दो विशेषज्ञ सदस्य हैं और आवश्यकता होने पर वे असेसरों की सहायता ले सकते हैं और विशिष्ट प्रयोजनों के लिये कोई और प्रविधिक लोगों को नामज़द कर सकते हैं । इसलिये मैं इस प्रयोजन के लिये कोई और समिति गठित करने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि वह भी यही कार्य करेगी और एक ही कार्य दो बार करने से कोई लाभ न होगा ।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने जो ठोस सुझाव दिया वह न्यायिक जाँच के बारे में है । बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन तीन सदस्यों ने इस पहलू के बारे में विचार व्यक्त किये उनमें से दो सदस्य न्यायिक जाँच की उपयोगिता के प्रति विशेष आश्वस्त नहीं प्रतीत होते । उदाहरण के लिये माननीय सदस्य श्री फ्रैंक एन्थनी के विचार उस न्यायिक जाँच के अनुभव से प्रभावित प्रतीत होते हैं जिसमें उन्होंने वकील की हैसियत से एक अपराधी की ओर से पैरवी की थी । उनके कहने के ढंग से मुझे ऐसा लगा कि वे न्यायिक जाँच से विशेष प्रभावित नहीं हैं । जन संघ के नेता के विचार भी इस से मिलते जुलते हैं । दूसरी ओर श्री नम्बियार ने, जिनका ५–६ साल पहले किसी न्यायिक जाँच से सम्बन्ध आया था, कहा कि इन प्रश्नों की छानबीन केवल न्यायिक जाँच से ही संभव है ।

इस सम्बन्ध में मेरा दृष्टिकोण यह है कि हमें जांच के प्रकार के बारे में हठधर्मी से काम नहीं लेना चाहिये । इनमें से अधिकाँश दुर्घटनायें ऐसी होती हैं कि हम उन सब के लिये एक जैसी प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकते । कुछ मामलों में न्यायिक जाँच आवश्यक हो सकती है और अतीत में कुछ मामलों में न्यायिक जाँच कराई गई है । कुछ अन्य मामलों में, जिनमें तथ्य स्पष्ट हैं, न्यायिक जाँच आवश्यक नहीं होती । इसलिये हमें एक ही प्रकार की जांच पर ज़ोर नहीं देना चाहिये । मैं कई बार बता चुका हूं कि निरीक्षक कार्यालय द्वारा की जाने वाली जाँच विभागीय जाँच नहीं होती । यह कई बार बताया गया है कि यह कार्यालय रेलवे मंत्रालय के अधीन नहीं वरन् परिवहन तथा संचार मंत्रालय के अन्तर्गत है । यह कार्यालय न तो रेलवे बोर्ड के मातहत है और न उससे किसी प्रकार सम्बद्ध है ।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : क्या निरीक्षक कार्यालय में वे लोग नहीं होते जो इंजीनियरिंग विभाग में रेलवे के अफसर हैं या जिन्होंने रेलवे में काम किया है ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मेरा ख्याल है कि वे रेलवे इंजीनियर होते हैं और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो व्यक्ति रेलवे इंजीनियर नहीं है वह इस सम्बन्ध में कोई उपयोगी कार्यवाही नहीं कर सकता ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : वे लोग रेलवे इंजीनियर होते हैं इसलिये उन्हें रेलवे के प्रति विशेष लगाव होता है ।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : रेलवे निरीक्षण के कार्यालय का कार्य करने के लिये इलेक्ट्रिकल या लोक कर्म विभाग का इंजीनियर उपयुक्त नहीं होता । इस सम्बन्ध में रेलवे इंजीनियर की आवश्यकता इसी कारण होती है ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या उनका स्थानान्तर रेलवे में नहीं हो सकता ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स्वर्ण सिंह : जी, नहीं। उनका स्थानान्तर नहीं होता। हमारे कई मित्र, जो वकालत करते रहे हैं, जब न्यायाधीश बन जाते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि चूंकि वे वकालत करते थे इसलिये न्यायाधीश बनने के बाद वे अपनी व्यक्तिगत पसन्द या नापसन्द के आधार पर काम करते हैं। निरीक्षण कार्यालय के रेलवे इंजीनियर स्वतन्त्र और प्रविधिक व्यक्ति होते हैं जो अपना दायित्व समझते हैं और प्रश्नों के बारे में उचित कार्यवाही करने की क्षमता रखते हैं। यह काम हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिये प्रविधिक व्यक्ति ही आवश्यक होता है।

जांच का कार्य भी बड़ा खुला होता है। अखबारों और रेडियो से लोगों को सूचना दे दी जाती है। हरेक को वहां आने की अनुमति होती है। बल्कि हम लोगों को वहां जाकर गवाही देने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। इस तरह से लाभ ही हुआ है और हमें बहुत से लाभदायक सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिससे रेलवे के कार्य में काफी सुधार हुआ है। जो भी सुझाव आता है उसकी प्राविधिक व्यक्तियों द्वारा पूरी छानबीन की जाती है। यह ठीक है कि कुछ इन्सानी जानों की हानि अवश्य हुई है। अतः जांच के मामले में सरकार का दृष्टिकोण रूढ़िवादी नहीं है। कुछ मामलों में न्यायिक जांच आवश्यक हो सकती है और कुछ में नहीं। यह भी हमने घोषणा नहीं की कि हम न्यायिक जांच के विरोधी हैं। यह जरूर है कि हमारा मत यह है कि कुछ मामलों में न्यायिक जांच आवश्यक हो सकती है और कुछ में नहीं। इसके अतिरिक्त यह कहना भी बिल्कुल गलत है कि निरीक्षकों द्वारा जांच विभागीय जांच होती है। मैं फिर निवेदन करना चाहता कि जांच स्वतंत्ररूप से की जाती है और पूरी छानबीन की जाती है।

इस समय मुझे किसी व्यापक विषय का उल्लेख नहीं करना कि दूसरी योजना के अन्तगत रेलवे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफल रही है। और जो कमियां रह गयी हैं उसके क्या कारण है, और उसका हमारी अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव हुआ है। दुर्घटनायें तो बहुत हुई हैं परन्तु इस वर्तमान विवाद में तीन का उल्लेख अधिकतर हुआ है। दो तो "लैवल क्रासिंग" पर हुईं। एक धनबाद और सम्बरलेक पर। एक पूना बंगलौर एक्सप्रेस पर हुई और एक दुर्घटना भिलाई के पास एक स्थान पर हुई। इन घटनाओं के जो कारण प्रायः यहां बताये गये हैं वह नहीं है। रेलमार्ग के पुनः नवीकरण के बारे में ३१–३–६१ तक १२८७५ किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया था। उस तिथि तक १९५९ किलोमीटर रेलें और ११३६४ किलोमीटर स्लीपरों का नवीकरण किया गया। इस कार्य में जो कमी रह गयी उसका कारण रेलों के सम्भरण की कमी है। इसे रलवे बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन के पैरा ६ में स्पष्ट कर दिया गया है। दूसरी योजना में मूलरूप में १०० करोड़ रुपये की व्यवस्था थी परन्तु खर्च वास्तव में १५४ करोड़ रुपये हुए। १५०० मील प्रतिवर्ष के हिसाब से नवीकरण ७००० मील से कम होकर ५००० मील रह गया। तीसरी योजना के अन्तर्गत ७५०० मील रेलों और ६५०० मील पटरियों के नवीकरण का काम बाकी रहता है। औसतन १५०० मील रेलों और १३०० मील पटरियों के नवीकरण का कार्य औसतन प्रतिवर्ष होगा। १९६१–६२ में ११०० मील रेलों और पटरियों का कार्य हुआ। एवं ४२.७३ करोड़ रुपया खर्च हुआ। विचार है कि १९६२–६३ में १९०० मीलों का काम पूरा कर लिया जाएगा। इससे ६१–६२ की कमी पूरी हो जायेगी। १९६१–२ में कार्य में कमी रहने का मुख्य कारण पटरियों और रेलमार्गों के फिटिंग में काम आने वाली चीजों जैसे फिशप्लेट, टाई-

†मूल अंग्रेजी में

बार आदि के मिलने की कठिनाई रही। अब उनके प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की गयी है और देशीय उत्पादन भी बढ़ाया गया है।

इसी प्रकार पुराने इंजनों और सवारी डिब्बों के सम्बन्ध में भी स्थिति उतनी सन्तोषजनक नहीं है जितनी कि हम चाहते हैं फिर भी पर्याप्त सुधार हुआ है। साथ ही पिछड़े हुए कार्य को समाप्त करने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है। घिसे हुए इंजनों इत्यादि के मामले में भी काफी सुधार हुआ है। १९५५–५६ में छोटी लाइनों पर यह ३३.१ और २५.८ प्रतिशत थे। १९६०–६१ में यह प्रतिशतता कम हो गयी है और यह २५.५ है। बड़ी और छोटी लाइनों पर कुल मिला कर १९ है। बड़ी लाइनों पर गाड़ियां १८ प्रतिशत थीं अब यह १०.३ प्रतिशत है। छोटी लाइनों पर यह प्रतिशतता १९५५–५६ में २१.२ थी जो कि कम होकर अब १२.३ है। समय तो लगता ही है परन्तु स्थिति स्पष्ट है कि इस दिशा में सुधार करने के सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। और भी सुधार होता ही जायेगा इस बारे में मुझे पूर्ण आशा है।

यद्यपि पटरियों पर यातायात बहुत बढ़ गया है परन्तु यदि हम दुर्घटनाओं की संख्या की तुलना प्रति यात्री मील से करें तो ज्ञान होगा कि दुर्घटनाओं की संख्या वर्ष १९५५–५६ से निरन्तर कम होती जा रही है। यह कहना गलत है कि उनकी संख्या बढ़ रही हैं कि यह कहना गलत है कि दुर्घटनायें इसलिये होती हैं कि कर्मचारियों पर कार्यभार बहुत है। जहां तक कार्य के घण्टों का सम्बन्ध है, हमने राजाध्यक्ष पंचाट को क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया था। हाल की चार दुर्घटनायें——दो रेलवे फाटकों पर, तीसरी हुबली में और चौथी वह जिसका कारण तूफान मालम होता है——किसी भी व्यक्ति कीकार्यभार से दबे होने के कारण नहीं हुई हें।

जहां तक रेलवे के फाटकों का सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर कि किसी फाटक पर चौकीदार रखा जाये या नहीं समय-समय पर इस दृष्टि से विचार किया जाता है कि सड़क और रेलवे मार्ग पर कितना यातायात है। यह ठीक कि हमें सड़क और रेलमार्ग के यातायात के बदलते हुए स्वरूप का निरन्तर ध्यान रखना चाहिये और उसके लिये आवश्यक कदम उठाने चाहियें। रेलवे ऐसे किसी भी स्थान पर ऊपरी पुल बनाने के लिये तैयार है जहां पहुंचने के लिये राज्य सरकार रास्ता बनवा दे। जिन दुर्घटनाओं का उल्लेख किया गया है उनकी जांच के परिणामों की ध्यानपूर्वक छानबीन की जायेगी और निराकरण सुधार के लिये आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

इस दुर्घटना विशेष के बारे में मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि मामले की जांच हो रही है। परन्तु मैं आश्वासन दे सकता हूं कि जांच के परिणामस्वरूप जो भी सुझाव प्रस्तुत होगा, उस पर पूरी कार्यवाही की जायेगी और सारे मामले का परीक्षण किया जायेगा।

†**श्री नाथपाई** : इस विवाद में भाग लेने वालों का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं सदन को इस बात का आश्वासन देता हूं कि हम रेलवे कर्मचारियों के किसी वर्ग के भी विरुद्ध नहीं हें हमें इस बात का पूर्ण अहसान है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने अपने स्थान पर बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। परन्तु मैं रेलवे मन्त्री से एक बात पूछना चाहता हूं उन्होंने मुझे इस बात के लिय आड़े हाथों लिया है कि मैंने सभी बातों को रेलवे दुर्घटनाओं के साथ साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है। मेरा निवदन यह है कि मेरे विचार में रेलव विभाग में जो कुछ भी हुआ है वह सब दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है। सामूहिक रूप में रेलवे दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या रेलवे के कार्य के कारण ही तो कही जा सकती हैं और रेलवे का कार्य कदापि संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। २२ दुर्घटनाओं का उल्लेख करते हुए मैंने १६ अप्रैल की दुर्घटना का वर्णन किया है मैंने जो कुछ कहा मन्त्री महोदय की ओर से उसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है।

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री नाथ पाई]

यह तो स्पष्ट ही है कि यदि प्रत्येक सम्भव कार्य किया गया होता तो फिर बार बार होने वाली घटनाओं को रोका जा सकता था। कितनी खेदजनक बात है कि १६ अप्रैल, और १८ जून, १९६२ के बीच २२ गम्भीर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मैं कोई सरकार पर आरोप लगाना नहीं चाहता। मेरी तो यही इच्छा है कि हमें अधिकृत रेलवे सेवा प्राप्त हों। जिस पर कि निर्भर किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न न्यायिक तथा अन्य समितियों की सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई की जाये और सुधार के कदम उठाये जायें। हम रेल सेवा को कार्य-कुशल एवं ऐसा बनायें जिस पर निर्भर रह सकें और दुर्घटनाओं की संख्या कम होनी चाहिए। हमें यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि रेलवे कर्मचारियों से अधिक काम न लिया जाये। कई बार अधिक कार्य लने पर भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि शाहनवाज़ समिति की सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी थीं।

†**श्री नाथपाई :** तब तो इस रोग का कोई इलाज नहीं हो सकेगा।

बाध नदी परियाजना

†**श्री बालकृष्ण वासनिक (गोंडिया) :** यह चर्चा २१ अप्रैल, १९६२ को मेरे अतारांकित प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में है। बाध नदी परियोजना भण्डारा जिले में है जो राज्यों के पुनर्गठन के पूर्व मध्यप्रदेश का अंग था। अब वह महाराष्ट्र राज्य में सम्मिलित है। परियोजना को भूतपूर्व मध्य प्रदेश सरकार की प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई थी, परन्तु बाद में जब वह परियोजना महाराष्ट्र सरकार के पास आई तो मध्यप्रदेश सरकार ने कुछ आपत्ति की और एक दूसरी योजना बनाई और उस योजना को संयुक्त उपक्रम के रूप में लेने का प्रस्ताव पेश किया। चूंकि मूल योजना में महाराष्ट्र सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया है, इस लिये उसका काम नहीं रोकना चाहिए। केन्द्रीय सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना के प्रारम्भिक कार्य पर लगभग ५६ लाख रुपए खच किए हैं परन्तु अब वह काय रोक दिया गया है।

इस प्रकार के अन्तरराज्यि विवाद नहीं होने चाहिये। केन्द्रीय सरकार को कोई युक्ति निकालनी चाहिये ताकि इतने समय बाद पेश की जाने वाली आपत्तियों पर विचार न किया जाए अथवा उन विवादों को तय करने के लिए कोई संगठन बनाया जाना चाहिए। परियोजना के सम्बन्ध में और विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये और योजना आयोग को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए यथाशीघ्र मंजूरी देनी चाहिए।

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** माननीय मन्त्री चिन्तित हैं कि यह परियोजना शीघ्रातिशीघ्र पूरी हो जाए। यह परियोजना भूतपूर्व मध्यप्रदेश सरकार ने बनाई थी। उसके उपरान्त राज्यों का पुनर्गठन हुआ। फिर महाराष्ट्र सरकार इस योजना को कार्यान्वित करना चाहती थी। चूंकि परियोजना के जलागम क्षेत्र का बहुत सा भाग मध्यप्रदेश में आता है और चूंकि उस राज्य की भूमि जलमग्न हो जाएगी इसलिये मध्यप्रदेश सरकार का उस परियोजना में पुनर्गठन के बाद भी बड़ा हित है। इसलिये उसने यह प्रस्ताव रखा कि उसे अन्तरराज्य परियोजना समझा जाए और उसके विचारों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने हमें

†मल अंग्रेजी में

*आध घंटे की चर्चा

और महाराष्ट्र सरकार को लिखा और दूसरी योजना प्रस्तुत की। चूंकि यह परियोजना उनके विचार में अन्तर्राज्य परियोजना होनी चाहिये इसलिये वे चाहते हैं उनके उन क्षेत्रों को जहां सिंचाई की आवश्यकता है कुछ लाभ हो। उन प्रस्थापनाओं को महाराष्ट्र सरकार को वापस भेजना पड़ा। हमने महाराष्ट्र सरकार को कहा कि अपनी परियोजना मध्य प्रदेश सरकार को भेजे। उन्होंने भेज दो। परियोजना के अध्ययन के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव रखे हैं और उन पर जल तथा विद्युत् आयोग जांच कर रहा है।

यद्यपि तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उस परियोजना को दूसरी योजना में सम्मिलित किया गया था, परन्तु उसे योजना आयोग अथवा मन्त्रालय की मंजूरी कभी नहीं मिली। यह परियोजना उस स्थिति पर नहीं पहुंची है जबकि वे काम आरम्भ कर सकते थे। शायद, अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा करने के विचार से महाराष्ट्र सरकार ने कुछ राशि व्यय की और शिलान्यास करने का भी प्रबन्ध किया। अब हमने दोनों राज्य सरकारों से समस्त मामले पर प्रविधिक स्तर पर अपने विशेषज्ञों द्वारा चर्चा करा कर समझौता कर लेने के लिए कहा है। जब वे कोई संयुक्त योजना पेश करेंगे तो हम उसकी विस्तृत छानबीन करेंगे और फिर यह प्रयत्न करेंगे कि उसे यथाशीघ्र मंजूरी दे दी जाए।

इस परियोजना में बांध का स्थान है और नदी के नीचे जाकर एक 'पिक अप वेयर' होगा। डेम स्थान पर कुल जलागम क्षेत्र १६७ वर्गमील होगा जिसमें से ८०.६ वर्गमील महाराष्ट्र राज्य में होगा और ८६.४ वर्गमील मध्यप्रदेश क्षेत्र में होगा। 'पिक अप वेयर' पर महाराष्ट्र में ८५ वर्ग मील होगा और मध्य प्रदेश क्षेत्र में २५ मील होगा। कुल जलमग्न क्षेत्र ६७४४ एकड़ होगा और जिसमें से ४२३४ एकड़ महाराष्ट्र क्षेत्र में होगा और ५५०६ मध्य प्रदेश में होगा। महाराष्ट्र सरकार की योजना के अनुसार यह योजना ६०,००० एकड़ क्षेत्र की सिंचाई करेगा। मध्य प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार महाराष्ट्र में ३१,६०० एकड़ की सिंचाई हो सकेगी और मध्य प्रदेश में २८,४०० एकड़ की। इस योजना पर ६०६.७७ लाख रुपए खर्च होंगे, ऐसा अनुमान है। यदि मध्य प्रदेश सरकार इस परियोजना में भाग मांग तो हम उनसे नहीं लड़ सकते। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार गलती पर नहीं है। हम यह भी चाहते हैं कि और देरी न हो। केन्द्रीय सरकार चुप नहीं बैठी है। जब कोई झगड़ा खड़ा होता है, हमारा उत्तरदायित्व है कि दोनों दलों को इकट्ठा करे ताकि ठीक समझौता हो सके। हम इस मामले को उसी समय हाथ में लेंगे जब दोनों सरकारों से स्वीकृत योजना हमारे पास आ जाए। ज्यों ही ऐसी योजना हमारे पास आएगी, हम इस काम को हाथ में लेंगे और इस बात की ओर ध्यान देंगे कि इस योजना को मन्त्रालय और योजना आयोग से मंजूरी मिल जाए ताकि इस काम में प्रगति हो और दोनों राज्यों को उससे लाभ प्राप्त हो सके।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** चर्चा समाप्त हो गई।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार १६ जून, १९६२/ज्येष्ठ २६, १८८४ (शक) के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १८ जून, १९६२
२८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)]

विषय

		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५१०	महा-लेखा परीक्षक के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री की टिप्पणी	५१७५—८०
१५११	गुजरात तेलशोधक कारखाना	५१८०—८२
१५१२	खनिज निकालने के उद्योग	५१८२—८३
१५१३	ब्रिटेन के स्कूलों मे भारतीय बच्चों की भरती	५१८३—८५
१५१४	मद्रास शहर का दर्जा बढ़ाना	५१८५—८६
१५१५	दिल्ली में सहायता-प्राप्त प्राइवेट स्कूल	५१८६—८८
१५१६	उच्च श्रेणी के कोयले के मूल्य	५१८९—९०
१५१७	रूरकेला धमन भट्टी	५१९१—९२
१५१८	बोकारो इस्पात संयंत्र	५१९२—९५
१५२०	त्रिपुरा के लिये आदिम जाति मंत्रणा समिति	५१९५
१५२१	त्रिपुरा की सीमा पर पाकिस्तानी सेना का जमाव	५१९५—९७
१५२३	लौह अयस्क का उत्पादन	५१९७—९८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१८	विद्रोहियों के साथ नेपाली सेना की मुठभेड़	५१९८—९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
१५१९	सरकारी कर्मचारियों के लिये केन्टीनें	५१९९—५२००
१५२२	इंजीनियरी स्नातकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तिकायें	५२००
१५२४	विदेशी फर्मों की आस्तियों की बिक्री	५२००
१५२५	चकेरी हवाई अड्डे पर विमानों को क्षति	५२००—५२०७
१५२६	चुनाव पोस्टरों की प्रदर्शनी	५२०१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी :

तारांकित
प्रश्न संख्या

१५२७	हौजरी उद्योग के लिये सूत पर उत्पादन-शुल्क	५२०१
१५२८	नदी व सड़क से कोयले का ढोया जाना . .	५२०१–०२
१५२९	उत्तर प्रदेश में नावों के द्वारा कोयले की ढुलाई .	५२०२
१५३०	स्क्रैप निर्यात नीति .	५२०२–०३
१५३१	महाराष्ट्र को कोयले का परिवहन .	५२०३
१५३२	भारत के रक्षित बैंक के भूतपूर्व गवर्नर .	५२०३
१५३३	खाद्यान्न पर बिक्री-कर	५२०३–०४
१५३४	दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् .	५२०४
१५३५	क्षेत्रीय परिषदें . .	५२०४
१५३६	रूस से "मिग" जैट लड़ाकू विमानों की खरीद	५२०४–०५
१५३७	कोयला सम्बन्धी नीति . .	५२०५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३२९४	काजू . .	५२०५–०६
३२९५	नीरा से सिरका	५२०६
३२९६	उत्तर प्रदेश में अपाहिजों की शिक्षा के लिये अनुदान .	५२०६–०७
३२९७	उत्तर प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण . .	५२०७
३२९८	त्रिवेन्द्रम में नौ सैनिक हवाई अड्डा .	५२०७–०८
३२९९	सेना कर्मचारियों के पेंशन के मामले	५२०८–०९
३३००	केरल मे सीमेन्ट कारखाने . . .	५२०९
३३०३	उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां . .	५२०९
३३०४	प्रादेशिक सेना .	५२१०
३३०५	प्रादेशिक सेना अधिकारी .	५२१०
३३०६	बाल अपचार केन्द्र	५२१०–११
३३०७	येरागुंतला (आन्ध्र प्रदेश) में सीमेन्ट फैक्टरी .	५२११–१२
३३०८	कालेज पुस्तकालय सेवा . . .	५२१२
३३०९	उड़ीसा में लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा .	५२१२
३३१०	उड़ीसा में भूतत्वीय सर्वेक्षण .	५२१२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३३११	उड़ीसा की जिला विवरणिकाएं	५२१३
३३१२	उड़ीसा में स्कूल होस्टल	५२१३
३३१३	उड़ीसा में संस्कृत का विकास	५२१३
३३१४	उड़ीसा में सामाजिक तथा बाल कल्याण योजनायें	५२१४
३३१५	स्क्रैप समिति	५२१४-१५
३३१६	स्क्रैप का निर्यात	५२१५
३३१७	भारतीय प्रबन्ध संस्था	५२१५-१६
३३१८	विश्वविद्यालयों की अन्तर्राष्ट्रीय सन्था का प्रशासी मंडल	५२१६
३३१९	नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय	५२१६-१७
३३२०	त्रिपुरा प्रशासन के हिन्दी प्रकाशन	५२१७
३३२१	बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय को बर्मा द्वारा पुस्तकें भेंट किया जाना	५२१७
३३२२	चिकित्सा विज्ञान कालिज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	५२१७-१८
३३२३	भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी	५२१८
३३२४	डिप्टी सर्वेयर जनरल्स ऐस्टेट, देहरादून तक जाने वाली सड़क	५२१८
३३२५	रेत से सोना	५२१८-१९
३३२६	मनीपुर और त्रिपुरा में प्रतिनियुक्ति पर अफसर	५२१९
३३२७	शांतिकार्य के लिये विदेशों में भारतीय सैनिक	५२१९-२०
३३२८	विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम	५२२१
३३२९	दिल्ली में तम्बुओं में लगने वाले स्कूल	५२२१
३३३०	रूसी तेल विशेषज्ञों का दौरा	५२२१
३३३१	त्रिपुरा म सीमावर्ती क्षेत्रों में पशुओं की चोरी	५२२२
३३३२	भोजपुरी संगीत	५२२२
३३३३	सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें	५२२३
३३३४	त्रिपुरा में आदिम जातीय संस्कृति का विकास	५२२३
३३३५	त्रिपुरा में आदिम जाति के लोगों का पुनर्वास	५२२३-२४
३३३६	गणना	५२२४
३३३७	भारतीय तेल के वितरण के लिये अभिकरण	५२२४
३३३८	पाकिस्तानी राष्ट्रजन	५२२४
३३३९	सामूहिक औद्योगिक वित्त अभिकरण	५२२५

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३३४०	बीमा कम्पनियों का परस्पर सहायता संग्रह	५२२५
३३४१	जेसलमेर में तेल की खोज . .	५२२५-२६
३३४२	हड़प्पा में पाये गये अस्थिपंजरों के अवशेष	५२२६
३३४३	सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ इंग्लिश, हैदराबाद	५२२७
३३४४	भारत में लगी विदेशी पूंजी . .	५२२७
३३४५	हवाई अड्डे के लिये ली गई जमीन किसानों को लौटाना	५२२७
३३४६	दिल्ली राज्य संस्कृत विश्व परिषद्	५२२७-२८
३३४७	इस्पात प्रशासन का पुनर्गठन	५२२८
३३४८	पब्लिक स्कूल .	५२२८-२९
३३४९	घरेलू नौकरों का पंजीयन .	५२२९
३३५०	महिला हाकी टीम की मलाया यात्रा . .	५२२९
३३५१	दिल्ली मे सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में सुविधायें	५२२९
३३५२	सीमान्त सड़क निर्माण कार्य .	५२३०
३३५३	गुजरात में खनिजों का भूतत्वीय सर्वेक्षण	५२३०
३३५४	कच्छ की छोटी रन का सर्वेक्षण	५२३०-३१
३३५५	उड़ीसा में लेखकों को पेंशन	५२३१
३३५६	तेल की खोज तथा उत्पादन	५२३१-३२
३३५७	तेल के लिये छिद्रण की लागत	५२३२
३३५८	कोंकणी .	५२३२-३३
३३५९	केन्द्रीय आपातकालीन सहायता संगठन .	५२३३
३३६०	त्रिपुरा की रामुन्नी नगर बस्ती के विस्थापित व्यक्ति	५२३३
३३६१	त्रिपुरा में जलैया में सीमा पुलिस चौकी	५२३३-३४
३३६२	तुलसोबटी बालिका छात्रावास, अगरतला .	५२३४
३३६३	त्रिपुरा में आदिम जाति की लड़कियों के लिये छात्रावास की सुविधा	५२३४
३३६४	त्रिपुरा में आदिम जाति के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास	५२३४
३३६५	पूर्वी क्षेत्र में लौह अयस्क का उत्पादन .	५२३५
३३६६	बरेली में पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी .	५२३५
३३६७	राजनीतिक पीड़ित . .	५२३५-३६
३३६८	उड़ीसा में लौह अयस्क खानें . .	५२३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित संख्या प्रश्न	विषय	पृष्ठ
३३६९	गह-कार्य मंत्री का विवेकानुदान .	५२३६
३३७०	हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन-क्रम .	५२३६
३३७३	हिन्दू धर्मस्व आयोग का प्रतिवेदन . .	५२३७
३३७४	प्रधान मंत्री के सचिवालय में एक क्लर्क की आत्महत्या .	५२३७
३३७५	लौह अयस्क गलाने के तरीकों का अध्ययन करने के लिये दल	५२३६—३८
३३७६	माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी गोष्ठी . . .	५२३८
३३७७	चीनी औरत से करैंसी नोट आदि की बरामद .	५२३८
३३७८	दिल्ली में शराब की खपत . .	५२३९
३३७९	मैसूर में इस्पात का कारखाना . . .	५२४०
३३८०	सेवानिवृत्त सूबेदार-मेजरों के लिये महंगाई भत्ता .	५२४०
३३८१	सशस्त्र सेना के पेंशनर .	५२४०-४१
३३८२	"सैनिक समाचार" .	५२४१-४२
३३८३	भूतपूर्व सैनिकों की जनगणना . . .	५२४२
३३८४	चमड़ा अनुसन्धान संस्था, गिन्डी, को पी० एल० ४८० निधि से सहायता . .	५२४२-४३
३३८५	कटनी (मध्य प्रदेश) में बॉक्साइट	५२४३
३३८६	पुनर्विलोकन समिति . .	५२४३-४४
३३८७	भारत के सर्वेक्षण विभाग के बारे में चोथम समिति की अन्तरिम रिपोर्ट	५२४४
३३८८	आविष्कार .	५२४४
३३८९	प्रक्रियाओं का वाणिज्यिक विकास .	५२४४-४५
३३९०	भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग के लिये पुनर्विलोकन समिति	५२४५
३३९१	बाल अपराध .	५२४५
३३९३	राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् . . .	५२४५-४६
३३९४	दिल्ली स्कूल अध्यापकों के लिये दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें	५२४६
३३९५	छात्रों को छुट्टियां . . .	५२४६-४७
३३९६	जीवन बीमा निगम की ओर से ऋणों का दिया जाना .	५२४७
३३९७	भूतपूर्व सौराष्ट्र राज्य के न्याय अधिकारी .	५२४७
३३९८	सैनिक नावांगन विस्तार योजना, बम्बई . .	५२४७-४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जार

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३३९९	राष्ट्रीय एकता सम्मेलन	५२४८
३४००	जयाल स्मारक	५२४८–४९
३४०१	भारतीय एवैरस्ट दल	५२४९
३४०२	दिल्ली में साइकिलों के चालान	५२४९–५०
३४०३	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल	५२५०
३४०४	सरकारी बस्तियों में नर्सरी स्कूल	५२५०–५१
३४०५	उड़ीसा में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय और जिला पुस्तकालय	५२५१
३४०६	औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल'	५२५१–५२
३४०७	इस्पात कारखाना, नेवेली	५२५२
३४०८	सैलम के लौह अयस्क के सम्बन्ध में रिपोर्ट	५२५२–५३
३४०९	गोरखा रेजीमेंट	५२५३
३४१०	तेल की पाइप लाइन	५२५३
३४११	महाराष्ट्र और गुजरात के बीच आस्तियों का विभाजन	५२५३–५४
३४१२	वावोल कुआं (गुजरात)	५२५४
३४१३	राज्यों को कोयला सम्भरण	५२५४
३४१४	लोक सहायक सेना प्रशिक्षण दल	५२५५
३४१५	रूरकेला इस्पात कारखाना	५२५५–५६
३४१६	स्टेनलेस इस्पात	५२५६
३४१७	नाहरकटिया की गैस	५२५६
३४१८	कोयला उप सहायक नियंत्रक का कार्यालय, गौहाटी	५२५६–५७
३४१९	छोटी बचत के लिये राज्यों को पुरस्कार	५२५७
३४२०	अस्पृश्ता अपराध अधिनियम को लागू करना	५२५७
३४२१	अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को लागू करना	५२५७
३४२२	कांगड़ा जिले का भूतत्वीय सर्वेक्षण	५२५८

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य ५२५८—६३

श्री हेम बरुआ ने पूर्वी पाकिस्तान के राजशाही जिले से भारतीय क्षत्र में आते हुए निष्क्रमणार्थियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा १४ जून, १९६२ को कथित गोली चलाये जाने की ओर, जिससे १२ व्यक्तियों की मृत्यु हूई और अन्य कई लोग जख्मी हुए, प्रधन मंत्री का घ्यान दिलाया।

विषय	पृष्ठ
प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य-मंत्री-तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	५२६३—६५
श्री वासुदेवन् नायर ने प्रोफेसर जे० बी० एस० हाल्डेन के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् से अलग होने के कथित निश्चय की ओर वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया।	
वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) ने इस सम्बन्ध मे एक वक्तव्य दिया।	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५२६६
संविधान के अनुच्छेद ३२३(१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गई :—	
(एक) संघ लोक सेवा आयोग की १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक की अवधि के लिए ग्यारहवां प्रतिवेदन।	
(दो) उक्त प्रतिवेदन में निर्दिष्ट मामलों में आयोग के परामर्श को न स्वीकार करने के कारणों का ज्ञापन।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	५२७६
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) ने पुलिस पदाधिकारियों के वेतन-क्रमों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या २१९ पर श्री च० द० पांडे द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के २६ मार्च, १९६२ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५९–६०	५२६६—६७
सामान्य आयव्ययक, १९५९–६० के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई तथा सभी मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५९–६०	५२६७—६७
रेलवे आय-व्ययक के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई तथा समाप्त हुई और सभी मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई।	
विधेयक पारित	५२७१—८५
गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने प्रस्ताव किया कि राष्ट्रपति की (पेंशन संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार विचार के बाद विधेयक पारित किया गया।	

विषय पृष्ठ

घंटनाओं के बारे में प्रस्ताव ५२८६—५३००

श्री नाथ पाई ने हाल में हुई रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने वाद-विवाद का उत्तर भी दिया तथा चर्चा समाप्त हुई।

आधे घंटे की चर्चा ५३००–५३०१

श्री बाल कृष्ण वासनिक ने बागनदी परियोजना के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ के २१ अप्रैल, १९६२ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) ने चर्चा का उत्तर दिया।

मंगलवार, १९ जून, १९६२/२९ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि।

अधिवक्ता (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर विचार तथा पारित किया जाना और सीमा शुल्क विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा।

GMGIPND—LS III—1253 (Ai)LSD—21-11-62—150.